



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2020

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2020

अनुक्रमणिका		
विषय	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त		
परिचय	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	8
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	15
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	16
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	17
व्यय की गुणवत्ता	1.7	22
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	24
परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं	1.9	29
ऋण प्रबंधन	1.10	34
राजकोषीय असंतुलन	1.11	40
मुख्य विशेषताएं	1.12	44
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.13	45
निष्कर्ष	1.14	45
अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	47
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	47
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	50
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.4	56
लेखाओं का गलत वर्गीकरण	2.5	57
चुने हुए अनुदानों की समीक्षा	2.6	58
कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम	2.7	60
निष्कर्ष	2.8	62

अनुक्रमणिका		
विषय	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
अध्याय-III: वित्तीय विवरण		
प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	63
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखना	3.2	64
निकायों / प्राधिकरणों को प्रदत्त अनुदानों / ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण	3.3	64
दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि	3.4	65
सार आकस्मिक बिलों पर अग्रिम का असमायोजन/अनियमित आहरण	3.5	66
लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक	3.6	66
लेखांकन मानकों की अनुपालना	3.7	68
निष्कर्ष	3.8	68

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-1	राज्य रूपरेखा क: सामान्य आंकड़े	1.1	71
	ख: वित्तीय आंकड़े	1.1	71
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	72
	भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	-	73
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति	-	75
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)	1.1.2	77
परिशिष्ट-1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.3 तथा 1.11.3	78
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	81
	भाग-ख: 31 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.9.1	84
परिशिष्ट-1.5	2017-18 एवं 2018-19 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.1	86
परिशिष्ट-1.6	क्षेत्र-वार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.8.2.1	89
परिशिष्ट-1.7	आंकड़ों में अन्तर प्रदर्शित करती विवरणी (राज्य सरकार द्वारा सूचित वित्त लेखों के आंकड़ों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार)	1.8.2.1 तथा 1.9.4.1	90
परिशिष्ट-1.8	30 सितम्बर 2019 तक लाभ दर्ज करने वाले कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का व्यौरा	1.8.2.1	91
परिशिष्ट-1.9	उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण जिनके लेखे बकाया हैं	1.8.2.1	92
परिशिष्ट-1.10	राज्य सरकार द्वारा निवेशित घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लेखे बकाया थे, का विवरण	1.8.2.1	93
परिशिष्ट-1.11	हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्तिति	1.8.2.2	94
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें व्यय आधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी	2.2.2 तथा 2.3.1	96
परिशिष्ट-2.2	नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य	2.3.1	97
परिशिष्ट-2.3	नियमन के लिए अपेक्षित 2018-19 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य	2.3.1	98
परिशिष्ट-2.4	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.1.1	99

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-2.5	विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.1.1	100
परिशिष्ट-2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.2	101
परिशिष्ट-2.7	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.3	102
परिशिष्ट-2.8	विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण	2.2.2 तथा 2.3.4	104
परिशिष्ट-2.9	विभिन्न अनुदानों का विवरण जहां 2014-19 के दौरान निरंतर बचतें (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) हुई	2.3.4.1	105
परिशिष्ट-2.10	क: वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए अत्यधिक अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	106
परिशिष्ट-2.11	ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	109
परिशिष्ट-2.12	31 मार्च 2019 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी	2.3.4.2	112
परिशिष्ट-2.13	31 मार्च 2019 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी	2.4	114
परिशिष्ट-2.14	लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक राजस्व प्राप्तियाँ	2.5.2	116
परिशिष्ट-2.15	लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय के अंतर्गत बुक राजस्व व्यय	2.5.2	117
परिशिष्ट-2.16	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक की गई फ्लैगशिप योजनाएं	2.5.2	118
परिशिष्ट-2.17	उन मामलों की सूची जहां 2018-19 के दौरान अत्यधिक अभ्यर्पण हुए	2.6.1	119
परिशिष्ट-2.18	उन मामलों की सूची जहां 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान से अधिक व्यय (प्रत्येक में ₹ 15 लाख तथा उससे अधिक अथवा 20 प्रतिशत या उससे ऊपर) हुए	2.6.2	120
परिशिष्ट-2.19	अप्रयुक्त बजट प्रावधान/ बचतों (प्रत्येक में ₹ 20 लाख व उससे अधिक अथवा 20 प्रतिशत व उससे ऊपर) का विवरण	2.6.2	121
परिशिष्ट-2.20	बिना बजट बिलों का अनुमोदन	2.7.3	122
परिशिष्ट-2.21	संस्कीर्त बजट से अधिक राशि का अनुमोदन	2.7.3	123
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2019 तक बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	3.1	125
परिशिष्ट-3.2	स्वायत निकायों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति एवं राज्य विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण को दर्शाती विवरणी	3.2	130
परिशिष्ट-3.3	चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागबद्ध एवं अवधिवद्ध ब्यौरा	3.4	131
परिशिष्ट-3.4	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/त्रेणीबद्ध ब्यौरा	3.4	132
परिशिष्ट-3.5	सार आकस्मिक बिल (ए.सी. बिल) से आहरित बकाया अग्रिमों तथा उनके समायोजन (विस्तृत आकस्मिक बिल) (डी.सी. बिल)) का विवरण	3.5	133
परिशिष्ट-4	शब्दावली	-	134

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-I व अध्याय-II में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

'वित्तीय रिपोर्टिंग' पर अध्याय-III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों से सम्बन्धित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम का प्रतिवेदन तथा सांविधिक नियमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से अंतर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक्-पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृत्तियों व संरचनात्मक रूप रेखा का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (राज्य सरकार द्वारा किए गए) एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण धारणीयता तथा राजकोषीय असंतुलनों का लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय-II विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोजनों का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्य प्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय-III विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना का विवरण प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त

राज्य ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया है।

(परिच्छेद 1.1.2)

2018-19 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियों ($\text{₹} 30,950$ करोड़) में विगत वर्ष ($\text{₹} 27,367$ करोड़) से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के संसाधनों

करों तथा कर-भिन्न से प्राप्त हुई, जबकि शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों अर्थात् केन्द्रीय करों व शुल्कों के राज्यांश (18 प्रतिशत) व भारत सरकार से सहायता अनुदान (49 प्रतिशत) से प्राप्त हुई।

(परिच्छेद 1.3)

2018-19 के दौरान, राज्य के कुल व्यय ($\text{₹ } 34,493$ करोड़) में विगत वर्ष से $\text{₹ } 3,181$ करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय, कुल व्यय का 85.3 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान चार घटकों अर्थात् वेतन व मजदूरी, पेंशन देयताएं, ब्याज भुगतान तथा उपदानों पर कुल व्यय, राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत रहा।

(परिच्छेद 1.6.1 तथा 1.6.2)

2018-19 के दौरान, पूंजीगत व्यय ($\text{₹ } 4,583$ करोड़) विगत वर्ष ($\text{₹ } 3,756$ करोड़) से $\text{₹ } 827$ करोड़ (22 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अंश 2017-18 के 12 प्रतिशत से 2018-19 में 13.29 प्रतिशत तक बढ़ गया।

(परिच्छेद 1.6.1.2)

वर्ष की समाप्ति पर सकल राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष से 6.41 प्रतिशत की वृद्धि के साथ $\text{₹ } 54,299$ करोड़ रहीं। राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 36 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों की 1.75 गुणा थीं।

(परिच्छेद 1.9.2)

कुल लोक ऋण 2014-15 के $\text{₹ } 25,729$ करोड़ से बढ़कर 2018-19 में $\text{₹ } 36,425$ करोड़ हो गया जिसकी वार्षिक औसत वृद्धि दर 9.60 प्रतिशत दर्ज की गई। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2014-15 के 59 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 65 प्रतिशत हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2018-19) के दौरान कुल लोक ऋण पांच प्रतिशत बढ़ गया।

(परिच्छेद 1.10)

आगामी 10 वर्षों में, बाजार ऋणों एवं उदय बॉड के कुल बकाया $\text{₹ } 26,573$ करोड़ में से राज्य को बाजार ऋणों व उदय बॉड के मूलधन के $\text{₹ } 25,005$ करोड़ (94.10 प्रतिशत) एवं $\text{₹ } 12,521$ करोड़ राशि के ब्याज की अदायगी करनी है।

(परिच्छेद 1.10)

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य के अन्तर को प्रस्तुत करता है। राजस्व अधिशेष 2017-18 के $\text{₹ } 314$ करोड़ से बढ़कर 2018-19 में $\text{₹ } 1,508$ करोड़ हो गया।

(परिच्छेद 1.11.1)

2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटा ($\text{₹} 3,512$ करोड़) गतवर्ष से ($\text{₹} 3,870$ करोड़) $\text{₹} 358$ करोड़ घट गया। 2017-18 में $\text{₹} 82$ करोड़ का प्राथमिक घाटा 2018-19 में $\text{₹} 510$ करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

(परिच्छेद 1.11.1)

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2018-19 के दौरान, $\text{₹} 46,984.68$ करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के प्रति $\text{₹} 42,469.10$ करोड़ (90.38 प्रतिशत) का व्यय हुआ। $\text{₹} 4,515.58$ करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में हुई $\text{₹} 5,336.95$ करोड़ की बचतों में से $\text{₹} 821.37$ करोड़ के व्यय आधिक्य को घटाने के परिणामस्वरूप हुई, जिसे 2013-14 से 2017-18 की अवधि के $\text{₹} 8,333.35$ करोड़ के व्यय आधिक्य में जोड़ते हुए, भारत के संविधान की धारा 205 के तहत् राज्य विधानसभा से नियमितिकरण करवाने की आवश्यकता है।

(परिच्छेद 2.2, 2.2.1 तथा 2.3.1)

12 उप-शीर्षों में $\text{₹} 1,916.49$ करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक, अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान तक नहीं पहुंचा अथवा कुल व्यय आधिक्य को अपूरित छोड़ते हुए कुल प्रावधान से अधिक हुआ। अत्यधिक अभ्यर्पण या अपर्याप्त आवर्धन की दृष्टि से पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण किये गये तथा 18 उप-शीर्षों में $\text{₹} 617.17$ करोड़ से ज्यादा व्याधिक्य एवं 12 उप-शीर्षों के अंतर्गत (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) $\text{₹} 196.22$ करोड़ से ज्यादा की बचतों में परिणत हुए। 155 उप-शीर्षों में, वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर कुल प्रावधान ($\text{₹} 2,951.82$ करोड़) में से (प्रत्येक मामले में $\text{₹} 50$ लाख या अधिक) $\text{₹} 2,328.25$ करोड़ (78.87 प्रतिशत) की राशि का अभ्यर्पण हुआ। लेखा/योजनाओं के 60 शीर्षों में 100 प्रतिशत अनुदानों का ($\text{₹} 801.05$ करोड़ राशि) अभ्यर्पण किया गया।

(परिच्छेद 2.3.1.1, 2.3.2 तथा 2.3.4.2)

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

मार्च 2019 तक $\text{₹} 5,128.42$ करोड़ के कुल अनुदानों से सम्बन्धित देय 5,758 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में से कुल $\text{₹} 1,898.80$ करोड़ (37 प्रतिशत) के 2,407 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र (42 प्रतिशत) लम्बित थे। प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का भारी मात्रा में लम्बित रहना निधियों के दुर्विनियोजन तथा जालसाजी के जोखिम को बढ़ाता है। राज्य सरकार अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदानों के सम्बंध में प्रयुक्ति

प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित करें तथा समीक्षा करें कि क्या प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को भारी मात्रा में लम्बित रखने वाले अनुदानग्राहियों को अनुदान देना जारी रखना चाहिए।

(परिच्छेद 3.1)

14 स्वायत्त निकायों में से केवल तीन ने अपने 2018-19 के लेखे प्रस्तुत किए थे। शेष 11 संस्थाओं ने एक वर्ष के विलम्ब के बावजूद सितंबर, 2019 तक अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

(परिच्छेद 3.2)

मार्च 2019 तक राज्य सरकार ने ₹ 93.79 लाख राशि के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के 44 मामले सूचित किये, जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इन 44 मामलों में से 41 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे।

(परिच्छेद 3.4)

अग्रिमों की पहचान/विभेद एवं उनकी अनुवर्ती निगरानी के अभाव में सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से अग्रिमों का आहरण तथा राज्य की समेकित निधि के बाहर बैंक खातों में निधियों के अवरोधन के फलतः प्रभाव से व्यय की अत्योक्ति तथा निधियों के दुर्विनियोजन/जालसाजी के होने के जोखिम को बढ़ाता है।

(परिच्छेद 3.5)

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष (2018-19) के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में बड़े परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहाँ हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल (55,673 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से 17 वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20 वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2019 (प्रक्षिप्त) में 0.74 करोड़ हो गई, जिसमें 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता (2011 की जनगणना अनुसार) आठ प्रतिशत रही थी (अखिल भारतीय औसत 22 प्रतिशत है)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई समयावधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी अंतिम (निर्णायक) वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य में जीवन जीने के स्तर की महत्वपूर्ण संकेतक है। चालू एवं स्थिर मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां तालिका 1.1 में इंगित की गई हैं।

तालिका 1.1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां (चालू एवं स्थिर मूल्य)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17@	2017-18#	2018-19\$
चालू मूल्य (आधार वर्ष-2011-12)					
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,03,772	1,14,239	1,25,122	1,36,542	1,51,835
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर					
उत्तराखण्ड	8.29	9.74	10.14	14.20	10.35
जम्मू और कश्मीर	2.87	19.11	7.00	10.46	11.52
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,79,857	1,40,77,586
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	89,060	96,274	1,03,038	1,09,748	1,17,751
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.5	8.1	7.0	6.5	7.3

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

@ - अंतिम # - त्वरित \$ - अग्रिम अनुमान।


चालू मूल्यों पर 2018-19 में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उत्तराखण्ड से अधिक थी परन्तु जम्मू और कश्मीर से कम थी, जबकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बराबर रही।

स्थिर मूल्यों पर हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से थोड़ी अधिक थी।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

सामान्यतः सरकारी वित्त में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं:

चार्ट 1.1: सरकारी खातों की संरचना



तालिका 1.2 विगत वर्ष (2017-18) की तुलना में चालू वर्ष (2018-19) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सारांश प्रस्तुत करता है:

तालिका 1.2: 2018-19 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश


(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19
प्रवर्ग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	27,367	30,950	राजस्व व्यय	27,053	29,442
कर राजस्व	7,108	7,573	सामान्य सेवाएं	11,009	11,438
कर-भिन्न राजस्व	2,364	2,830	सामाजिक सेवाएं	10,337	11,482
संघीय करों/शुल्कों का राज्यांश	4801	5,430	आर्थिक सेवाएं	5,697	6,512
भारत सरकार से अनुदान	13,094	15,117	सहायता अनुदान व अंशदान	10	10
प्रवर्ग-ख: पूँजीगत तथा अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियां	35	9	पूँजीगत परिव्यय	3,756	4,583
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	40	22	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	503	468
लोक ऋण प्राप्तियां	5,600	6,427	लोक ऋण की चुकौती	3,500	4,673
आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य	आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य
लोक लेखा प्राप्तियां	14,680	16,121	लोक लेखा संवितरण	13,043	14,493
अंत रोकड़ शेष	316	183	अंत रोकड़ शेष	183	53
योग	48,038	53,712	योग	48,038	53,712

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.4 (भाग-क) विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ-साथ सकल राजकोषीय प्राप्तियों का विवरण प्रदान करता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की प्रतिशत संरचना को चार्ट 1.2 एवं 1.2 (क) में दिया गया है:



1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया, जिसे बाद में राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता में बुद्धिमता को सुनिश्चित करने हेतु 2011 के अधिनियम संख्या 25 से संशोधित किया गया (परिशिष्ट 1.2 भाग ख)। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार संशोधित किया जाना अपेक्षित था (2015-20)¹। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन नहीं किया है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों के प्रति, बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्रदत्त प्रमुख राजकोषीय परिवर्ती कारकों पर राज्य सरकार का प्रदर्शन तालिका 1.3 में इंगित किया गया है।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय परिवर्ती कारक

राजकोषीय परिवर्ती कारक	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम एवं चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	2018-19		
		बजट/एम.टी.एफ.पी.एस. # में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक आंकड़ों पर प्रतिशत परिवर्तन
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (रुपये में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	(-) 3,167.75	1,508.21	लक्ष्य लब्ध (+)147.61
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	(-) 3.00 या कम	(-) 5.16	(-) 2.31	लक्ष्य लब्ध (+) 2.85
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण * का अनुपात (प्रतिशत में)	31.99	35.00	35.76	(-) 3.77 (-)0.76

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे # मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी * इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।


¹ (i) राजकोषीय घाटे पर वैधानिक सीमा को लचीलापन प्रदान करने के लिए; (ii) वार्षिक बजट प्रावधान में उचित बढ़ुखण्डों को नए पूँजीगत कार्यों की संस्थानीकृति पर अधिकतम वैधानिक सीमा प्रदान करने के लिए।

- राज्य ने राजस्व घाटे को खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त किया तथा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर केन्द्रीय विचलनों में वृद्धि के कारण 14वें वित्त आयोग / राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित अधिशेष को बनाए रखा।
- राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.31 प्रतिशत था, जोकि लक्ष्य के भीतर था।
- राजस्व घाटा/ अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे हेतु बजट / मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित लक्ष्यों तथा वास्तविक आंकड़ों में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई गई; बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में ₹ 3,168 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे के प्रति ₹ 1,508 करोड़ का राजस्व अधिशेष पाया गया; बजट/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में 5.16 प्रतिशत के अनुमानित राजकोषीय घाटे के प्रति 2.31 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा हुआ। राजस्व घाटे/अधिशेष के अनुमानित व वास्तविक आंकड़ों के मध्य आया बढ़ा अंतर, बजट प्राक्कलनों की अपेक्षा विकासात्मक राजस्व व्यय में बहुत ही कम राशि खर्च होने के कारण हुआ (इस बारे में परिच्छेद 1.7.2 में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है)। यह इंगित करता है, कि या तो बजट बनाते समय राज्य सरकार ने अनुमानित व्यय का सही आकलन नहीं किया था अथवा राज्य सरकार के पास खर्च करने की क्षमता का अभाव था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया देयताओं का अनुपात 35.76 प्रतिशत रहा जो 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं/राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के साथ-साथ बजट व मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित अनुमानों से अधिक था।

1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

वर्ष 2018-19 हेतु कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.3 में दर्शाए गये हैं।

चार्ट 1.3 : चयनित राजकोषीय मापदण्ड: बजट प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक आंकड़े
(₹ करोड़ में)



स्रोत: एम.टी.एफ.पी.एस. (मार्च 2018) तथा 2018-19 के वित्त लेखे

- राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत संग्रह, बजट प्राक्कलन (₹ 30,400 करोड़) से ₹ 550 करोड़ (दो प्रतिशत) अधिक था।

- कर राजस्व के अंतर्गत संग्रह, ₹ 8,248 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्तियों के प्रति ₹ 7,573 करोड़ था। ₹ 675 करोड़ (आठ प्रतिशत) की गिरावट का मुख्य कारण मूल्य वर्धित कर (वैट) (₹ 1,320 करोड़ के प्रति ₹ 1,185 करोड़) तथा वस्तु एवं सेवा कर (₹ 4,064 करोड़ के प्रति ₹ 3,343 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्तियां थीं।
- कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत संग्रह, बजट प्राक्कलन से ₹ 849 करोड़ (43 प्रतिशत) अधिक था।
- राजस्व व्यय (₹ 29,442 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 33,568 करोड़) से ₹ 4,126 करोड़ (12 प्रतिशत) कम था।
- पूँजीगत व्यय बजट प्राक्कलन से ₹ 343 करोड़ (आठ प्रतिशत) अधिक था जो मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुआ।
- ₹ 3,168 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे के प्रति राज्य में ₹ 1,508 करोड़ का राजस्व अधिशेष रहा। इसका मुख्य कारण विकासात्मक राजस्व व्यय, अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं (परिच्छेद 1.7.2 में विस्तार से चर्चा की गई है) के अंतर्गत कम व्यय रहा।
- ₹ 3,512 करोड़ का राजकोषीय घाटा बजट प्राक्कलन (₹ 7,820 करोड़) से ₹ 4,308 करोड़ कम था। प्राथमिक अधिशेष (₹ 510 करोड़) बजट प्राक्कलन के ₹ 3,560 करोड़ के प्राथमिक घाटे से ₹ 4,070 करोड़ अधिक रहा।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों के मध्य भारी अंतर था जो इंगित करता है कि राज्य सरकार ने बजट बनाते समय अनुमानित प्राप्तियों / व्ययों का उचित रूप से आंकलन नहीं किया था।

1.1.4 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की मूल्य सापेक्षता अथवा अवस्था अनुक्रियाशीलता की अवस्था को इंगित करता है। सकल राज्य घरेलू राज्य उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों, राज्य का स्वयं की कर प्राप्तियां, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में प्राप्तियों, व्यय एवं राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,03,772	1,14,239	1,25,122	1,36,542	151,835
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
राजस्व प्राप्तियां					
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.57	31.36	12.05	4.20	13.09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्तियों का उत्प्लावकता अनुपात	1.43	3.11	1.26	0.46	1.17
राज्य का स्वयं का कर राजस्व					
वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	5,940	6,696	7,039	7,108	7,573
वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.99	12.73	5.12	0.98	6.54
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का उत्प्लावकता अनुपात	1.68	1.26	0.54	0.11	0.58

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल व्यय					
वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	22,734	25,630	32,133	31,312	34,493
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.17	12.74	25.37	(-) 2.56	10.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में कुल व्यय की उत्पावकता	1.60	1.26	2.66	(-) 0.28	0.91
राजकोषीय देयताएं					
वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	38,192	41,197	47,244	51,030	54,299
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.71	7.87	14.68	8.01	6.41
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजकोषीय देयताओं की उत्पावकता	1.34	0.78	1.54	0.88	0.57


स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।


1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के पश्चात्, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि-दर 5.12 प्रतिशत से 0.98 प्रतिशत तक गिर गई तथा वर्ष 2017-18 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 69 करोड़ की न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि, 2018-19 के दौरान, राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 465 करोड़ (6.54 प्रतिशत) बढ़ा। दूसरी ओर, 2016-19 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अर्थात् क्रमशः 9.53, 9.13 तथा 11.20 प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर से अधिक थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की न्यून उत्पावकता चिंता का विषय है। 2018-19 के दौरान कुल व्यय एवं राजकोषीय देयताओं की वृद्धि-दर भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर से कम थी।

1.2 राज्य के संसाधन


राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान समाविष्ट हैं। पूँजीगत प्राप्तियां, विनिवेशों से आय, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ट हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखे में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। तालिका 1.2 वर्ष 2018-19 के दौरान वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि चार्ट 1.5, 2014-19 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। चार्ट 1.4 व 1.5 (क) चालू वर्ष के दौरान राज्यों के संसाधनों की संरचना दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2018-19 के दौरान राज्य के संसाधनों के घटक तथा उप-घटक





स्रोत: सम्बद्धित वर्षों के वित्त लेखे।



वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य की कुल-प्राप्तियों में ₹ 7,894 करोड़ (25.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 13,107 करोड़ (73.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें ऋणों व अग्रिमों की वसूली एवं लोक ऋण शामिल थे, में ₹ 5,110 करोड़ (44.17 प्रतिशत) की कमी हुई तथा निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 103 करोड़ (5.95 प्रतिशत) घट गईं।

कुल प्राप्तियां ₹ 34,679 करोड़ (2017-18) से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 39,036 करोड़ हो गई। इसका मुख्य कारण गत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय अन्तरणों (संघीय करों व शुल्कों से राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान) से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि रही।

2014-19 की पांच वर्ष की अवधि में, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 57.30 प्रतिशत से बढ़कर 79.29 प्रतिशत हो गया, निवल लोक लेखा प्राप्तियों का अंश 5.56 से घटकर 4.17 प्रतिशत हो गया तथा पूंजीगत प्राप्तियों का अंश (ऋण सहित) 37.15 प्रतिशत से 16.54 प्रतिशत हो गया।

1.2.1 भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर सीधे अंतरित की गई निधियां

समाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु बड़ी मात्रा में निधियों का अन्तरण भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से न करते हुए सीधे किए जा रहा था।

वर्ष 2014-15 से इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद, वर्ष 2014-19 के दौरान अभी भी निधियां राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे ही अन्तरित की जाती रही। वर्ष 2018-19 के दौरान निधियों का यह सीधा अन्तरण विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 901.83 करोड़ से ₹ 962.08 करोड़ तक बढ़ गया (परिशिष्ट 1.5)।

वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 962.08 करोड़ की निधियों के सीधे अन्तरण के साथ, राज्य के संसाधनों की कुल उपलब्धता को उस सीमा तक कम करके आंका गया।


1.2.2 भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 के तहत नियोजकों द्वारा निर्माण कार्य पर खर्च हुई लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्रित उपकर निर्माण कार्य श्रमिकों हेतु बनाई कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च 2018 तक बोर्ड के पास ₹ 515.76 करोड़ की कुल निधियां उपलब्ध थीं। 2018-19 के दौरान बोर्ड ने श्रमिक उपकर, ब्याज इत्यादि के रूप में ₹ 102.24 करोड़ प्राप्त किए, तथा वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ₹ 24.36 करोड़ सहित मात्र कुल ₹ 27.03 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2019 तक बोर्ड के पास ₹ 590.97 करोड़ की निधियां थीं।


अप्रयुक्त निधियों की बड़ी धनराशि तथा धन की उपयोगिता की कम प्रतिशतता इंगित करती है कि या तो बोर्ड मौजूदा कल्याण योजनाओं पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा था अथवा बोर्ड निर्माण कार्य श्रमिकों के लाभार्थ नई कल्याण योजनाओं की अवधारणा नहीं बना रहा था।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

2014-19 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के संघटन तथा प्रवृत्तियां परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गई हैं तथा चार्ट 1.6 व 1.6 (क) में भी दर्शाए गए हैं:



स्रोत: सम्बद्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।



राज्य की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 के ₹ 27,367 करोड़ से ₹ 3,583 करोड़ (13.09 प्रतिशत) बढ़ कर वर्ष 2018-19 में ₹ 30,950 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां करों व कर-भिन्न सहित राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुई; जबकि शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश (18 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (49 प्रतिशत) से युक्त केन्द्रीय अंतरणों से समाविष्ट रही। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तालिका 1.5 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.57	31.36	12.05	4.20	13.09
राज्य के अपने कर (₹ करोड़ में)	5,940	6,696	7,039	7,108	7,573
राज्य के अपने करों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.99	12.73	5.12	0.98	6.54
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	103,772	114,239	125,122	136,542	151,835
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.19	20.52	20.99	20.04	20.38
उत्प्लावकता अनुपात²					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.43	3.11	1.26	0.46	1.17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	1.68	1.26	0.54	0.11	0.58
राज्य के अपने कर के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.85	2.46	2.35	4.29	2.00

राजस्व प्राप्तियां 14.85 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि-दर से 2014-15 के ₹ 17,843 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 30,950 करोड़ हो गई। वर्ष 2015-19 के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 20 प्रतिशत के लगभग ही रहा। 2014-19 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता में विचलन 0.46 से 3.11 के मध्य रहा तथा गत वर्ष (0.46) की तुलना में 2018-19 में सुधार (1.17) का मुख्य कारण राज्य के कर-भिन्न राजस्व में बढ़ोतरी तथा बढ़ी हुई केन्द्रीय

² परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

निधियों का अन्तरण था। वर्ष 2016-19 के दौरान केन्द्रीय निधियों के उच्च विचलन के बावजूद राजस्व उत्प्लावकता पर प्रभाव आनुपातिक नहीं था क्योंकि उसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के करों में बहुत कम उत्प्लावकता थे जोकि, 2014-15 में 1.68 से घटकर 2018-19 में 0.58 से रह गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

जैसाकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2018-19 में राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गयी हैं।

तालिका 1.6: वर्ष 2018-19 के दौरान प्रक्षेपों/प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों में प्रतिशतभिन्नता (₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के प्राक्कलन	बजट आकलन/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों में प्रतिशतभिन्नता	
				14वें वित्त आयोग के प्राक्कलन	बजट आकलन/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन
कर राजस्व	13,747	8,248	7,573	(-) 44.91	(-) 8.18
कर -भिन्न राजस्व	2,373	1,981	2,830	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे।

कर राजस्व की वास्तविक वसूली चौदहवें वित्त आयोग एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों से क्रमशः ₹ 6,174 करोड़ (44.91 प्रतिशत) तथा ₹ 675 करोड़ (8.18 प्रतिशत) कम थी। 14वें वित्त आयोग तथा बजट प्राक्कलनों/मध्यावधि राजकोषीय विवरणी में कर-भिन्न राजस्व हेतु बनाए गए प्राक्कलन वर्ष 2018-19 के दौरान लब्ध किये गए थे।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है जो 2014-19 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियों को भी दर्शाती है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	1,833	4,065	3,343(82)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,661(17)	3,993(9)	4,382(10)	2,526(-42)	1,320	1,185(-53)
राज्य आबकारी	1,044(10)	1,131(8)	1,308(16)	1,311(-)	1,426	1,482(13)
वाहन कर	220(6)	317(44)	280(-12)	367(31)	300	408(11)
स्टाप्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	190(1)	206(8)	209(1)	229(10)	270	251(10)
विद्युत कर एवं शुल्क	333(74)	551(65)	372(-32)	361(-3)	350	487(35)
भू-राजस्व	17(70)	7(-59)	8(14)	17(112.5)	21	8(-53)
माल तथा यात्री कर	110(5)	115(5)	121(5)	112(-24)	145	104(-7)
अन्य कर	365(12)	376(3)	359(-5)	352(-2)	351	305(-13)
कुल कर राजस्व	5,940(16)	6,696(13)	7,039(5)	7,108(1)	8,248	7,573(7)


कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

वर्ष 2014-19 के दौरान कर राजस्व में ₹ 1,633 करोड़ (27.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान, कर राजस्व में 2017-18 की अपेक्षा ₹ 465 करोड़ (6.54 प्रतिशत) की दर्ज हुई वृद्धि का प्राथमिक कारण राज्य

वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण में भारी बढ़ोतरी हुई। राज्य सरकार ने बताया कि आबकारी नीति के बेहतर प्रवर्तन, उत्पादन लागत, लाइसेंस शुल्क की त्रैमासिक निगरानी तथा उत्पादन संयंत्रों के शुल्कों पर कठोर निगरानी रखने के कारण राज्य आबकारी के तहत प्राप्तियों (₹ 171 करोड़) वृद्धि हुई; अधिक वाहनों के पंजीकरण, पसंदीदा नम्बर अधिक जारी करने, तथा समग्र शुल्क के संशोधन के कारण वाहन कर के तहत संग्रहण (₹ 41 करोड़) में वृद्धि हुई; तथा विद्युत पर करों व शुल्कों के तहत प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ₹ 126 करोड़ बकाया विद्युत शुल्क जमा कराना था।

बजट प्राक्कलनों से तुलना करने पर, वर्ष 2018-19 के दौरान कर राजस्व के तहत वास्तविक संग्रहण, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर के तहत बड़ी गिरावट के साथ, आठ प्रतिशत तक (₹ 675 करोड़) कम रहा।

चार्ट 1.7: उत्तराखण्ड, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब से हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से स्वयं के कर राजस्व की तुलना



हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व के अनुपात में 2015-16 से अब तक घटती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2018-19 में हिमाचल प्रदेश का अनुपात उत्तराखण्ड के अनुपात से अधिक तथा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के अनुपात से कम था।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया, जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (राज्य को क्षतिपूर्ति) के अनुसार, राज्य को पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति, केन्द्र सरकार करेगी। यह क्षतिपूर्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति की लेखापरीक्षा द्वारा गणना के उपरांत ही राज्य को देय होगी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत वर्ष (2015-16) के राजस्व आंकड़ों को आधार वर्ष माना गया। हिमाचल प्रदेश के मामले में आधार वर्ष राजस्व आंकड़ा ₹ 3,634 करोड़ (2015-16) था। राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) को लागू करके की जाएगी। वर्ष 2018-19 के लिए आधार वर्ष आंकड़ों के अनुसार अनुमानित राजस्व ₹ 5,388 करोड़ था। वर्ष 2018-19 हेतु वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति के आधार पर वित्त लेखों में राजस्व आंकड़े दर्शाए गए हैं जो हैं- राज्य वस्तु एवं सेवा कर, इनपुट कर क्रेडिट, राज्य वस्तु व सेवाकर का क्रास यूटिलाइजेशन, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर घटक के एकीकृत वस्तु

एवं सेवा कर अंतरण का आवंटन और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम आवंटन। ₹ 5,388 करोड़ के अनुमानित राजस्व के प्रति, 2018-19 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,806 करोड़ रही तथा ₹ 2,037 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त की गई, जो तालिका 1.8 में वर्णित है। इस प्रकार, 31 मार्च 2019 तक क्षतिपूर्ति की प्राप्ति में ₹ 544.82 करोड़ की गिरावट हुई।

तालिका 1.8: वस्तु एवं सेवा कर का माह-वार (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) प्रभाव तथा प्राप्त की गई क्षतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

माह	मासिक राजस्व जिसे संरक्षित किया जाना है*	वस्तु एवं सेवा कर** के पूर्व संग्रहित कर	संग्रहित राज्य वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का अन्तिम आवंटन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	घाटा/अधिशेष
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7={ 1-(5+6) }
अप्रैल-18	449	2.19	134.88	100.02	237.09	--	211.91
मई-18	449	2.18	117.30	117.63	237.11	184	27.89
जून-18	449	2.27	127.98	120.38	250.63	336	-137.63
जुलाई-18	449	1.68	130.74	108.30	240.72	225	-16.72
आगस्त-18	449	2.45	121.64	103.99	228.08	--	220.92
सितम्बर-18	449	1.78	117.38	102.99	222.15	354	-127.15
अक्टूबर-18	449	1.50	124.54	94.86	220.90	--	228.10
नवम्बर-18	449	0.57	142.58	124.64	267.79	315	-133.79
दिसम्बर-18	449	1.65	139.43	115.79	256.87	--	192.13
जनवरी-19	449	2.00	142.96	104.64	249.60	330	-130.60
फरवरी-19	449	2.45	132.58	100.18	235.21	--	213.79
मार्च-19	449	2.02	158.94	91.05	252.01	293	-96.01
	--	--	- 91.98#	--	-91.98	--	91.98
योग	5,388	22.74	1498.97	1,284.47	2806.18	2,037	544.82

* राजस्व की गणना, आधार वर्ष के अनुसार 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष को जोड़ते हुए 2015-16 के राजस्व आंकड़े को ध्यान में रखते हुए की गई।

** मूल्य वर्धित कर व केन्द्रीय बिक्री कर (प्रतिदाय को छोड़कर) समेत राजस्व जो पैट्रोलियम उत्पादों व मदिरा पर मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़कर, वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित सभी करों से प्राप्त हुआ।

2018-19 के दौरान ₹ 91.98 करोड़ की राशि वापस कर दी गई।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम आवंटन

भारत सरकार, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के तहत राज्य सरकार को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का आवंटन करती है। राज्य कर विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) ने एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर के अग्रिम आवंटन में ₹ 559.24 करोड़ संस्वीकृत किए तथा वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ₹107 करोड़ की राशि हस्तांतरित की।

वस्तु एवं सेवाकर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवाकर के संग्रहण का स्वचलनीकरण होने से, लेखाओं को प्रमाणित करने के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु यह आवश्यक है कि वह सभी लेने-देनों की नमूना-जांच को व्यापक-जांच में परिवर्तित करे। आंकड़ों हेतु आवश्यक अभिगम (एक्सेस) अभी प्रदान किया जाना है। सभी वस्तु एवं सेवाकर लेने-देनों से सम्बन्धित आंकड़ों हेतु अभिगम का ना होना, वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की व्यापक लेखापरीक्षा करने में बाधा बनता है। अतः वर्ष 2018-19 में लेखाओं का प्रमाणीकरण, जैसे कि नमूना-लेखापरीक्षा के आधार पर, अपवादस्वरूप किया गया था, जब अभिलेख हस्तचालित (मैन्यूअली) रूप से अनुरक्षित किए जाते थे।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

गत पांच वर्षों (2014-19) के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां तालिका 1.9 व चार्ट 1.8 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)


राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
ब्याज प्राप्तियां	101 (-15)	94 (-7)	146 (55)	341 (134)	313	386 (13)
लाभांश तथा लाभ	171 (66)	112 (-35)	290 (159)	256 (-12)	117	182 (-29)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां, जिनमें	1,809 (16)	1,631 (-10)	1,281 (-21)	1,767 (38)	1,551	2,262 (28)
विविध सामान्य सेवाएं	3 (-50)	19 (533)	2 (-89)	5 (150)	--	21 (320)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	161 (3)	206 (28)	112 (-46)	181 (62)	--	215 (19)
वाणिकी तथा बन्य जीवन	116 (-68)	34 (-71)	19 (-44)	47 (147)	46	76 (62)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	36 (38)	33 (-8)	43 (30)	40 (-7)	--	51 (28)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	162 (46)	155 (-4)	176 (14)	441 (151)	175	221 (-50)
विद्युत	1,122 (61)	924 (-18)	651 (-30)	688 (6)	725	1,134 (65)
अन्य	209 (-)	260 (24)	278 (7)	365 (32)	605	544 (49)
योग	2,081 (17)	1,837 (-12)	1,717 (-7)	2,364 (38)	1,981	2,830 (20)

कोषकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/शाटा इंगित करते हैं।

स्रोत: सम्बंधित वर्षों हेतु वित्त लेखे।

चार्ट 1.8: कर भिन्न राजस्व 2014-15 से 2018-19

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2014-19 के दौरान कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 749 करोड़ (35.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कर-भिन्न राजस्व 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 9.14 प्रतिशत था। गत वर्ष की अपेक्षा ₹ 466 करोड़ (19.7 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत (₹ 446 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों के बढ़ने से हुई, जिसका कारण विद्युत शुल्क व मुफ्त विद्युत रायल्टी की बकाया राशि की प्राप्ति थी। राज्य वन विकास निगम द्वारा उपभोक्ताओं/खरीदारों को लकड़ी व अन्य उत्पाद की अधिक बिक्री के कारण वानिकी एवं बन्य जीव शीर्ष के अंतर्गत वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग के अंतर्गत खनन पट्टे को हस्तांतरण करने के एवज् में ₹ 194.20 करोड़ के अग्रिम भुगतान तथा रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के रूप में ₹ 14.72 करोड़ की प्राप्ति के कारण, वृद्धि हुई।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 से योजनागत तथा अयोजनेतर वर्गीकरण को बंद किया तथा राज्यों को सहायता-अनुदान प्रदान करने के लिए प्रमुख शीर्ष-1601- सहायता अनुदान के अंतर्गत नए उप-मुख्य शीर्ष का परिचालन किया। भारत सरकार से सहायता अनुदानों की प्रास्थिति तालिका 1.10 में दी गई है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेतर अनुदान	1,199	8,524	8,877	--	--
राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	4,333	756	1,188	--	--
केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान	31	38	44	--	--
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान	1,615	1,978	3,055	--	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	--	--	--	3,590	4,010
वित्त आयोग अनुदान*	--	--	--	8,889	8,831
राज्य/विधान सभा सहित केन्द्र शासित प्रदेश को अन्य अंतरण/अनुदान	--	--	--	615	2,276
योग	7,178	11,296	13,164	13,094	15,117
विगत वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत	13.68	57.37	16.54	(-) 0.53	15.45
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	40	48	50	48	49

स्रोत: सम्बंधित वर्षों हेतु वित्त लेखे।

* वित्त आयोग अनुदानों में विचलन के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों तथा एस0डी0आर0एफ0 हेतु अनुदान शामिल हैं जिसे पहले राज्य लेखाओं में आयोजनेतर अनुदानों के रूप में दर्शाया जाता था।

वर्ष 2018-19 में, भारत सरकार के सहायता-अनुदानों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,023 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जिसमें वस्तु एवं सेवाकर लागू होने से उत्पन्न राजस्व की हानि की एवज् में ₹ 2,037 करोड़ की क्षतिपूर्ति शामिल थी। 2014-19 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का भाग 40 से 50 प्रतिशत के मध्य था।

1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2018-19 में, गत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय कर अन्तरणों में ₹ 628.46 करोड़ (13.09 प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई, जैसा की तालिका 1.11 में दिया गया है। 2018-19 में केन्द्रीय कर अन्तरण राज्य के राजस्व का 18 प्रतिशत था।

तालिका 1.11: वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2017-18 के वास्तविक आंकड़े	2018-19 के वास्तविक आंकड़े	भिन्नता
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	राज्यों को केन्द्रीय करों को संज्ञा करने योग्य राशि का 42 प्रतिशत	484.84	107.00	(-) 377.84
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर		68.36	1,340.15	1,271.79
निगम कर		1,470.67	1,888.31	417.64
आयकर		1,241.88	1,390.66	148.78
सम्पत्ति कर		(-) 0.04	0.69	0.73
सीमा शुल्क		484.70	384.89	(-) 99.81
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		506.50	255.78	(-) 250.72
आय और व्यय पर अन्य कर		-	9.83	9.83
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क		-	2.80	2.80
सेवा कर		544.40	49.66	(-) 494.74
योग		4,801.31	5,429.77	628.46

14 वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यांश को 32 से 42 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में (सेवा कर को छोड़कर) तथा सेवा कर की निवल प्राप्तियों में राज्यांश को क्रमशः 0.713 प्रतिशत एवं 0.722 प्रतिशत पर स्थिर किया गया।

2018-19 में गत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय कर अन्तरणों में वृद्धि का मुख्य कारण केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर ($\text{₹ } 1,271.79$ करोड़), निगम कर ($\text{₹ } 417.64$ करोड़) तथा आय कर ($\text{₹ } 148.78$ करोड़) के अंतर्गत वृद्धि रहा।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, ऋण से प्राप्तियाँ (आंतरिक तथा भारत सरकार से) और विविध पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। विगत पांच वर्षों (2014-19) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत प्राप्तियां	11,568	6,155	8,633	5,675	6,458
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	184.44	(-) 46.79	40.26	(-) 34.26	13.80
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	650*	शून्य	शून्य	35	9
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	41	26	30	40	22
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3,964.71	(-) 96.23	15.38	150.00	(-) 58.67
लोक ऋण प्राप्तियां	10,877	6,129	8,603	5,600	6,427
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां	10,752	6,079	8,502	5,518	6,360
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	125	50	101	82	67
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	168.57	(-) 43.65	40.37	(-) 34.91	(-) 14.77

* हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम के पूंजी विनिवेश से प्राप्तियां।

पूंजीगत प्राप्तियां 2014-15 में $\text{₹ } 11,568$ करोड़ से घट कर (भारतीय रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ अथवेष (कैश बैंलेंस) को बनाए रखने हेतु अत्याधिक राशि के अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष ($\text{₹ } 6,860$ करोड़) लेने के कारण) 2015-16 में $\text{₹ } 6,155$ करोड़ रह गई। वर्ष 2016-17 में उदय योजना हेतु डिस्काम को दिए गए $\text{₹ } 2,890.50$ करोड़ के ऋण के समावेश के कारण इसमें वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 में, पूंजीगत प्राप्तियों ($\text{₹ } 6,458$ करोड़) में गत वर्ष ($\text{₹ } 5,675$ करोड़) की तुलना में $\text{₹ } 783$ करोड़ की वृद्धि पाई गई। पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों पर अनुबर्ती परिच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता बैंक, हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता परिसंघ निगम लिमिटेड (हिमफैट), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। इसमें से राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान $\text{₹ } 22$ करोड़ के ऋण व अग्रिम वसूल किए। इसके साथ $\text{₹ } 272$ करोड़ ऋण व अग्रिमों पर ब्याज के प्राप्त हुए। 31 मार्च, 2019 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम की राशि $\text{₹ } 6,953$ करोड़ थी। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति परिच्छेद 1.8.3 में वर्णित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आंतरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से उधार ली गई ऋण प्राप्तियां 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार की निरन्तर प्राप्तियों के मुख्य स्रोत बने रहे।

तालिका 1.13: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
i) बाजार ऋण	2,345 (22)	2,450 (40)	3,400 (40)	4,600(84)	4,210(66)
ii) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,102 (10)	1,307 (22)	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अर्थोपाय अग्रिम (अधिविकर्ष सहित)	6,860 (64)	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)	1,496(24)
iv) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़)से ऋण	400 (4)	500 (8)	500 (6)	500(9)	626(10)
v) अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	45 (*)	37 (1)	2,931# (34)	18 (*)	28 (*)
आंतरिक ऋण प्राप्तियां (योग i से v)	10,752	6,079	8,502#	5,518	6,360
आंतरिक ऋण चुकौतियां	8,193 (76)	3,876 (64)	3,869 (46)	3,421 (62)	4,588(72)

कोष्ठकों के आंकड़े आंतरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

* एक प्रतिशत से कम # उदय स्कीम के तहत डिस्कॉम को संवितरण हेतु उठाए ऋणों के ₹ 2,890.50 करोड़ शामिल है।

गत पांच वर्षों में बाजार ऋण, आंतरिक ऋण का मुख्य घटक था। वर्ष 2018-19 के दौरान, विगत वर्ष से बाजार ऋण ₹ 390 करोड़ घट गए क्योंकि राज्य सरकार ने नाबाड़ तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिक ऋण लिए। बाजार से उधार लेने की प्रवृत्तियों का परिच्छेद 1.10 में वर्णन है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

2018-19 के दौरान भारत सरकार से ₹ 67 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए ये तथा ₹ 85 करोड़ की चुकौती कर दी गई थी। भारत सरकार के कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम गत वर्ष (₹ 1,079 करोड़) से 2018-19 के दौरान (₹ 1,062 करोड़) ₹ 17 करोड़ घट गए थे।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद शेष वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.14 में दर्शाई गयी है।

तालिका 1.14: 2017-18 और 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीधों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
क. - लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,768	3,754*	2,376	2,640	1,392	1,114
ख. - आरक्षित निधि	420	500	315	508	105	(-) 8
ग. - निक्षेप तथा अग्रिम	2,874	3,580	2,685	3,172	189	408
घ. - उचंत तथा विविध	763	839	882	838	(-) 119	1
ड. - प्रेषण	6,854	7,448	6,785	7,336	69	112
कुल	14,679	16,121	13,043	14,494	1,636	1,627

निवल लोक लेखा प्राप्तियां = लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण

* वास्तविक आंकड़ा: ₹ 3,753.46 करोड़


निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) वर्ष 2017-18 के ₹ 1,636 करोड़ से ₹ 9 करोड़ गिर कर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,627 करोड़ हो गई। इन शीर्षों के अंतर्गत निधियों की निवल उपलब्धता, राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण हिस्पेदार रही।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, प्रतिबद्धित व्यय (वेतनों, ब्याज भुगतानों, सब्सिडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय) जैसे विभिन्न शीषकों के अंतर्गत तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को जो वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, उनका विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में किया गया है।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.9 से चार्ट-1.11 विगत पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है।




कुल व्यय

राज्य का कुल व्यय, 12 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वर्ष 2014-15 के ₹ 22,734 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹ 34,493 करोड़ तक बढ़ गया। 2018-19 के दौरान, इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,181 करोड़ की (10 प्रतिशत) वृद्धि हुई। कुल व्यय में वृद्धि, मुख्य रूप से विगत वर्ष की अपेक्षा राजस्व व्यय में ₹ 2,389 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय में ₹ 827 करोड़ की वृद्धि होने तथा ऋणों व अग्रिमों में ₹ 35 करोड़ घट जाने के कारण पार्श्व गई।



वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 85.3 प्रतिशत था जो विगत वर्ष (2017-18) से कम था, जबकि कुल व्यय में पूँजीगत व्यय के अंश (13.3 प्रतिशत) में विगत वर्ष से (12 प्रतिशत) एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान संवितरित ऋणों तथा अग्रिमों का अंश लगभग स्थिर रहा। व्यय



के इन घटकों के सापेक्ष अंश की गति, व्यय के प्रमुख घटकों में अंतरवर्षीय विचलन को दर्शाती है। सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित) जो अविकासात्मक व्यय का हिस्सा बनता है, वर्ष 2017-18 के 35.77 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2018-19 में कुल व्यय का 33.82 प्रतिशत रह गया।

सामान्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों (34 प्रतिशत) तथा पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभों (43 प्रतिशत) के कारण हुआ। विकासात्मक व्यय³ यानि दोनों सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय, वर्ष 2017-18 के 62.59 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में 64.80 प्रतिशत हो गए। ऋणों तथा अग्रिमों के अंश विगत पांच वर्षों के दौरान लगभग स्थिर रहे, केवल 2016-17 (10.24 प्रतिशत) को छोड़कर जब उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 2,890.50 करोड़ राशि का ऋण संवितरित किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का अंश, 1.36 प्रतिशत रहा।

1.6.1.1 राजस्व व्यय

तालिका 1.15 विगत पांच वर्षों (2014-19) में राजस्व व्यय की वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.15: राजस्व व्यय की वृद्धि

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	19,787	22,303	25,344	27,053	29,442
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.03	12.72	13.63	6.74	8.83
सकल राज्य घोरलू उत्पाद से राजस्व व्यय का प्रतिशत	19.07	19.52	20.26	19.81	19.39

वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्व व्यय 7 से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ कर ₹ 9,655 करोड़ (48.79 प्रतिशत) हो गया, तथा सकल राज्य घोरलू उत्पाद से इसका प्रतिशत 19.61 की वार्षिक औसत दर से बढ़ गया। राजस्व व्यय वर्ष 2017-18 (₹ 27,053 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 29,442 करोड़) में ₹ 2,389 करोड़ (नौ प्रतिशत) बढ़ा (चार्ट 1.9)। व्यय की यह वृद्धि मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के

³ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

अंतर्गत (₹ 1,145 करोड़ या 11 प्रतिशत की) तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 815 करोड़ या 14 प्रतिशत) हुई। राजस्व व्यय में समग्र वृद्धि प्राथमिक रूप से सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ब्याज भुगतान (₹ 234 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 378 करोड़); शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति (₹ 172 करोड़) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 149 करोड़); तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां (₹ 386 करोड़) व ऊर्जा (₹ 211 करोड़) के अंतर्गत पाई गई।

चार्ट 1.10 दर्शाता है कि वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (79 से 87 प्रतिशत) में बना रहा तथा 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। राजस्व व्यय 2018-19 के दौरान, कुल व्यय का 85.3 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-19 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियां व राजस्व व्यय क्रमशः 20.38 एवं 19.39 प्रतिशत पर रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 1,508 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत था।

1.6.1.2 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में पिछले पांच वर्षों में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई, जो वर्ष 2014-19 के दौरान ₹ 2,110 करोड़ (85 प्रतिशत) बढ़ गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, पूँजीगत व्यय (₹ 4,583 करोड़) पिछले वर्ष 2017-18 (₹ 3,756 करोड़) से ₹ 827 करोड़ (22 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 2017-18 के 12 प्रतिशत से 2018-19 में 13.29 प्रतिशत तक बढ़ गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान वे प्रमुख क्षेत्र जहां पूँजीगत व्यय हुआ, उनमें सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत - जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 492 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 346 करोड़), शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (₹ 327 करोड़) तथा आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत - परिवहन (₹ 2,085 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 465 करोड़), विद्युत परियोजनाएं (₹ 250 करोड़) थे।

1.6.2 प्रतिबद्धित व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्धित व्यय प्राथमिक रूप से ब्याज भुगतानों, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट रहता है। **तालिका 1.16** वर्ष 2014-19 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

तालिका 1.16: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़ से)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुपात	वास्तविक
वेतन तथा मजदूरी, जिनमें	8,418 (47)	8,174 (35)	9,682(37)	10,766(39)	11,264	11,210(36)*
आयोजनेतर शीर्ष	8,159	7,826	9,345	10,462	-	10,869
योजनागत शीर्ष	259	348	337	304	-	341
ब्याज भुगतान	2,849 (16)	3,155 (13)	3,359(13)	3,788(14)	4,260	4,022(13)
पेंशन	2,914 (16)	3,836 (16)	4,114(16)	4,709(17)	5,893	4,975(16)
उपदान	801 (4)	1,346 (6)	764(3)	907(3)	1,085	1,283((4))
योग	14,982	16,511	17,919	20,170		21,490
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	76	74	71	75		73
राजस्व प्राप्ति पर प्रतिशतता	83	70	69	73		69

* वेतन: ₹ 10,956 करोड़; मजदूरी: ₹ 254 करोड़

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।

राज्य के प्रतिबद्धित व्यय में निरंतर वृद्धि पाई गई। प्रतिबद्धित व्यय में गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2018-19 में ₹ 1,320 करोड़ (7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-19 के दौरान इन पर राजस्व व्यय का 71 से 76 प्रतिशत प्रभावी हिस्सा प्रयुक्त हुआ जिससे सरकार को विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने की बहुत कम गुंजाईश बची थी।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2014-15 के ₹ 8,418 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 11,210 करोड़ हो गए। विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान यह ₹ 444 करोड़ (4 प्रतिशत) बढ़ गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 36 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन पर व्यय (₹ 10,956 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए प्राक्कलनों (₹ 11,264 करोड़) के भीतर था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2014-15 के ₹ 2,914 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 4975 करोड़ हो गया तथा गत वर्ष से चालू वर्ष के दौरान यह ₹ 266 करोड़ (6 प्रतिशत) बढ़ गया। दोनों वेतन तथा पेंशन भुगतान राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत थे। यह पाया गया कि बजट / मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित पेंशन भुगतानों (₹ 5,893 करोड़) तथा वास्तविक व्यय (₹ 4,975 करोड़) के मध्य महत्वपूर्ण अन्तर (₹ 918 करोड़ या 16 प्रतिशत का) था।

नई पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 15 मई 2003 के पश्चात् हुई हो, उन्हे नई पेंशन योजना के अंतर्गत लिया गया है, जो सीमित अंशदान योजना है। निर्धारित प्रक्रियानुसार, नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के अंशदान, सरकारी कर्मियों हेतु प्रारम्भ में लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8342- अन्य निक्षेप-117 सीमित अंशदान योजना में जमा होंगे। तत्पश्चात् उसी वर्ष प्राधिकृत निधि प्रबंधक के माध्यम से सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार निगम यानि नेशनल सिक्योरिटी डिपोसिटरी लिमिटेड/ ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की जानी थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अंशदान से ₹ 301.95 करोड़ प्राप्त किए। राज्य सरकार के अंश के रूप में ₹ 301.95 करोड़ को मिलाते हुए, तथा अथशेष के ₹ 0.89 करोड़ को मिलाते हुए नेशनल सिक्योरिटी डिपोसिटरी लिमिटेड में कुल ₹ 603.01 करोड़ राशि स्थानांतरित की जानी थी। नेशनल सिक्योरिटी डिपोसिटरी से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान कुल ₹ 606 करोड़ राशि (पिछली राशि सहित) जमा की गई थी। नेशनल सिक्योरिटी डिपोसिटरी लिमिटेड को पेंशन अंशदान से स्थानांतरित ₹ 606 करोड़ में से मात्र ₹ 525.43 करोड़, निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सरकारी खाते द्वारा स्थानांतरित किए गए थे। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 0.89 करोड़ का प्रतिकूल शेष वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़ कर ₹ 1.41 करोड़ हो गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान वर्ष 2014-15 के ₹ 2,849 करोड़ से 41 प्रतिशत बढ़ कर वर्ष 2018-19 में ₹ 4,022 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹ 234 करोड़ (6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत हिस्सा थे। ब्याज भुगतान 14 वें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 4,129 करोड़) तथा बजट/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए प्राक्कलनों (₹ 4,260 करोड़) से क्रमशः ₹ 107 करोड़ तथा ₹ 238 करोड़ कम था। ब्याज भुगतानों से बढ़ी हुई निकासी का कारण बढ़ी हुई व्यवसायिक उधारी थी जैसा कि परिच्छेद 1.9.2 में वर्णन किया गया है।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों/ निकायों/ निगमों को उपदानों का भुगतान कर रही है। तालिका 1.16 उपदानों में अंतरर्वर्षीय परिवर्तन दर्शाती है। उपदान वर्ष 2014-15 के ₹ 801 करोड़ से 60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,283 करोड़ हो गए। वर्ष 2018-19 के दौरान उपदानों में ₹ 376 करोड़ की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व प्राप्तियों का चार प्रतिशत था। उपदानों के प्रमुख घटक ऊर्जा (₹ 574 करोड़) खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 300 करोड़) परिवहन (₹ 160 करोड़) तथा कृषि (₹ 87 करोड़) रहे।

बजट/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में ब्याज भुगतानों व पेंशन के अधिक अनुमान सही नहीं थे, क्योंकि यह प्रतिबद्धित देयताएं हैं तथा इनका पहले से सही-सही मूल्यांकन किया जा सकता था। जिसके कारण राजस्व व्यय के अनुमान भी अधिक लगाए गए थे तथा जो राजकोषीय परिवर्ती कारकों यानि राजस्व व राजकोषीय घाटों के अधिक अनुमान में परिणत हुआ।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों को जारी सहायता-अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.17 में दी गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को जारी सहायता अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पंचायती राज संस्थाएं	780.89(139)	427.34(-45)	696.64(63)	567.75(-19)	746.91(31.56)
शहरी स्थानीय निकाय	202.24(-28)	319.54(58)	544.66(70)	257.78(-53)	488.52(89.51)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	53.81(-16)	125.63(133)	150.84(20)	164.01(9)	184.40(12.43)
स्वायत्त निकाय	502.17(41)	641.87(28)	759.23(18)	799.08(5)	930.45(16.44)
शिक्षा	341.89(54)	341.40(-)	479.47(40)	492.21(3)	561.56(14.09)
अन्य संस्थान	275.18(48)	756.50(175)	726.14(-4)	614.62(-15)	722.11(17.49)
योग	2,156.18 (50)	2,612.28 (21)	3,356.98(29)	2,895.46(-14)	3,633.95(26)
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	10.90	11.71	13.25	10.70	12.35
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	12.08	11.14	12.78	10.58	11.74

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे कोष्ठकों के आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को दिए गए अनुदानों में सभी वर्षों की तुलना में निरंतर बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, किन्तु वर्ष 2017-18 को छोड़ कर, जहां यह मुख्य रूप से योजनागत अनुदानों के अंतर्गत 2016-17 की अपेक्षा 461.52 करोड़ (14 प्रतिशत) घट गए। वर्ष 2018-19 के दौरान, इसमें गत वर्ष से ₹ 738.49 करोड़ (26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान सहायता-अनुदानों में हुई वृद्धि मुख्य रूप से स्थानीय शहरी निकायों (₹ 230.74 करोड़), पंचायती राज संस्थाओं (₹ 179.16 करोड़), स्वायत्त निकायों (₹ 131.37 करोड़) तथा अन्य विकासात्मक एजेन्सियों (₹ 107.49 करोड़) इत्यादि को अधिक अनुदान देने के कारण हुई। वर्ष 2014-19 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को दिए अनुदान, राज्य के राजस्व व्यय का 11 से 13 प्रतिशत के मध्य रहे।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय श्रीष्ट को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस क्षेत्र को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर श्रेणी व्यय अनुपात) से सम्बद्ध कहा जा सकता है।

चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष मानते हुए विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण तालिका 1.18 तथा चार्ट 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18: 2014-15, 2017-18 व 2018-19 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता


(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता सूचक	2014-15		2017-18		2018-19	
	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	26.00	22.48	25.86	22.93	26.73	22.72
विकास व्यय#/ कुल व्यय	66.76	66.15	64.17	64.18	64.82	66.13
सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	36.27	35.08	34.99	36.66	35.75	36.73
आर्थिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	30.49	31.07	29.18	27.52	29.08	29.39
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.46	10.88	15.73	12.00	15.69	13.29
शिक्षा/ कुल व्यय	18.52	18.81	18.04	19.29	18.21	17.97
स्वास्थ्य/ कुल व्यय	5.60	5.71	6.22	6.41	6.48	6.49

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय व सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के तहत संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल हैं।

स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए, 1 अगस्त 2019 तक सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध तथा राज्यों से प्राप्त सूचना।

चार्ट 1.12: वर्ष 2018-19 हेतु लोक व्यय में प्राथमिकता का प्रतिशत



- विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सभी वर्षों (2014-15, 2017-18 व 2018-19) में कम था।
- राज्य ने 2018-19 में शिक्षा के लिए पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी (17.97 प्रतिशत) तथा पिछले वर्ष (19.29 प्रतिशत) की अपेक्षा कुल व्यय से इसका प्रतिशत 1.32 प्रतिशत अंकों से घट गया।
- राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात विगत वर्ष (12 प्रतिशत) से 2018-19 के दौरान (13.29 प्रतिशत) थोड़ा सा बढ़ गया था (1.29 प्रतिशत अंक) किन्तु यह विशेष श्रेणी राज्य के अनुपात (15.69 प्रतिशत) से कम (2.40 प्रतिशत अंक) था।

राज्य सरकार को शिक्षा तथा पूंजीगत व्यय को अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिससे आर्थिक विकास को बल मिले।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

तालिका 1.19 राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान विकास व्यय तथा विगत वर्ष के व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के संघटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
कुल व्यय	22,734	25,630	32,133*	31,312	--	34,493
विकास व्यय	15,038 (66)	16,729 (65)	22,180* (69)	20,097 (64)	27,134	22,810 (66)
(क) विकास राजस्व व्यय	12,174 (54)	13,505 (53)	15,606 (49)	16,034 (51)	22,571	17,994 (52)
(ख) विकास पूंजीगत व्यय	2,390 (11)	2,776 (11)	3,291 (10)	3,564 (11)	4,128	4,356 (13)
(ग) विकास ऋण एवं अधिग्र	474 (2)	448 (2)	3,283* (10)	499 (2)	435	460 (1)

कोष्ठकों के अंकड़ें कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

*इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम को दिए गए ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण शामिल

सकल विकास व्यय में 2014-15 से 2018-19 की अवधि में 51.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कुल व्यय में इसका अंश विगत वर्ष की अपेक्षा दो प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय का अंश औसतन 52 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान विकास राजस्व व्यय में 12.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कुल व्यय में इसका हिस्सा गत वर्ष से एक प्रतिशत बढ़ गया। यद्यपि, बजट अनुमान

की तुलना में विकास व्यय पर किया गया वास्तविक व्यय ₹ 4,324 करोड़ (16 प्रतिशत) कम रहा। यह प्राथमिक रूप से विकास राजस्व व्यय के अंतर्गत ₹ 4,577 करोड़ (सामान्य: ₹ 2,006 करोड़ व आर्थिक सेवाएं: ₹ 2,571 करोड़) का कम व्यय होने के कारण हुआ।

विकास पूंजीगत व्यय में 2014-15 से 2018-19 तक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई तथा यह वर्ष 2014-15 के ₹ 2,390 करोड़ से ₹ 1,966 करोड़ बढ़ कर वर्ष 2018-19 में ₹ 4,356 करोड़ हो गया। कुल व्यय में इसका हिस्सा गत वर्ष की अपेक्षा 2018-19 के दौरान दो प्रतिशत बढ़ गया।

तालिका 1.20: विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2017-18	31,312	सामाजिक सेवाएं	10,337	1,135	3.62	6,439 (62)	1,125 (11)
		आर्थिक सेवाएं	5,697	2,429	7.76	2,325 (41)	1,529 (27)
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)		16,034	3,564			8,764	2,654
2018-19	34,493	सामाजिक सेवाएं	11,482	1,187	3.44	6,750(59)	1,063(9)
		आर्थिक सेवाएं	6,512	3,169	9.19	2,392(37)	1,495(23)
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)		17,994	4,356			9,142	2,558

कोष्ठकों के आंकड़े क्षेत्र में राज्य व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे व वाऊचर स्तर का कम्प्यूटरीकरण डाटा।

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय में, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 311 करोड़ (5 प्रतिशत) एवं ₹ 67 करोड़ (3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय ₹ 62 करोड़ (6 प्रतिशत) घट गया और आर्थिक सेवाओं में ₹ 34 करोड़ (2 प्रतिशत) बढ़ गया।

आगे यह देखा गया कि सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का प्रतिशत अनुपात 2018-19 के दौरान क्रमशः तीन तथा नौ प्रतिशत पर सीमित हो गया। यद्यपि, वर्ष 2018-19 के दौरान आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत यह गत वर्ष की अपेक्षा 1.43 प्रतिशत बढ़ गया।

दोनों सेवाओं (सामाजिक व आर्थिक) में राजस्व व्यय (₹ 9,142 करोड़) से वेतन एवं मजदूरी का अंश 2017-18 (₹ 8,764 करोड़) की तुलना में 2018-19 में ₹ 378 करोड़ बढ़ गया। वेतन एवं मजदूरी में समाजिक क्षेत्र में 4.82 प्रतिशत तथा आर्थिक क्षेत्र में 2.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दोनों सेवाओं (सामाजिक व आर्थिक) में परिचालन एवं रखरखाव पर व्यय राजस्व व्यय के सापेक्ष 2017-18 (₹ 2,654 करोड़) की तुलना में 2018-19 (₹ 2,558 करोड़) में ₹ 96 करोड़ घट गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इससे पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता हेतु परिवर्तन के दौरान राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए। राज्य को वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित कदम उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के

दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूँजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं/कार्य

31 मार्च 2019 तक अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की विभाग-वार जानकारी वित्तीय लेखा के परिशिष्ट-IX में दर्शाई गई है जिसे तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	पूँजीगत/ कार्यों की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2019 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	06	88.90	16.36*	83.52
लोक निर्माण कार्य (भवन एवं सड़कें)	04	185.41	अनुपलब्ध	97.03
योग	10	274.31		180.55

स्रोत: वित्त लेखे।

* केवल एक पूँजीगत कार्य की संशोधित लागत।

10 अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर ₹ 180.55 करोड़ के व्यय (मार्च 2019) करने के पश्चात् परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं हुए। इन कार्यों को मार्च 2017 से मार्च 2019 के मध्य पूर्ण किया जाना था।

कार्यों के पूर्ण होने में हो रहे विलम्ब ने न सिर्फ व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभों एवं आर्थिक विकास से भी वंचित रखा।

राज्य सरकार को अपूर्ण कार्यों के समय पर पूर्णता हेतु दिशा-निर्देश बनाने चाहिए तथा चूकों को कम से कम करने एवं समय व लागत वृद्धि को राकर्ने के लिए कार्यों के निष्पादन की भौतिक व वित्तीय प्रगति की निगरानी रखनी चाहिए।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार ने संविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉफ कम्पनियों तथा सहकारी सोसायटियों में ₹ 3,849 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.22)। वर्ष 2014-19 के दौरान निवेश पर औसत प्रतिफल 6.14 प्रतिशत था जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2014-19 के दौरान अपने उधारों पर 7.76 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.22: निवेशों पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अथ शेष (₹ करोड़ में)	3,025	2,732	3,041	3,294	3,533
वर्ष के दौरान निवेश (₹ करोड़ में)	(-) 293	309	253	239	316
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	2,732	3,041	3,294	3,533	3,849
प्रतिफल * (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	171.00	111.94	289.63	255.58	181.91
प्रतिफल (प्रतिशत में)	6.26	3.68	8.79	7.23	4.73
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (ब्याज भुगतान/ विगत दो वर्षों की राजकोषीय देयताओं का औसत) (प्रतिशत में)	7.91	7.95	7.60	7.71	7.64
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत में)	1.65	4.27	(-) 1.19	0.48	2.91
लागत में अंतर(सरकारी उधारों पर ब्याज दर व निवेशों पर प्रतिफल के मध्य) (₹ करोड़ में)	45.08	129.85	लागू नहीं	16.96	112.01

स्रोत: वित्त लेखे।

*प्रतिफल, निवल वर्तमान मूल्य पर आधारित न होकर एतिहासिक लागत पर आधारित है।

विगत पांच वर्षों में, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में राज्य सरकार के उधारों की लागत तथा निवेशों के प्रतिफल में ₹ 303.90 करोड़ का अन्तर था।

राज्य सरकार के निवेश में गत वर्ष 2017-18 (₹ 3,533 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 3,849 करोड़) में 8.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निवेशों पर प्रतिफल 2017-18 (₹ 255.58 करोड़) से 2018-19 (₹ 181.91 करोड़) में 28.82 प्रतिशत घट गए। गत पांच वर्षों से लाभांश का मुख्य अशंदाता सतलुज जल विद्युत निगम सीमित रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 181.91 करोड़ के कुल लाभांश में से ₹ 179.35 करोड़ (99 प्रतिशत) सतलुज जल विद्युत निगम सीमित से प्राप्त हुए।

वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 85 प्रतिशत का निवेश, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (₹ 160 करोड़) हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 59 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 50 करोड़) में किया गया था। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित 2016-17 तक ₹ 36.87 करोड़, हिमाचल पथ परिवहन निगम 2017-18 तक ₹ 1,232.48 करोड़, तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित 2016-17 तक ₹ 2,043.84 करोड़ की हानियां संचित की थीं।

1.8.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

i. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2019 तक, 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 14,375.71 करोड़ के हुए निवेश (प्रदत्त पूँजी, तथा दीर्घावधि ऋण) तालिका 1.23 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.23 प्रदत्त शेयर पूँजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम*			सकल योग
	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील	3,562.41	9,609.62	13,172.03	879.06	244.83	1,123.89	14,295.92
अकार्यशील	19.64	60.15	79.79	0	0	0	79.79
योग	3,582.05	9,669.77	13,251.82	879.06	244.83	1,123.89	14,375.71

*हिमाचल प्रदेश वित्त निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुरक्षित निवेश आंकड़ों और वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़े जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बताया गया था, उनके मध्य अन्तर था, जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में वर्णित है। आंकड़ों के मध्य अन्तर कई सालों से बना हुआ है। राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ऐसी विसंगतियों के सुधारने के लिए आवधिक मिलान प्रारम्भ करना चाहिए।

31 मार्च 2019 तक, कुल निवेशों का 99.44 प्रतिशत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में था जबकि शेष 0.56 प्रतिशत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में था। सकल निवेश का 31.03 प्रतिशत प्रदत्त पूँजी के रूप में निवेश था, जबकि 68.97 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के रूप में था।

राज्य सरकार की लाभांश नीति (अप्रैल 2011) के अनुसार सभी लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (कल्याण व यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) कर के पश्चात् लाभ का 50 प्रतिशत सीमांकन तक, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजी पर पांच प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करेंगे। वर्ष 2018-19 के दौरान उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार, सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 34.24 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया था। न्यूनतम लाभांश से देय ₹ 3.72 करोड़ में से 2018-19 के दौरान मात्र तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग

निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित) ने ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित किया अथवा चुकाया। शेष चार कम्पनियों ने राज्य सरकार को किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया (परिशिष्ट 1.8)।

- ii. घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया है, को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय सहायता/निवेश:

राज्य सरकार ने 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (छ: घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित जिनका विवरण परिशिष्ट 1.10 में दिया गया है) में ₹ 4,328 करोड़ का निवेश किया, जिनके लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसकी परिशिष्ट 1.9 में विवेचना की गई है। लेखाओं को अंतिम रूप देने के अभाव में तथा इनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेशों को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया और निधियों को जिस प्रयोजन के लिए निवेश किया गया था, प्राप्त हुआ अथवा नहीं। अतः इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के निवेश को राज्य विधायिका की संवीक्षा से बाहर रखा गया।

राज्य सरकार भारी घाटा करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा पर विचार कर सकती है तथा जैसा भी मामला हो, उनके पुनरुद्धार या बंद करने के लिए रणनीतिक योजना बना सकती है।

1.8.2.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2019 तक आरम्भ की गई 27 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से नौ सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं (लागत ₹ 176.50 करोड़) पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थीं और सौंपी गई 18 परियोजनाएं (अनुमानित लागत ₹ 1,339.50 करोड़) कार्यान्वयन के अधीन थीं जैसा कि परिशिष्ट 1.11 में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। गत पांच वर्षों के दौरान बकाया ऋणों व अग्रिमों का तथा ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.24 में दिया गया है।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अथशेष *	1,913	2,346	2,784	6,044	6,507
वर्ष के दौरान दी गई राशि	474	463	3,290*	503	468
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	41	25	30	40	22
अंत शेष *	2,346	2,784	6,044	6,507	6,953
निवल वृद्धि	433	438	3,260	463	446
ब्याज प्राप्तियां	65	53	80	256	272
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.77	1.90	1.32	3.93	3.91
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	8.41	8.26	8.15	8.02	7.88
प्राप्त ब्याज दर और चुकाए ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत में)	(-) 5.64	(-) 6.36	(-) 6.83	(-) 4.09	(-) 3.97

स्रोत: वित्त लेखे

* 2016-17 से, अथशेष में उदय योजना के अंतर्गत डिस्काम को ऋण के रूप में दिए ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल ₹ 468 करोड़ के अग्रिम दिए गए थे, जिसमें से बड़ा भाग (₹ 415.93 करोड़) विद्युत परियोजनाओं को दिया गया था। वर्ष के दौरान मात्र ₹ 22 करोड़ की वसूली की गई। 31 मार्च 2019 तक बकाया ऋणों व अग्रिमों की कुल राशि ₹ 6,953 करोड़ थी। सरकार द्वारा उधारों पर चुकाए गए ब्याज के प्रतिशत तथा बकाया ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज के प्रतिशत के मध्य बड़ा अन्तर था। पिछले वर्षों से वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान प्राप्त ब्याज तथा चुकाए गए ब्याज के प्रतिशत के मध्य अन्तर में गिरावट (क्रमशः 4.09 तथा 3.97 प्रतिशत) उदय योजनांतर्गत डिस्कॉम को (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) दिए ऋण (2016-17) से प्राप्त ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

1.8.4 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के संचालन एवं वित्तीय दक्षता के उन्नयन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय स्थिति में बदलाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रस्तुत की (नवम्बर 2015)। राज्यों को 30 सितम्बर 2015 को 75 प्रतिशत डिस्कॉम ऋण दो वर्षों में अर्थात् डिस्कॉम ऋण का 50 प्रतिशत 2015-16 में तथा 25 प्रतिशत 2016-17 में लेना था।

चुकौती कार्यक्रम के अनुसार डिस्कॉम द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को मूलधन की चुकौती के साथ ही ब्याज को, चुकाने का दायित्व होगा (हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उदय योजना के तहत बॉण्ड-धारकों को मूल तथा ब्याज भुगतान तिथि के 15 दिन पूर्व)। देय तिथि पर मूलधन/ब्याज का भुगतान करने में डिस्कॉम के असफल होने की स्थिति में, डिस्कॉम को विलम्बित अवधि हेतु चूक की राशि (डिफॉल्ट राशि) पर दो प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा।

उदय बॉण्डों ने प्रतिवर्ष 7.88 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज लिया। इन बॉण्डों के पास मूलधन चुकाने हेतु पांच वर्षों की ऋण-स्थगन अवधि है तथा चुकौती 2022-23 से प्रारंभ होगी। मूलधन को 2031-32 तक ₹ 289.05 करोड़ प्रति वर्ष की 10 बराबर किश्तों में चुकाया जाना है। ₹ 227.78 करोड़ की वार्षिक ब्याज देयता वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हो कर प्रति वर्ष 28 अगस्त तथा 28 फरवरी में अर्ध-वार्षिक आधार पर देय होगी।

हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2016-17 में डिस्कॉम के 30 सितम्बर 2015 तक के सम्पूर्ण बकाया ऋण (₹ 3,854 करोड़) के 75 प्रतिशत (₹ 2,890.50 करोड़) को ग्रहण करने के लिए भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (डिस्कॉम) के मध्य 08 दिसम्बर 2016 को त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन किया। त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय बॉण्ड (7.88 प्रतिशत) जारी करके ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि का धन जुटाया और 2016-17 के दौरान इन निधियों को डिस्कॉम को हस्तांतरित कर दिया। डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का यह ऋण, वर्ष 2020-21 में अनुदानों (₹ 2,167.50 करोड़) तथा इक्विटी (₹ 723 करोड़) में रूपांतरित होना है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से ब्याज के रूप में ₹ 227.78 करोड़ की वसूली की तथा बांड धारकों को ₹ 227.78 करोड़ संवितरित किए।

1.8.5 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में नकद शेष में से किए गए निवेशों व नकद शेष के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.25 में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2019 तक	वृद्धि (+) / कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागरों में नकद	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	शून्य	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 540.68	(-) 49.58	491.10
योग	(-) 540.68	(-) 49.58	
नकद शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	723.72	102.09	(-) 621.63
योग (क)	183.04	52.51	(-) 130.53
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला कलेक्टर आदि के पास नकद	0.16	0.16	शून्य
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	शून्य
चिन्हित निधियों का निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
योग (ख)	0.19	0.19	शून्य
योग (क+ख)	183.23	52.70	(-) 130.53

वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार का नकद शेष वर्ष 2017-18 के ₹ 183.23 करोड़ से ₹ 130.53 करोड़ गिर कर वर्ष 2018-19 में ₹ 52.70 करोड़ पर पहुंच गया। नकद शेष से किया गया निवेश ₹ 723.72 करोड़ से घट कर ₹ 102.09 करोड़ रह गया। 2018-19 के दौरान नकद शेष निवेश से वसूला गया ₹ 66.90 करोड़ का ब्याज वर्ष 2017-18 के दौरान वसूली किए गए ₹ 81.13 करोड़ के ब्याज की तुलना में ₹ 14.23 करोड़ घट गया।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा, 1 फरवरी 2016 से ₹ 550 करोड़ की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने की एवज में विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार 346 दिनों तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पाई। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 19 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिमों से ₹ 1,495.93 करोड़ लेने पड़े जिनकी अदायगी कर दी गई थी तथा वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर कोई अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष बकाया नहीं थे।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संघटक एवं वृद्धि

सरकार की विद्यमान लेखांकन प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखांकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी ही 31 मार्च 2019 तक के देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के 31 मार्च 2018 के तदनुरूपी तुलनात्मक स्थिति के सार को परिशिष्ट 1.4 (भाग-ख) में दर्शाया गया है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2018-19 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,899.03 करोड़ (11.93 प्रतिशत) बढ़ीं जबकि देयताएं ₹ 3,382 करोड़ (6.57 प्रतिशत) बढ़ीं। देयताओं के सापेक्ष वित्तीय परिसम्पत्तियों का अनुपात 2017-18 के 80 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 84 प्रतिशत हो गया।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं


राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं (मुख्य रूप से आन्तरिक उधारियां, भारत सरकार से ऋण व अग्रिम मिलाकर) तथा लोक लेखा देयताएं (लोक लेखा के शेष) शामिल होती हैं।

विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2018-19 के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को तालिका 1.26 तथा चार्ट 1.13 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: 2014-15 से 2018-19 तक कुल राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति

राजकोषीय देयताओं के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	24,658	26,861	31,494	33,591	35,363
केन्द्र सरकार से ऋण (₹ करोड़ में)	1,071	1,049	1,076	1,079	1,062
लोक लेखा देयताएं (₹ करोड़ में)	12,463	13,287	14,674	16,360	17,874
योग	38,192	41,197	47,244	51,030	54,299
वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.71	7.87	14.68	8.01	6.41
राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.37	0.36	0.38	0.37	0.36
राजस्व प्राप्तियां	2.14	1.76	1.80	1.86	1.75
स्वयं के संसाधन	4.76	4.83	5.40	5.39	5.22
राजकोषीय देयताओं की उत्पावकता					
सकल राज्य धरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.34	0.78	1.54	0.88	0.57
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.94	0.25	1.22	1.91	0.49
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	0.79	1.23	5.62	0.98	0.65

चार्ट 1.13: बकाया राजकोषीय देयताओं के संघटक (2014-19) (₹ करोड़ में)



वर्ष 2018-19 के दौरान (चार्ट 1.13), समेकित निधि देयताओं (₹ 36,425 करोड़) में, बाजार ऋण (₹ 23,682 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1,062 करोड़) एवं अन्य ऋण (भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूति के ₹ 6,097 करोड़ सहित ₹ 11,681 करोड़) सम्मिलित थे तथा लोक लेखा देयताओं (₹ 17,874 करोड़) में लघु बचतें व भविष्य निधियां आदि (₹ 14,349 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं व ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 3,207 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 318 करोड़) सम्मिलित थीं।

राज्य की सकल राजकोषीय देयताएं 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2014-15 के ₹ 38,192 करोड़ से ₹ 16,107 करोड़ बढ़ कर वर्ष 2018-19 में ₹ 54,299 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण आन्तरिक ऋण (₹ 10,705 करोड़) तथा लोक लेखा देयताओं (₹ 5,411 करोड़) में वृद्धि थी। ये देयताएं 2018-19 की समाप्ति पर राजस्व प्राप्तियों के 1.75 गुणा तथा स्वयं के राजस्व संसाधनों की 5.22 गुणा थीं। राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर में 2016-17 के 14.68 प्रतिशत से 2018-19 के 6.41 प्रतिशत तक निरंतर गिरावट पाई गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं के अनुपात में भी 2016-17 के 38 प्रतिशत से 2018-19 में 36 प्रतिशत की घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, किन्तु यह फिर भी 14 वें वित्त आयोग के अनुशंसित मानदण्डों (31.99 प्रतिशत) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों (35 प्रतिशत) से उच्च थी।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

वर्ष 2018-19 की शुरूआत में, आरक्षित निधि ₹ 325.03 करोड़ थी। 2018-19 के दौरान ₹ 500.34 करोड़ जमा हुए तथा ₹ 507.77 करोड़ का संवितरण हुआ, 31 मार्च 2019 तक ₹ 317.60 करोड़ (जमा) का अंत शेष था। इसमें से ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि ₹ 1 करोड़ (जमा) ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियां ₹ 316.60 करोड़ (जमा) थीं।

12 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों से अपेक्षित था कि वे दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का सृजन करें, जो हैं (i) बकाया देयताओं के ऋण शोधन तथा उनके द्वारा मुक्त बाजार से प्राप्त ऋणों की ऋण मुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि तथा (ii) प्रदत्त प्रत्याभूतियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताएं की पूर्ति हेतु प्रत्याभूति विमोच्य निधि। इन निधियों की स्थिति निम्नांतर्गत दर्शाई गई है:

1.9.3.1 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से निधि (समेकित ऋण शोधन) में वार्षिक अंशदान करे। तथापि राज्य सरकार ने कोई भी समेकित ऋणशोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार की बकाया देयताएं ₹ 51,030 करोड़ थीं। यदि समेकित ऋण शोधन निधि होती तो 2018-19 में निधि के प्रति राज्य सरकार की देयता ₹ 255.15 करोड़ (गत वर्ष की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) होती जो दर्शाती है कि राजस्व अधिशेष में इस सीमा तक अत्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

1.9.3.2 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान से इस निधि का गठन करे तथापि राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी कोई निधि गठित नहीं की है। फलतः, 31 मार्च 2019 तक राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 21.97 करोड़ की सीमा तक न्यूनोक्ति हुई।

1.9.3.3 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

13वें वित्त आयोग ने अनुशंसाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु निधियों का प्रावधान किया था। दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्र तथा राज्य सरकारों से 90:10 के आनुपातिक भाग में निधियों का अंशदान अपेक्षित है। इस सम्बंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि शेष निधियों को निर्दिष्ट निमित्तों में निवेश करना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अव्ययित शेषों पर अधिविकर्ष पर लागू दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करना राज्य सरकार से भी अपेक्षित है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु केन्द्र सरकार से अंशदान के रूप में ₹ 245.70 करोड़ (90 प्रतिशत) प्राप्त किए। राज्य सरकार ने इस अंशदान में स्वयं के ₹ 27.35 करोड़ के हिस्से के प्रति ₹ 26.00 करोड़ अवमुक्त किए। 31 मार्च 2019 तक ₹ 281.53 करोड़ के कुल कोष (₹ 8.48 करोड़ के अथशेष में प्रमुख शीर्ष 2245-राहत से हस्तांतरित ₹ 273.05 करोड़ सहित) में से राज्य सरकार ने ₹ 1 करोड़ निधि में छोड़ते हुए प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय में ₹ 280.53 करोड़ समायोजित किए।

दिशा-निर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में उपलब्ध निधि से अधिक व्यय की आवश्यकता होती है तो वे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से तत्काल राहत सहायता प्राप्त करे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत ₹ 227.29 करोड़ प्राप्त किए तथा 31 मार्च 2019 तक निधि में ₹ 0.92 करोड़ की अव्ययित निधियों (₹ 0.87 करोड़ का अथशेष + ₹ 227.29 करोड़ - ₹ 227.24 करोड़) को छोड़ते हुए ₹ 227.24 करोड़ का व्यय किया।

31 मार्च 2019 तक, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के शेष ₹ 1.92 करोड़ (₹ 1.00 करोड़ + ₹ 0.92 करोड़) निवेशित नहीं किए थे। यदि इन निधियों को सरकार द्वारा निवेश किया होता तो ₹ 0.15 करोड़ का ब्याज अर्जित किया होता।



1.9.4 आकस्मिक देयताएं

1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति

यदि ऋणी जिसकी राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो वे गारंटियां⁴ आकस्मिक देयतायें हैं।

⁴ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें।

वित्त लेखे के विवरणी-20 के अनुसार विगत पांच वर्षों की बकाया गारंटियां तथा राजस्व प्राप्तियों से उनका प्रतिशत चार्ट 1.14 व 1.15 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के दौरान (2018-19) कोई गारंटी आमंत्रित नहीं की गई थी। 31 मार्च 2019 तक वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया गारंटी की राशि ₹ 4,309 करोड़ थी। यद्यपि, ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे अद्यतन नहीं थे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं राज्य सरकार ने आंकड़ों का मिलान नहीं किया था, इसलिए वित्त लेखों में दर्शाए आंकड़ों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों के मध्य ₹ 9.24 करोड़ का अन्तर पाया गया (परिशिष्ट 1.7)। वे मुख्य प्राप्तकर्ता, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई, वे थे- विद्युत (₹ 3,690.50 करोड़), सहकारी बैंक (₹ 288.29 करोड़), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 187.29 करोड़) इत्यादि। वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर अधिकतम गारंटी राशि (₹ 4,309 करोड़)

राज्य के विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की 15.7 प्रतिशत रही, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्यों के भीतर थी।

1.10 ऋण प्रबंधन

तालिका 1.27 विगत पांच वर्षों हेतु राज्य सरकार की ऋण रूपरेखा का समय-श्रृंखला विश्लेषण देती है।

तालिका 1.27: 31 मार्च 2019 तक ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)



क्रमांक	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आंतरिक ऋण	24,658 (96)	26,861 (96)	31,494(97)	33,591(97)	35,363(97)
	(i) बाजार ऋण	15,196 (59)	16,860(60)	19,023(59)	21,574(62)	23,682(65)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	285 (1)	--	--	--	--
	(iii) अधिविकर्ष	249 (1)	--	--	--	--
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,252 (9)	2,350(8)	5,321(16)	5,382(16)	5,584(15)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां	6,676 (26)	7,651(28)	7,150(22)	6,635(19)	6,097(17)
2.	भारत सरकार से ऋण	1,071 (4)	1,049(4)	1,076(3)	1,079(3)	1,062(3)
कुल लोक ऋण:		25,729	27,910	32,570	34,671*	36,425
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
0 - 1		2,046 (8)	2,268(8)	3,096(9)	3,181(9)	3,257 (9)
1 - 3		4,837(19)	6,236(22)	5,729(18)	4,644(13)	5,726(16)
3 - 5		4,929(19)	4,331(16)	4,279(13)	5,043(15)	6,415(17)
5 - 7		3,192(12)	4,339(16)	4,952(15)	6,469(19)	6,586(18)
7 या उससे ऊपर		10,725(42)	10,736(38)	14,514(45)	15,334(44)	14,441(40)

* ₹ 34,671 करोड़ = ₹ 33,591.47 करोड़ (आंतरिक ऋण) + ₹ 1,079.43 करोड़ (भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम)

कोषक में आंकड़े कुल लोक ऋण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

कुल लोक ऋण 2014-15 के ₹ 25,729 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 36,425 करोड़ हो गया जिसकी वार्षिक औसत वृद्धि दर 9.60 प्रतिशत दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2014-15 के 59 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 65 प्रतिशत हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2018-19) के दौरान कुल लोक ऋण पांच प्रतिशत बढ़ गया।

2014-15 से 2018-19 के दौरान लिए गए तथा चुकाए किए गए बाजार ऋण का संघटन **चार्ट 1.17** व **1.18** में दिया गया है:



ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता को सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता⁵ को निर्धारित करते हैं। पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक राज्य की ऋण धारणीयता सूचकों के प्रवाहों का विश्लेषण तालिका 1.28 में दिया गया है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया लोक ऋण (₹ करोड़ में)	25,729	27,910	32,570	34,671	36,425
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.33	8.48	16.70	6.45	5.06
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	103,772	114,239	125,122	136,542	151,835
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	24.79	24.43	26.03	25.39	23.99
ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,029	2,244	2,459	2,829	2,958
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (ब्याज भुगतान/लोक ऋण का अथ शेष+ लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)	8.31	8.37	8.13	8.41	8.32
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	11.37	9.57	9.36	10.34	9.56
लोक ऋण चुकौती (अर्थोंपाय अग्रिम सहित) (₹ करोड़ में)	8,260	3,948	3,943	3,500	4,673
लोक ऋण प्राप्तियां (अर्थोंपाय अग्रिम सहित) (₹ करोड़ में)	10,877	6,129	8,603	5,600	6,427
लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण चुकौतियों की प्रतिशतता	75.94	64.42	45.83	62.50	72.71
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण *(₹ करोड़ में)	588	(-) 63	2,201	(-) 729	(-) 1,204

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे

* राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की गई।

ऋण धारणीयता का विश्लेषण ई.डी. डोमर⁶ (डोमर, 1944) के एक अध्ययन के आधार पर किया गया। डोमर मॉडल के अनुसार लोक ऋणग्रस्तता में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकार के ऋणों की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोक ऋण की गतिशीलता, ब्याज दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तथा आरंभिक प्राथमिक बजट शेष पर निर्भर करती है जो इस प्रकार है:

जी-आर (जी- वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर -वास्तविक ब्याज दर)	एस < शून्य (प्राथमिक घाटा)	एस > शून्य (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर > शून्य (मजबूत आर्थिक विकास)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर में स्थिर हो जाएगा।	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण लोक बचतों की ओर अग्रसर होते हुए शून्य के नीचे एक स्तर पर स्थिर हो जाएगा।
जी-आर < शून्य (धीमा आर्थिक विकास)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण स्थिर हुए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ता रहेगा।	अनिर्धारित स्थिति

⁵ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

⁶ डोमर मॉडल ऋण स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा, संघटन और जोखिम लक्षणों पर काम नहीं करता है।

विश्लेषण को हिमाचल प्रदेश पर लागू करने के परिणाम नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:


वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	जी-आर	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
2014-15	7.48	2.86	4.62	(-) 1,351	जी-आर > शून्य एवं एस < शून्य; लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर पर स्थिर हो जाएगा
2015-16	8.10	5.74	2.36	990	जी-आर > शून्य एवं एस > शून्य; लोक ऋण बचतें करते हुए शून्य से कम स्तर पर स्थिर हो जाएगा।
2016-17	7.03	2.21	4.82	441	
2017-18	6.51	4.11	2.40	(-) 82	जी-आर > शून्य एवं एस < शून्य; लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर पर स्थिर हो जाएगा।
2018-19	7.29	9.69	(-) 2.40	510	जी-आर < शून्य एवं एस > शून्य; अनिर्धारित स्थिति

वास्तविक विकास दर वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर संगणित की गई है।
वास्तविक ब्याज दर में मुद्रास्फिति समायोजन के पश्चात् सामान्य ब्याज दर है।


14वें वित्त आयोग के लक्ष्य के अनुसार ऋण सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 31.99 प्रतिशत थी तथा राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत थी। मानदण्डात्मक लक्ष्यों से राज्य के ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक था तथा राजकोषीय घाटे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात मानदण्डात्मक लक्ष्यों से कम था।

वर्ष 2018-19 की अवधि को छोड़कर ढोमर अन्तर (डोमर गैप)(जी-आर) 2014-15 से 2017-18 के सभी वर्षों में धनात्मक रही। यद्यपि, वर्ष के दौरान राज्य का प्राथमिक अधिशेष था। इस प्रकार ढोमर मॉडल के अनुसार लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार वर्ष 2014-18 की अवधि के दौरान पूर्ण कर लिए थे। यह इस तथ्य से पता चलता है कि विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ऋण अनुपात लगभग 24 से 26 प्रतिशत थे तथा स्थिर रहे।


फिर भी अन्य कारक जैसे कि लोक लेखा देयताएं एवं वर्तमान कोरोना वायरस संकट जैसी अप्रत्याशित घटनाएँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इसके प्रभाव, और/या राजस्व की अन्य कोई असूचीबद्ध हानियां, जिनका सांख्यिकीय अनुमान अथवा निर्धारण नहीं किया जा सकता, उनकी भी राज्य की ऋण धारणीयता/स्थिरता के आंकलन में गणना होनी चाहिए; अतः इन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।



यह दर्शाता है कि लोक ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत तीन वर्षों में लगातार घट रहा था।



यह दर्शाता है कि ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 9-11 प्रतिशत था।




- बकाया लोक ऋण की तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2014-19 के दौरान अंतर वर्षीय विचलन दर्शाती है। गत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान बकाया ऋण की वृद्धि दर 1.39 प्रतिशत अंक घट गई जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2.07 प्रतिशत बढ़ गई। 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में लोक ऋण में उच्च दर पर वार्षिक वृद्धि हुई।
- 2014-19 के दौरान बकाया ऋण की औसत ब्याज दर लगभग स्थिर रही तथा वर्ष 2018-19 के दौरान 8.32 प्रतिशत रही।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2017-18 के 10.34 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 9.56 प्रतिशत हो गया।
- 2014-19 के दौरान ऋण प्राप्तियों का 45.83 से 75.94 प्रतिशत चुकौतियों के लिए प्रयुक्त किया गया। 2018-19 के दौरान, 72.71 प्रतिशत उधारीकृत निधियों का उपयोग, मौजूदा देयताओं के निर्वहन में किया गया।
- 2014-19 के दौरान, ब्याज और चुकौती करने के पश्चात्, भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक कर्ज, ऋण व अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों के माध्यम से उपलब्ध शुद्ध निधियों में ऋणात्मक ₹ 63 करोड़ तथा धनात्मक ₹ 2,201 करोड़ के मध्य की भिन्नता पाई गई। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य को उपलब्ध निवल ऋण ऋणात्मक ₹ 1,204 करोड़ था।

ऋण चुकौती सारणी (मूल तथा ब्याज)


लोक ऋण तथा बाजार ऋणों की उदय बांड के साथ चुकौती सारणी

राज्य के लोक ऋण एवं बाजार ऋणों की उदय बांड के साथ चुकौती सारणियों को चार्ट 1.23 व 1.24 में नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 1.23: लोक ऋण की चुकौती सारणी (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.24: उदय बॉड के साथ बाजार ऋणों की चुकौती सारणी (₹ करोड़ में)



टिप्पणी: (i) परिपक्वता रूपरेखा 31 मार्च 2019 तक बकाया लोक ऋणों हेतु दर्शाई गई है तथा ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऋण मुक्त होने वाले हैं, तक 8.31 प्रतिशत (2014-19 के दौरान बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर) से की गई है।

(ii) परिपक्वता रूपरेखा को 31 मार्च 2019 तक बकाया बाजार ऋणों हेतु दिखाया गया है तथा ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऋण मुक्त होने वाले हैं, तक की गई है।

लोक ऋण देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा (चार्ट 1.23) दर्शाती है कि राज्य को अगले पांच वित्तीय वर्षों में यानि 2023-24 तक ₹ 27,992.97 करोड़ के लोक ऋण (मूलधन: ₹ 15,398.35 करोड़ व ब्याज: ₹ 12,594.62 करोड़) की अदायगी करनी है। इसमें से ₹ 21,237.84 करोड़ (मूलधन: ₹ 12,515.20 करोड़ व ब्याज: ₹ 8,722.66 करोड़) यानि 75.87 प्रतिशत बाजार ऋणों तथा उदय बॉड (चार्ट 1.24) के चुकाने हैं। आगामी पांच वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2028-29 तक, ₹ 24,120.62 करोड़ की लोक ऋण देयताएं (मूलधन: ₹ 18,510.91 करोड़ व ब्याज: ₹ 5,609.71 करोड़) तथा बाजार ऋणों व उदय बॉड के ₹ 16,288.77 करोड़ (मूलधन: ₹ 12,490.25 करोड़ व ब्याज: ₹ 3,798.52 करोड़) चुकाने योग्य हो जाएंगे। इस प्रकार, आने वाले दस वर्षों में, ₹ 26,573 करोड़ के कुल बकाया बाजार ऋणों एवं उदय बॉड में से, राज्य को बाजार ऋणों एवं उदय बॉड का मूलधन ₹ 25,005 करोड़ (94.10 प्रतिशत) तथा ₹ 12,521 करोड़ राशि का ब्याज चुकाना होगा।

राज्य की प्राप्ति व व्यय आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि विगत पांच वर्षों में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 14.85 प्रतिशत की तथा राजस्व व्यय में 11.19 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। इस वृद्धि दर को लागू करते हुए, राज्य को वर्ष 2020-21 में ₹ 4,424.89 करोड़ के राजस्व अधिशेष का प्राक्कलन किया है। क्योंकि राज्य वर्ष 2020-21 में ₹ 2,167.50 करोड़ के उदय बॉड को सहायता-अनुदान में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है, राजस्व अधिशेष में ₹ 2,257.39 करोड़ की गिरावट होगी। इसके अतिरिक्त, इसी वर्ष (2020-21) के दौरान, राज्य के ऊपर ₹ 5,648.65 करोड़ की लोक ऋण देयताएं

(मूलधन व ब्याज) होगी। अतः राज्य को अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधारियों का सहारा लेना होगा।

उपरोक्त विश्लेषण में यह माना गया है कि राज्य के पास विगत पांच वर्षों के वास्तविक आंकड़े पर आधारित प्राक्कलनों के अनुसार राजस्व अधिशेष होगा। यद्यपि, विगत पांच वर्षों में से चार में, राज्य सरकार अपने इसके बजट प्राक्कलनों में राजस्व घाटे का अनुमान लगाया था जबकि वास्तविकता में राजस्व अधिशेष हुआ। राज्य की मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि हेतु राजस्व घाटों⁷ का अनुमान लगाया है। वर्ष 2020-21 में राज्य ने ₹ 684 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। यदि राज्य की मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित राजस्व घाटा होता है, तो ₹ 2,167.50 करोड़ के उदय बांड को सहायता अनुदान में परिवर्तित करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के पश्चात राजस्व घाटा ₹ 2,851.50 करोड़ हो जाएगा। राज्य को वर्ष 2020-21 में अपनी ₹ 5,648.65 करोड़ (मूलधन व ब्याज) की लोक ऋण देयताओं तक को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधार लेना पड़ेगा।

उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति

2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु पूर्व उधारों, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय चुकाने के लिए उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति का वर्णन तालिका 1.29 में दिया गया है:

तालिका 1.29: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार	पूर्व उधारों की चुकौती (मूलधन)	निवल पूंजीगत व्यय*	निवल ऋण व अग्रिम संवितरित	राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त कुल उधारों का भाग
1.	2.	3.	4.	5	6 {2-(3+4+5)}
2014-15	10,877	8,260(76)	1,823(17)	433(04)	361(3)
2015-16	6,129	3,948(64)	2,181(36)	लागू नहीं	लागू नहीं
2016-17	8,603	3,943(46)	3,499(41)	1,161(13)	लागू नहीं
2017-18	5,600	3,500(63)	2,100(37)	लागू नहीं	लागू नहीं
2018-19	6,427	4,673(73)	1,754(27)	लागू नहीं	लागू नहीं

*निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वर्ष 2014-15 की अवधि के अतिरिक्त ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थी तथा उधारों में से ₹ 361 करोड़ की राशि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई।

⁷ 2019-20: ₹ 4,007 करोड़, 2020-21: ₹ 684 करोड़, 2021-22: ₹ 824 करोड़, 2022-23: ₹ 5,163 करोड़, 2023-24: ₹ 6,443 करोड़।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय मापदंड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा-एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन की विवेकशीलता का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये संसाधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह प्रवर्ग इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियाँ

2014-19 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) की प्रवृत्तियों को तालिका 1.30 व चार्ट 1.25 एवं 1.26 में दर्शाया गया है:


तालिका 1.30: घाटों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)


	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
घाटे					
राजस्व घाटा (-) अथवा राजस्व अधिशेष (+)	(-1,944	1,137	920	314	1,508
राजकोषीय घाटा	4,200	2,165	2,948*	3,870	3,512
प्राथमिक घाटा (-) अथवा अधिशेष (+)	(-1,351	990	411	(-) 82	510
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.87	1.00	0.74	0.23	0.99
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4.05	1.90	2.36	2.83	2.31
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.30	0.87	0.33	(-) 0.06	0.34

* उदय स्कीम के अन्तर्गत राज्य द्वारा वहन किये गये, राज्य कर्जा वितरण कम्पनियों डिस्कॉम्स से सम्बन्धित ऋण को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं के बाद के राजकोषीय घाटे की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

चार्ट 1.25: घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.26: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ (आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में)



राजस्व अधिशेष

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य के अन्तर को प्रस्तुत करता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहयोग करता है। राजस्व अधिशेष, 2017-18 के दौरान ₹ 314 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 1,508 करोड़ हो गया। प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की उच्च प्रतिशतता, राज्य द्वारा व्यय सम्बंधित निर्णयों की गतिशीलता को कम करती है तथा दर्शाती है कि राज्य के पास आवश्यक प्रतिबद्ध व्ययों के पश्चात् सीमित राजस्व उपलब्ध है। अतः राज्य सरकार को इस तरह के प्रतिबद्ध व्यय को कम करने और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यय पक्ष पर मध्यावधि में सुधार करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार की शुद्ध वृद्धिशील देयताओं तथा इसके अतिरिक्त उधारों का प्रतिनिधित्व करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाहरी) द्वारा या फिर लोक लेखा के अधिशेष निधि के उपयोग से पूरा किया जाता है। 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 3,512 करोड़) गतवर्ष से (₹ 3,870 करोड़) ₹ 358 करोड़ घट गया।

प्राथमिक घाटा

सामान्यतः: राजकोषीय घाटा, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को दर्शाता है जब राज्यों के राजस्व लेखा में घाटा होने की स्थिति में व्याज भुगतानों के वित्तोषण हेतु इस तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्याज भुगतान पूर्ववर्ती दायित्वों के व्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा चल रहे व्यय से स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान प्रकृति के असंतुलन को देखने के लिए इन भुगतानों को कुल असंतुलन से पृथक करने और कटौती करने की आवश्यकता है। राज्य की चालू वित्तीय स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए प्राथमिक घाटा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। यदि प्राथमिक घाटा है, तब इसका तात्पर्य है कि व्याज बाहर निकालने के बाद भी राज्य में घाटे की अवस्था है, अपने उधारों पर व्याज भुगतान करने के लिए भी इसे उधार लेना पड़ेगा। यह मापदण्ड अंतर वर्षीय विचलन दर्शाते हैं: 2014-15 व 2017-18 के दौरान प्राथमिक घाटा (₹ 1,351 करोड़ व ₹ 82 करोड़), 2015-16 (₹ 990 करोड़), 2016-17 (₹ 411 करोड़) एवं 2018-19 (₹ 510 करोड़) में प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया कि समेकित ऋण शोधन निधि एवं प्रत्याभूति विमोच्च निधि में अंशदान न होने से, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि पर व्याज का भुगतान न होने से तथा व्यय हेतु सहायता अनुदान का व्यय/संवितरण पूंजीगत शीर्ष से होने से राजस्व अधिशेष में ₹ 277.76 करोड़ की अत्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 277.76 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जिसे नीचे तालिका 1.31 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.31: प्रभावी राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

अल्प अंतरण/अंशदान के विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	निवल प्रभाव लेने के पूर्व अनुपात		निवल प्रभाव लेने के पश्चात् अनुपात	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	राजस्व अधिशेष/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राजस्व अधिशेष/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद
समेकित ऋण शोधन निधि में गैर-अंशदान	255.15	255.15	0.99	2.31	0.81	2.50
प्रत्याभूति विमोच्य निधि में गैर-अंशदान	21.97	21.97				
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि पर व्याज का भुगतान	0.15	0.15				
राजस्व शीर्षों के बजाय पूँजीगत शीर्षों से सहायता अनुदान के संवितरण (अनुदान संख्या 31 जनजातीय विकास) का गलत वर्णकरण	0.49	0.49				
योग	277.76	277.76				

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व अधिशेष में 0.18 प्रतिशत बिंदू की अत्योक्ति हुई तथा राजकोषीय घाटे में 0.19 प्रतिशत बिंदू की न्यूनोक्ति हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.32 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.32: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसका वित्तीय स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटे के संघटक						
1	राजस्व घाटा या अधिशेष	(-) 1,944	1,137	920	314	1,508
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 1,823	(-) 2,865	(-) 3,499	(-) 3,721	(-) 4,574
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 433	(-) 437	(-) 3,260	(-) 463	(-) 446
राजकोषीय घाटे का वित्तीय स्वरूप*						
1	बाजार उधार	1,631	1,664	2,163	2,551	2,108
2	भारत सरकार से ऋण	59	(-) 22	27	3	(-) 18
3	राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	904	975	(-) 500	(-) 515	(-) 538
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	24	(-) 436	80 [#]	61	202
5	लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,185	718	1,205	1,392	1,113
6	निक्षेप एवं अग्रिम	504	115	181	189	409
7	उचन्त एवं विविध	28	(-) 590	(-) 274	(-) 119	1
8	प्रेषण	12	148	(-) 35	69	112
9	अन्य	(-) 147	(-) 407	101	239	123
10	समग्र अधिशेष(+) / घाटा(-)	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]	(-) 3,870	(-) 3,512

* ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

2018-19 में राजकोषीय घाटा (₹ 3,512 करोड़) मुख्यतः बाजार के उधारों (60 प्रतिशत) तथा लघु बचतों, भविष्य निधियां आदि (32 प्रतिशत) के माध्यम से प्रबंधित किया गया था।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां वर्तमान उपभोग हेतु प्रयुक्त की गई। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा है तथा उधारों के कुछ भाग (राजकोषीय देयताएं) के लिए कोई परिसम्पत्ति नहीं है। 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.46 रहा जबकि 2015-19 के दौरान राज्य ने ₹ 1,137 करोड़, (2015-16), ₹ 920 करोड़ (2016-17), ₹ 314 करोड़ (2017-18) एवं ₹ 1,508 करोड़ (2018-19) के राजस्व अधिशेष की अनूभुति की (परिशिष्ट 1.3)।

प्राथमिक घाटे के द्विभाजक कारक दर्शाते हैं कि पूँजीगत व्यय (जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को सुधारने हेतु वांछनीय हो) में वृद्धि होने के कारण घाटा किस सीमा तक प्रभावित हुआ है। 2014-19 की अवधि के दौरान द्विभाजक कारक जो राज्य सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणत हुए वे तालिका 1.33 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.33: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व अधिशेष	प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)
1.	2.	3	4.	5.	6.	7. (4+5+6)	8. (3-4)	9. (2-7)
2014-15	18,534	17,843	16,938	2,473	474	19,885	905	(-) 1,351
2015-16	23,466	23,440	19,149	2,864	463	22,476	4,291	990
2016-17	26,294	26,264	21,985	3,499	399	25,883	4,279	411
2017-18	27,442	27,367	23,265	3,756	503	27,524	4,102	(-) 82
2018-19	30,981	30,950	25,420	4,583	468	30,471	5,530	510

- राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियां एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां शामिल थीं, जो 2014-15 के ₹ 18,534 करोड़ से 67.16 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 30,981 करोड़ हो गई जो प्राथमिक व्यय को पूरा करने में पर्याप्त थी।
- 2014-15 (₹ 905 करोड़) तथा 2017-18 (₹ 4,102 करोड़) के दौरान प्राथमिक राजस्व अधिशेष पूँजीगत लेखों के तहत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था इसके परिणामस्वरूप इन अवधियों के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

- यद्यपि, 2015–16 व 2016–17 व 2018–19 के दौरान हुआ प्राथमिक अधिशेष 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अंतरणों के भारी विचलन के कारण राज्य की प्राप्तियों में वृद्धि से हुआ; जो प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।

तालिका 1.34: 2014–19 के दौरान राजकोषीय घाटे के संघटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
	राजकोषीय घाटे की संरचना	(–) 4,200	(–) 2,165	(–) 2,948	(–) 3,870	(–) 3,512
1	राजस्व घाटा	(–) 1,944 (46.29)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	निवल पूंजीगत व्यय	(–) 1,823 (43.40)	(–) 1,728 (79.81)	(–) 2,579 (87.48)	(–) 3,407 (88.04)	(–) 3,066 (87.30)
3	निवल ऋण व अग्रिम	(–) 433 (10.31)	(–) 437 (20.19)	(–) 369 (12.52)	(–) 463 (11.96)	(–) 446 (12.70)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजकोषीय घाटे में अंशदान को दर्शाते हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान 87 प्रतिशत राजकोषीय घाटा निवल पूंजीगत व्यय के कारण हुआ। राजकोषीय घाटे हेतु निवल पूंजीगत व्यय की भागीदारी 2014–15 के 43.40 प्रतिशत से बढ़कर 2017–18 में 88.04 प्रतिशत की बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाती है, परंतु 2018–19 में 1 प्रतिशत से थोड़ी घट गई थी, जबकि ऋणों व अग्रिमों की भागीदारी 2014–15 के 10.31 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 12.70 प्रतिशत हो गई।

1.12 मुख्य विशेषताएं

वर्ष 2018–19 में राज्य वित्त के महत्वपूर्ण तत्वों का सारांश नीचे दिया गया है।

तालिका 1.35: महत्वपूर्ण मापदण्ड

सकारात्मक सूचक	वे मापदंड जिन्हें कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।
↑ कर भिन्न राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि	↑ स्वयं के कर राजस्व में मात्र 7 प्रतिशत की वृद्धि
↑ पूंजीगत व्यय में 22 प्रतिशत की वृद्धि	↓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों में 45 प्रतिशत की कमी
↑ राजस्व अधिशेष में ₹ 1,194 करोड़ की वृद्धि	↑ उधासियों में वृद्धि 60 प्रतिशत लोक ऋण (मूलधन) को 7 वर्षों के भीतर चुकाना
↑ ₹ 82 करोड़ का प्राथमिक घाटा ₹ 510 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हुआ।	↑ उधार की गई निधियों के 72.71 प्रतिशत का उपयोग मौजूदा देयताओं को पूरा करने में किया जाना।
↓ राजकोषीय घाटे में ₹ 358 करोड़ की कमी	↓ विकास व्यय पर वास्तविक व्यय बजट प्राक्कलनों से ₹ 4,324 करोड़ (16 प्रतिशत) कम हुआ

1.13 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से तैयार करके राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं।

1.14 निष्कर्ष

राज्य ने 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया है। राज्य 2014-15 के दौरान राजस्व घाटे में रहा; तत्पश्चात् 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय विचलनों में वृद्धि के कारण राज्य ने राजस्व अधिशेष को अनुरक्षित किया। तथापि राजस्व अधिशेष में 2015-18 के दौरान लगातार गिरावट हुई; ₹ 1,137 करोड़ (2015-16), ₹ 920 करोड़ (2016-17) तथा ₹ 314 करोड़ (2017-18); 2018-19 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1,508 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 3,512 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.31 प्रतिशत रहा। 2017-18 का ₹ 82 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2018-19 में ₹ 510 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्राक्कलित लक्ष्यों तथा राजस्व घाटा/ अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक आंकड़ों के मध्य बड़ा अन्तर पाया गया।

2018-19 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 30,950 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 27,367 करोड़) से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। करों तथा कर-भिन्न को मिलाकर राज्य के स्वयं के संसाधनों से राजस्व प्राप्तियों के मात्र 33 प्रतिशत प्राप्त हुए, जबकि शेष 67 प्रतिशत की भागीदारी केन्द्रीय करों व शुल्कों के राज्यांश (18 प्रतिशत) व भारत सरकार के सहायता अनुदान (49 प्रतिशत) को मिलाकर केन्द्रीय अंतरणों से हुई।

2018-19 के दौरान, राज्य के कुल व्यय (₹ 34,493 करोड़) में विगत वर्ष से ₹ 3,181 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय, कुल व्यय का 85.3 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान चार घटकों अर्थात् वेतन व मजदूरी, पेंशन देयताएं, ब्याज भुगतान तथा उपदानों पर कुल व्यय राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत रहा।

2018-19 के दौरान, पूंजीगत व्यय (₹ 4,583 करोड़) विगत वर्ष (₹ 3,756 करोड़) से ₹ 827 करोड़ (22 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अंश 2017-18 के 12 प्रतिशत से 2018-19 में 13.29 प्रतिशत तक बढ़ गया।

2018-19 के दौरान, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ 2,958 करोड़) सहित लोक ऋण चुकौतियां (₹ 4,673 करोड़) लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 6,427 करोड़) से ₹ 1,204 करोड़ बढ़ गए। कुल ब्याज भुगतान ₹ 4,022 करोड़ थे, जो राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत थे।

वर्ष की समाप्ति पर सकल राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष से छः प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 54,299 करोड़ रही। राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 36 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों की 1.75 गुणा रही। सरकार के आन्तरिक ऋण 2017-18 के ₹ 33,591 करोड़ से 2018-19 के दौरान बढ़ कर ₹ 35,363 करोड़ (5.28 प्रतिशत) हो गए।

आगामी 10 वर्षों में, बाजार ऋणों एवं उदय बॉड के कुल बकाया ₹ 26,573 करोड़ में से राज्य को बाजार ऋणों व उदय बॉड के मूलधन के ₹ 25,005 करोड़ (94.10 प्रतिशत) एवं ₹ 12,521 करोड़ राशि के ब्याज की अदायगी करनी है।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय-II


वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत्त दोनों मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखों के सम्पूरक हैं।

विनियोजन लेखे बजट निरूपण एवं कार्यान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के साथ आंकड़े अधिकृत करते हैं (चार्ट 2.1)।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन का प्रवाह चार्ट



स्रोत: बजट नियमावली एवं विनियोजन लेखाओं में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वास्तविक रूप से विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के प्रावधानों की उपेक्षा से सम्बंधित पाई गई कमियों की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2018-19 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 46,984.68 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक कुल व्यय ₹ 42,469.10 करोड़ (90.38 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4,515.58 करोड़ की बचत हुई। ₹ 3,142.66 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 7.2 प्रतिशत रहा। 2018-19 के दौरान कुल 32 अनुदानों/विनियोजनों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेप स्थिति तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1: 2018-19 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत ⁸ (-)/आधिक्य(+)
	1	2	3	4	5	6
दत्तमत्त	I - राजस्व	31,588.81	701.29	32,290.10	28,522.49	(-) 3,767.61
	II - पूंजीगत	4,297.63	641.07	4,938.70	4,629.70	(-) 309.00
	III - ऋण एवं अग्रिम	448.13	259.81	707.94	467.98	(-) 239.96
कुल दत्तमत्त		36,334.57	1,602.17	37,936.74	33,620.17	(-) 4,316.57
प्रभारित	IV - राजस्व	4,323.25	91.08	4,414.33	4,164.65	(-) 249.68
	V - पूंजीगत	0	10.71	10.71	10.93	0.22
	VI - लोक ऋण-चुकौती	3,184.20	1,438.70	4,622.90	4,673.35	50.45
कुल प्रभारित		7,507.45	1,540.49	9,047.94	8,848.93	(-) 199.01
आकस्मिक निधि (यदि कोई है) से विनियोजन				शून्य		
सकल योग		43,842.02	3,142.66	46,984.68	42,469.10	(-) 4,515.58

स्रोत: विनियोजन लेखे

नोट: ऊपर दर्शाया गया व्यय, राजस्व एवं पूंजी शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियों को लिए बिना, कुल आंकड़े हैं।

2.2.1 विनियोजन लेखाओं का विश्लेषण: 2018-19

चार्ट 2.2: वास्तविक व्यय की तुलना में प्रावधान की सारांशित स्थिति




वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदानों /विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 4,515.58 करोड़ की कुल बचतें राजस्व प्रवर्ग के 29 अनुदानों व आठ विनियोजनों में तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत 23 अनुदानों व एक विनियोजन में ₹ 5,336.95 करोड़ की बचतें तथा राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत हुई जिसका समायोजन राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत तीन अनुदानों व तीन विनियोजनों, तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत तीन अनुदानों व दो विनियोजनों में ₹ 821.37 करोड़ के आधिक्य का परिणाम थी। इस अवधि के दौरान ₹ 4,515.58 करोड़ की कुल बचतें अध्यर्पित की गईं। इस अवधि के दौरान ₹ 42,469.10 करोड़ का व्यय भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा अस्थाई नकदी संतुलन हेतु लिए गए ₹ 1,496 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिमों के पुनर्भुगतान सहित था। इस प्रकार वर्ष के दौरान निवल व्यय ₹ 40,973.10 करोड़ अर्थात् कुल बजट प्रावधान का 87.21 प्रतिशत था। ₹ 821.37 करोड़ के व्याधिक्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमितिकरण की आवश्यकता है।

⁸ निधियों की प्रयुक्ति में गिरावट।

2.2.2 पूंजीगत एवं राजस्व

पूंजीगत एवं राजस्व दोनों क्षेत्रों में बचत पाई गई (चार्ट 2.3)। पूंजीगत क्षेत्र में बचतें (₹ 499 करोड़) बजट प्रावधान की 4.8 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति उप योजना (₹154.08 करोड़), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (₹151.79 करोड़), विद्युत (₹131.45 करोड़) तथा जनजातीय विकास (₹ 82.25 करोड़) में पर्याप्त बचतें हुईं।

चार्ट 2.3: पूंजीगत एवं राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत व्यय तथा बजट प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे।

राजस्व क्षेत्र में बचतें (₹ 4,017 करोड़) बजट प्राक्कलन का 10.94 प्रतिशत थी। शिक्षा (₹ 955.16 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना (₹ 390.87 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 383.93 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 330.87 करोड़), लोक निर्माण, सड़कें, पुल एवं भवन (₹ 282.96 करोड़) में पर्याप्त बचतें पाई गईं।

अनुदान-वार विश्लेषण

राज्य सरकार में विभिन्न विभागों द्वारा 32 अनुदानों के अन्तर्गत व्यय किया जाता है। ₹ 4,515.18 करोड़ की निवल बचत विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बचतों तथा आधिक्यों का परिणाम थी (तालिका 2.2)।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए कुल आधिक्य अथवा बचतें

विवरण	राजस्व		पूंजीगत		राशि (₹ करोड़ में)
	अनुदानों ⁹ की संख्या	विनियोजनों ¹⁰ की संख्या	अनुदानों की संख्या	विनियोजनों की संख्या	
जिनमें बचतें हुईं	29	08	23	01	5,336.95
जिनमें व्यय आधिक्य हुआ	03	03	03	02	821.37

स्रोत: विनियोजन लेखे।

अनुदान जिनमें उच्च बचतें तथा अधिक व्यय हुआ है, को परिशिष्ट 2.1 व 2.8 में सूचिबद्ध किया गया है।

⁹ अनुदान - विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय करने हेतु अनुदान के प्रावधान हेतु मतदान किया जाता है।

¹⁰ विनियोजन - व्यय करने हेतु बजट में किया गया ऐसा प्रावधान है जो सीधा पारित होता है और विधान सभा के मतदान अधीन नहीं होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्याधिक्य ऐसे अनुदानों के अन्तर्गत थे जो दैनिक प्रशासन हेतु निधियां उपलब्ध करवाते हैं जबकि बचतें ऐसे अनुदानों के अंतर्गत थीं जो मुख्य स्कीमों हेतु निधियां उपलब्ध करवाते हैं।

राज्य सरकार स्वीकृत बजट के प्रति व्यय की प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण करे ताकि आवश्यकता के अनुसार आवंटित निधियों की उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 प्रावधानों की तुलना में आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(3) के अनुसार ऐसे विनियोजन के अंतर्गत जो इस अनुच्छेद के प्रावधानानुसार पास किए गए कानून द्वारा निर्मित हो, के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि में से किसी भी राशि का आहरण नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त के बावजूद भी 2018-19 में बजट प्रावधान से ₹ 821.37 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जो कि इस बात का सूचक है कि बजट प्रावधानों की समीक्षा उचित प्रकार से नहीं की गई। ऐसे विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों जहां सकल व्यय (कुल ₹ 10,541.41 करोड़) सात मामलों में एक करोड़ या अधिक (कुल ₹ 820.96 करोड़) सहित स्वीकृत प्रावधानों से बढ़ा है, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिया गया है।

व्याधिक्य से बचने के लिए दोषी विभागों के विरुद्ध दृढ़ उपायों को करने की आवश्यकता है व्याधिक्य करने हेतु कोई भी संतोषजनक कारण सामने नहीं आता जबकि सरकार के पास एक वर्ष में विधानसभा के तीन सत्रों के दौरान अनुदानों हेतु अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करने के अवसर होते हैं।

इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को किसी अनुदान/विनियोजन पर हुए व्याधिक्य को राज्य विधान सभा से नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमितिकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, व्याधिक्य का नियमितिकरण विनियोजन लेखों पर चर्चा के निष्कर्ष के पश्चात् लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। तथापि, 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु 21 अनुदानों तथा 11 विनियोजनों (परिशिष्ट 2.2) के अंतर्गत ₹ 8,333.35 करोड़ के व्याधिक्य को फरवरी 2019 तक नियमित करवाना शेष था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विधानसभा द्वारा प्राधिकृत से अधिक छः दत्तमत अनुदानों और पाँच विनियोजनों के अन्तर्गत ₹ 821.37 करोड़ (परिशिष्ट 2.3) के व्याधिक्य को भी नियमित करवाना अपेक्षित है।

इतनी लम्बी अवधि तक व्याधिक्य का बिना नियमितिकरण के रहना, संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है और वित्तीय नियंत्रण तथा बजटीय प्रणाली को निष्प्रभाव करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है।

2.3.1.1 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के परिणामस्वरूप बचत/व्यय आधिक्य

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.20 के अनुसार अनुपूरक अनुदान किसी वित्तीय वर्ष को दौरान उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पहले से ही शामिल की गई राशि से अधिक व्यय को पूरा करने हेतु विनियोजन में शामिल किए गए प्रावधान को संदर्भित करता है।

चार्ट 2.4: अनावश्यक, अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे।

- पाँच मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 101.27 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुँचा (परिशिष्ट 2.4)।
- सात मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में अपूर्ति ₹ 1815.22 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान ₹ 820.72 करोड़ (परिशिष्ट 2.5) के सकल सकल व्ययाधिक्य को अपूरित छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुए। इस अपूरित व्ययाधिक्य में से ₹ 564.88 करोड़ (68.83 प्रतिशत) अनुदान संख्या-05 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत) के अंतर्गत तथा ₹ 106.33 करोड़ अनुदान संख्या-13 सिंचाई तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व दत्तमत) के अंतर्गत व्यय किये गए।

यह इंगित करता है कि प्रशासनिक विभाग मासिक व्यय नियंत्रण तन्त्र के माध्यम से व्यय की खराब निगरानी के कारण वित्त वर्ष के शेष अवधि के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का यथार्थ निर्धारण/आकलन नहीं लगा सका।

2.3.2 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहां बचतों का पूर्वानुमान हो, से अन्य इकाई जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अन्तरण है। वर्ष के दौरान किया गया अत्यधिक अभ्यर्पण या अत्यधिक आवर्धन के कारण पुनर्विनियोजन व्यर्थ सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 18 उप-शीर्षों में ₹ 617.17 करोड़ से अधिक व्ययाधिक्य तथा 12 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) के अंतर्गत ₹ 196.22 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है। 16 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) के अन्तर्गत बचतें/आधिक्य थे।

2.3.3 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार व्यय के तीव्र प्रवाह विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में करने से बचना चाहिए।

उपरोक्त नियमों के विपरीत वर्ष के दौरान 16 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 57 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में सूचिबद्ध है, कुल व्यय (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) का 50 प्रतिशत व्यय या अधिक वर्ष की अन्तिम तिमाही में किया गया (₹ 3,267.46 करोड़)। इसके अतिरिक्त 2018-19 के दौरान इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत किये गए कुल ₹ 3,886.79 करोड़ के व्यय में से ₹ 3,005.45 करोड़ (77 प्रतिशत) का व्यय, माह मार्च 2019 के दौरान किया गया। अन्तिम तिमाही में विशेषकर मार्च माह के दौरान व्यय का प्रवाह, वित्तीय नियमों के गैर-अनुपालन को दर्शाता है।

कुछ मुख्य-शीर्षों, जहाँ ₹ 10 करोड़ या कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय अंतिम तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान किया गया, का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष (दत्तमत/प्रभारित)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2019 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2216- आवास	103.31	69.00	66.79	56.18	54.38
2.	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	44.23	24.63	55.69	22.35	50.54
3.	4059- सावंजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	139.06	102.18	73.48	91.08	65.50
4.	4070-अन्य प्रशासनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	21.99	17.35	78.90	13.46	61.21
5.	4210- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	345.61	264.21	76.45	223.20	64.58
6.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	73.31	61.70	84.16	50.47	68.84
7.	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	226.6	156.32	68.99	133.91	59.10
8.	4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	42.02	30.38	72.30	26.28	62.54
9.	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	250.00	130.73	52.28	130.73	52.29
10.	4851- ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	46.43	360.69	79.02	26.11	56.24
11.	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	53.86	30.09	55.33	28.18	52.33
योग		1346.42	1247.28		801.95	

स्रोत: विनियोजन लेखे/बी०एल०सी०।

वर्ष के अंत में व्यय का तीव्र प्रवाह निष्फल, नगण्य एवं दोषपूर्ण योजनाबद्ध व्यय की ओर ढकेलता है। विभाग ये सुनिश्चित करे कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए जहाँ तक व्यवहार्य हो, पूरे वर्ष निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप निधियों का व्यय एक समान रूप से किया जाए।

2.3.4 आवंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन की लेखापरीक्षा में 46 मामलों में से प्रत्येक मामले में बचतें कुल प्रावधान से ₹ एक करोड़ या अधिक अथवा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई (परिशिष्ट 2.8)। ₹ 36,758.07 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 31,423.91 करोड़ का था तथा ₹ 5,334.16 करोड़ की बचतें हुई।

12 अनुदानों में, ₹ 5,334.16 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 4,663.77 करोड़ (87 प्रतिशत) की राशि के 14 मामलों में अत्याधिक बचतों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक) का विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: ₹100 करोड़ से अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या व नाम	कुल अनुदान	व्यय	बचतें (प्रतिशत)
राजस्व दत्तमत्त				
1.	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1,312.64	1,168.81	143.83(11)
2.	08- शिक्षा	6,124.09	5,168.92	955.16(15)
3.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,994.23	1,663.40	330.83(16)
4.	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें पुल तथा भवन	3,308.06	3,039.02	269.04(8)
5.	16- बन एवं बन्य जीव	543.36	413.04	130.31(24)
6.	20- ग्रामीण विकास	1,546.35	1,162.42	383.93(25)
7.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	558.47	440.12	118.35(21)
8.	29- वित्त	5,994.83	5,054.90	939.93(16)
9.	31- जनजातीय विकास	1,264.92	939.20	325.72(26)
10.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	1,349.89	959.02	390.87(29)
राजस्व प्रभारित				
11.	29- वित्त	4,260.00	4,021.52	238.48(6)
पूंजीगत-दत्तमत्त				
12.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	777.83	626.04	151.79(19)
13.	23-विद्युत विकास	635.08	503.63	131.45(21)
14.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1,077.08	923.00	154.08(14)
कुल		30,746.83	26,083.04	4,663.77(15)

स्रोत: विनियोजन लेखे

लेखाओं के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई बचतों के लिए विभाग द्वारा बताए गए कारण (विनियोजन लेखों में अभिलिखित) नीचे दिए गए हैं:

शिक्षा

- शीर्ष 2202-01-101-01(प्राथमिक स्कूलों) के अंतर्गत ₹ 312.29 करोड़ की, शीर्ष 2202-01-101-03 के अंतर्गत ₹ 165.13 करोड़ की तथा शीर्ष 2202-01-109-01 (माध्यमिक स्कूलों) के अंतर्गत ₹ 195.80 करोड़ की बचतें रिक्त पदों की पूर्ति न होने से, दैनिक वेतनभोगियों का अनुबंध

कम होने, फर्नीचर पर कम व्यय होने, छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के कम नामांकन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण थीं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- ₹ 109.99 करोड़ (2210-03-110-01 ग्रामीण स्वास्थ्य) तथा ₹ 66.51 करोड़ (2210-01-110-03-शहरी स्वास्थ्य) की बचतें रिक्त पदों को न भरने के कारण थीं।

ग्रामीण विकास

- ₹ 75 करोड़ (2501-06-101-09), ₹ 74 करोड़ (2501-06-101-10), ₹ 163.24 करोड़ (2505-02-101-01) की बचतें संहिताबद्ध औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण स्कीमों/कार्यक्रमों के गैर-कार्यान्वयन या सुस्त कार्यान्वयन, कुछ स्कीमों के उद्योग विभाग को स्थानान्तरण तथा अनुदानों के न्यून निस्तारण के कारण हुई।

वित्त

- ₹ 201.47 करोड़ (2049-01-101-89), ₹ 136.03 करोड़ (2071-01-101-03), ₹ 483.78 करोड़ (2071-01-102-02) एवं ₹ 179.10 करोड़ (2071-01-102-02) की बचतें अनुसूची के अनुसार ब्याज के कम भुगतान तथा पेंशन मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

इन अनुदानों के अंतर्गत भारी मात्रा में बचतें यह दर्शाती हैं कि राज्य सरकार ने बजट प्रावधान निधि की आवश्यकता के वास्तविक आकलन के बिना तैयार किए।

2.3.4.1 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान, 20 अनुदानों में 24 ऐसे मामले थे (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक), जहां निरंतर बचतें पाई गईं (विवरण परिशिष्ट 2.9 में दिया गया है) उनमें से तीन मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) तालिका 2.5 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 2.5: 2014-19 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व दत्तमत्त						
1.	08-शिक्षा	385.37	1,076.22	864.96	665.02	955.16
2.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	151.89	366.81	295.90	211.66	330.85
3.	20-ग्रामीण विकास	109.86	208.74	121.61	402.93	383.93

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखे।

निरंतर अत्यधिक बचतें इंगित करती हैं कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं थे तथा वर्ष के लिए निधियां आबंटित करते समय पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया। इसे पिछले राज्य वित्तीय प्रतिवेदनों में भी दिखाया गया था लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.3.4.2 अत्यधिक अभ्यर्पण

संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता, भारत सरकार से समरूप राज्यांश निधियों की कम प्राप्ति, विभिन्न योजनाओं के तहत् कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने के कारण, स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन इत्यादि से 155 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.10) के सम्बंध में अत्यधिक मात्रा में अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अभ्यर्पित किया गया) किये गये थे। ₹ 2,951.82 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹ 2,328.25 करोड़ (78.87 प्रतिशत) इन 155 उप-शीर्ष के तहत् अभ्यर्पित किये गये थे जिसमें 60 स्कीमों (₹ 801.05 करोड़) (परिशिष्ट 2.11) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण किया गया था शामिल है। 60 स्कीमों में, कुछ स्कीमों के अत्यधिक अभ्यर्पण का विवरण निम्न है:

तालिका 2.6: अत्यधिक अभ्यर्पण वाले अनुदानों व स्कीमों की सूची

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	स्कीम का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	23-विद्युत विकास	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	181.72
2	08-शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण	78.50
3	20-ग्रामीण विकास	मुख्यमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन	75.00
4	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	61.17
5	10-लोक निर्माण कार्य-सङ्केत पुल तथा भवन	हिमाचल पथ सुधार स्कीम	50.00
6	31-जनजातीय विकास	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम परियोजनाओं को ऋण	46.11
7	23- विद्युत विकास	सतलुज जल विद्युत निगम सीमित	40.00
8	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण	30.05
9	08-शिक्षा	मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र	25.00
10	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	सिंचाई क्षेत्र विकास	22.17

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2019 तक 53 शीर्ष में ₹ 5,500.69 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या इससे अधिक) का अभ्यर्पण हुआ (परिशिष्ट 2.12)।

अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च 2019) पर निधियों का अभ्यर्पण करना कमजोर वित्तीय नियंत्रणों का परिचायक है जिसके कारण अन्यत्र विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियों की प्रयुक्ति नहीं हो पाई।

2.3.4.3 प्रत्याशित बचतें जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब भी प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, निम्नलिखित अनुदानों में यह पाया गया कि ₹ 690.08 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 99.94 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये थे जैसा कि तालिका 2.7 में विर्णित है।

तालिका 2.7: अभ्यर्पित नहीं किए गए ₹ एक करोड़ एवं इससे अधिक की बचतों के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत और अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	330.83	327.89	2.95
2.	14- पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्यस्य पालन	68.34	58.40	9.94
राजस्व-प्रभारित				
3	04- केन्द्र प्रशासन	2.46	1.28	1.19
4	29- वित्त	238.48	159.99	78.49
पूंजीगत-दत्तमत्त				
5.	20-ग्रामीण विकास	5.70	1.70	4.00
6.	29 - वित्त	8.22	6.30	1.92
7.	31- जनजातीय विकास	36.05	34.60	1.45
	योग	690.08	590.16	99.94

बचत की बड़ी राशि के बावजूद, मुख्य रूप से अनुदान संख्या: 29- वित्त : ₹ 78.49 करोड़ (राजस्व - दत्तमत्त), 14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्यस्य पालन: ₹ 9.94 करोड़ (राजस्व दत्तमत्त), 20 - ग्रामीण विकास : ₹ 4 करोड़ (पूंजीगत - दत्तमत्त), 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण : ₹ 2.95 करोड़ (राजस्व दत्तमत्त), के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किए गए थे।

वर्ष की समाप्ति पर बड़े पैमाने पर बचतों/आधिकयों, पुनर्विनियोजनों व अभ्यर्पणों को टालने के लिए, व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समस्त विभागों द्वारा वास्तविक बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जनधन का अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जा सके।

2.4 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखा समेकित निधि के डेबिट द्वारा सृजित किये जाते हैं और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों में शेष को ऋणात्मक डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द करा दिया जाना चाहिए। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना से देखा गया कि 15 जिला कोषागारों में 112 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे। 31 मार्च 2019 तक (परिशिष्ट 2.13) इन 112 लेखों में पड़ी ₹ 2.56 करोड़ शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 2.43 करोड़ के शेष से युक्त 68 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- ₹ 0.13 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त दस व्यक्तिगत निक्षेप लेखे 2010-11 से परिचालन में नहीं थे।

- 34 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में शून्य शेष था।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि का समेकित निधि में हस्तांतरण न करना, लोक निधियों के दुरुपयोग व धोखा-धड़ी के जोखिम को बढ़ाता है।

2.5 लेखाओं का गलत वर्गीकरण

वर्ष 2018-19 हेतु वित्त एवं विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान व्यय के गलत वर्गीकरण के निम्नलिखित मामले पाए गए:

2.5.1 पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत सहायता-अनुदान का वर्गीकरण

व्यय के पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत सहायता-अनुदान का संवितरण, भारत सरकार द्वारा मई 2011 में जारी भारत सरकार लेखांकन मानक-2 के विरुद्ध है।

यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा सहायता-अनुदान (अनुदान संख्या 31-जनजातीय विकास) के रूप में ₹ 49 लाख राशि राजस्व शीर्ष के बजाय पूंजीगत शीर्ष 4225-02-796-01-00-42 से संवितरित की गई थी।

2.5.2 बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन

'लघु शीर्ष - 800 अन्य प्राप्तियां' तथा '800- अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष - 800 का नियमित परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2018-19 हेतु वित्त एवं विनियोजन लेखाओं की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि :

- 44 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 1,911 करोड़ की (कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.17 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियां (2017-18 के दौरान ₹ 1,315 करोड़) बहुप्रयोजन लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्तियां (परिशिष्ट 2.14) के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी इनमें से 23 मुख्य शीर्ष ऐसे थे जहां प्राप्तियों का बड़ा भाग (50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
- ₹ 1,298.28 करोड़ का सकल व्यय (2017-18 के दौरान ₹ 961 करोड़) जो कुल व्यय का 3.06 प्रतिशत था, 42 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 800- अन्य व्यय (राजस्व व पूंजीगत) के तहत वर्गीकृत किए गए थे जैसा कि परिशिष्ट 2.15 में वर्णित है।
- सिंचाई, कृषि इत्यादि में सुधार हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त किए गए ₹1,165 करोड़ राशि के अनुदान (2017-18 के दौरान ₹ 77 करोड़) को लघु शीर्ष 800 में बुक किया गया, दृष्टांत परिशिष्ट 2.16 में दर्शाए गए हैं।

ये मुद्दे राज्य के वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी उठाए गए थे। तथ्यों को स्वीकार करने तथा वर्तमान प्रचलनों को बंद करने का आश्वासन देने के बाबजूद, राज्य

सरकार ने इन प्रचलनों को जारी रखा। यहां तक की, विगत वर्ष की अपेक्षा 2018-19 के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों/व्यय की बुकिंग में वृद्धि हुई। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय/प्राप्तियां के अंतर्गत बड़ी राशियों की बुकिंग वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

2.6 चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

दो अनुदानों के संदर्भ में (अनुदान संख्या 10 'लोक कार्य-सङ्केत, पुल व भवन' एवं अनुदान संख्या 11 'कृषि') व्यय के सापेक्ष बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा (जुलाई-सितम्बर 2019) की गई थी। मूल अनुदानों में भिन्नता, अनुपूरक मांगे एवं वास्तविक व्यय जैसे मुद्दों का विश्लेषण किया गया था।

2.6.1 अनुदान संख्या 10-लोक निर्माण कार्य-सङ्केत, पुल तथा भवन

वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान की समीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं का वर्णन नीचे दिया गया है:

(i) विगत पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) हेतु राजस्व एवं पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत आवंटित की गई, व्यय की गई तथा हुई बचतों/आधिक्य की निधियों की समग्र स्थिति तालिका 2.8 में दी गई है:

तालिका:2.8: 2014-19 के दौरान आवंटित, व्यय की गई एवं हुई बचतों/आधिक्य की निधियों की स्थिति (₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचते(-)/आधिक्य(+) (प्रतिशत में)
2014-15	राजस्व	2,445.80	0.18	2,445.98	2,439.95	-6.03 (-)
	पूंजी	514.91	108.82	623.73	611.90	-11.83 (2)
2015-16	राजस्व	2,446.71	52.79	2,499.50	2,421.86	-77.64 (3)
	पूंजी	890.26	70.69	960.95	1,024.04	63.09 (7)
2016-17	राजस्व	2,794.30	10.48	2,804.78	2,790.89	-13.89 (-)
	पूंजी	875.87	119.39	995.26	1,103.26	108.00 (11)
2017-18	राजस्व	2,839.12	155.70	2,994.82	3,131.78	136.96 (5)
	पूंजी	1,062.12	135.42	1,197.54	1,155.27	-42.27 (4)
2018-19	राजस्व	3,308.06	0	3,308.06	3,039.02	-269.04 (8)
	पूंजी	1,216.28	219.60	1,435.88	1,485.58	49.70 (3)

- वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत हुई निरंतर बचतें (2017-18 को छोड़कर) अनुमानित बजट प्रावधानों को लब्ध न करने का परिचायक है।
- ₹ 375.75 करोड़ का व्यय आधिक्य-राजस्व: ₹ 136.96 करोड़ (2017-18) एवं पूंजीगत: ₹ 220.79 करोड़ (2015-16, 2016-17 व 2018-19) को विधानसभा से विनियमन की आवश्यकता है।

- ₹ 63.45 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (2014-15: ₹ 0.18 करोड़; 2015-16: ₹ 52.79 करोड़ एवं 2016-17: ₹ 10.48 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंच सका।
- (ii) वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 3,308.06 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के प्रति ₹ 3,039.02 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 269.04 करोड़ की बचतें हुईं। दूसरी ओर, पूंजीगत क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 219.60 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹ 49.70 करोड़ के कुल व्यय आधिक्य को अपूरित छोड़ते हुए अर्पाप्त सिद्ध हुए।
- (iii) वर्ष 2018-19 के दौरान, 17 उप-शीर्षों में (₹ 2,610.19 करोड़) से ₹ 685.65 करोड़ राशि जो 19 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी, का पर्याप्त अभ्यर्पण किया गया, जैसा की परिशिष्ट 2.17 में विवरण दिया गया है।

2.6.2 अनुदान संख्या 11 - कृषि

वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान की समीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवरण नीचे दिया गया है:

- (i) विगत पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के अंतर्गत आवंटित, व्यय की गई तथा हुई बचतों / आधिक्य की निधियों की सकल स्थिति तालिका 2.9 में दी गई है:

तालिका 2.9: बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय एवं बचतों/आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचतें (-)/ आधिक्य (+) (प्रतिशत में)
2014-15	राजस्व	244.90	1.02	245.92	256.80	10.88 (4)
	पूंजी	52.26	0.00	52.26	52.26	0.00 (-)
2015-16	राजस्व	344.14	0	344.14	305.67	-38.47 (11)
	पूंजी	61.53	5.00	66.53	66.53	0.00 (-)
2016-17	राजस्व	351.38	8.06	359.44	332.40	-27.04 (8)
	पूंजी	56.82	3.00	59.82	59.78	-0.04 (-)
2017-18	राजस्व	349.51	31.72	381.24	369.94	-11.30 (3)
	पूंजी	61.95	0.00	61.95	61.76	-0.19 (-)
2018-19	राजस्व	482.27	0	482.27	409.60	-72.67 (15)
	पूंजी	73.84	0.00	73.84	71.01	-2.83 (4)

स्रोत: विनियोजन लेखे

(कोष्ठक के ऑकड़े प्रतिशत दराते हैं।)

- (ii) राजस्व (दत्तमत) क्षेत्र के अंतर्गत कुल प्रावधान की 3 से 15 प्रतिशत की निरंतर बचत 2015-19 के दौरान अनुमानित बजट प्रावधानों को लब्ध न करने का परिचायक है।
- (iii) वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदान (राजस्व क्षेत्र: ₹ 482.27 करोड़ एवं पूंजीगत क्षेत्र: ₹ 73.84 करोड़) के अंतर्गत ₹ 556.11 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 480.61 करोड़ का

व्यय (राजस्व क्षेत्र: ₹ 409.60 करोड़ एवं पूंजीगत क्षेत्र: ₹ 71.07 करोड़) हुआ जो ₹ 75.50 करोड़ (19 प्रतिशत) की बचतों में परिणत हुआ, यह दर्शाता है कि बजट प्राक्कलन वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे।

- (iv) पांच उप-शीर्षों में, मूल प्रावधान से 13 से 100 प्रतिशत तक ₹ 30.48 करोड़ राशि का व्यय आधिक्य (प्रत्येक मामले में ₹ 15 लाख एवं अधिक अथवा 20 प्रतिशत एवं अधिक) हुआ जैसा की परिशिष्ट 2.18 में वर्णित है।
- (v) 17 उप-शीर्षों के तहत किए गए ₹ 100.12 करोड़ के बजट प्रावधान (₹ 20 लाख व अधिक अथवा 20 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर अप्रयुक्त पाए गए जैसाकि परिशिष्ट 2.19 में वर्णित है।
- (vi) दो योजनाओं/शीर्षों (2401-00-105-03: ₹ 3 करोड़ एवं 2401-00-800-14: ₹ 1.91 करोड़) के अंतर्गत ₹ 4.91 करोड़ का सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 4.91 करोड़ राशि का सकल प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर आहरित किया गया।

2.7 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

वर्ष 2018-19 में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा जिला कोषागारों/कोषागारों का वर्ष 2017-18 के लिए निरीक्षण के दौरान, निम्नलिखित बिन्दु सामने आए:

2.7.1 पेंशन लाभों का अधिक भुगतान

पेंशन भुगतान अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि दो जिला कोषागार अधिकारियों ने आठ पारिवारिक पेंशनभोगियों को ₹ 2.66 लाख की सीमा तक अधिक भुगतान किया जैसा कि तालिका 2.10 में वर्णित है। अधिक भुगतान, 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पारिवारिक पेंशन के प्राधिकरण एवं रूपांतरित भाग की कटौती न करने से हुआ।

तालिका 2.10: पेंशन लाभों का अधिक भुगतान (पारिवारिक पेंशन में)

क्रम संख्या	कोषागार का नाम (जिला/कोषागार)	अधिक भुगतान की प्रकृति	मामलों की संख्या	भुगतान		
				बैंक द्वारा	कोषागार द्वारा	कोषागार-वार कुल (₹ लाख में)
1.	जिला कोषागार काज़ा	रूपांतरित भाग की कटौती न करना	02	---	कोषागार द्वारा	1.83
2.	जिला कोषागार शिमला	25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पारिवारिक पेंशन का भुगतान	06	---		0.83
		कुल	08			2.66

2.7.2 पेंशन लाभों का अनियमित भुगतान

वर्ष 2017-18 हेतु आठ जिला कोषागारों/कोषगारों के पेंशन भुगतान अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान, यह पाया गया कि 60 मामलों में आठ कोषागार अधिकारियों द्वारा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संदर्भ में ₹ 16.42 लाख की राशि का अधिक भुगतान किया गया। जैसा कि तालिका 2.11 में वर्णित है।

तालिका 2.11: पेंशनभोगियों की मृत्योपरांत पेंशन का अनियमित भुगतान

क्रम सं०	कोषागार का नाम	अधिक भुगतान की प्रकृति	मामलों की संख्या	कोषागार-वार कुल (₹ लाख में)
1.	बिलासपुर	पारिवारिक पेंशन	03	0.17
2.	कांगड़ा (धर्मशाला)	--उपरोक्त--	18	5.93
3.	रिकांगपिओ (किन्नौर)	--उपरोक्त--	03	0.23
4.	कुल्लू	--उपरोक्त--	03	0.58
5	केलांग	--उपरोक्त--	01	0.16
6	मंडी	--उपरोक्त--	07	0.78
7	शिमला	--उपरोक्त--	05	0.75
8	नाहन(सिरमौर)	--उपरोक्त--	20	7.82
	कुल		60	16.42

2.7.3 बिना बजट तथा संस्वीकृति से अधिक भुगतान/बिलों का प्राधिकरण

वर्ष 2017-18 हेतु जिला कोषागारों/कोषगारों के अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान यह पाया गया कि:

- 34 मामलों में, 04 जिला कोषागार अधिकारियों एवं 08 कोषागार अधिकारियों ने 32 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के संदर्भ में ₹ 2.53 करोड़ राशि प्राधिकृत की जहां बजट उपलब्ध नहीं था जैसा कि परिशिष्ट 2.20 में विवरण दिया गया है।
- इसी प्रकार, 12 जिला कोषागार अधिकारियों तथा 61 कोषागार अधिकारियों ने 242 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उपलब्ध बजट के प्रति ₹ 55.19 करोड़ अधिक राशि प्राधिकृत की जैसा कि परिशिष्ट 2.21 में विवरण दिया गया है।

निधियों का अप्राधिकृत आहरण न सिर्फ विधानसभा द्वारा प्रदत्त विनियोजन का उल्लंघन है बल्कि वित्तीय अनुशासनहीनता का भी परिचायक है।

2.7.4 अग्रिमों का असमायोजन

वर्ष 2017-18 हेतु कोषागारों के निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि सात मामलों में से एक जिला कोषागार तथा चार उप-कोषागारों द्वारा ₹ 13.30 लाख राशि के अग्रिमों की ना तो अग्रिम-पंजिका में प्रविष्टि की गई थी, न ही उसे उसी वित्तीय वर्ष में समायोजित किया गया था, जैसा कि तालिका 2.12 में वर्णित है।

तालिका 2.12: अग्रिमों का असमायोजन

क्रम सं०	जिला कोषागार/कोषागार का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	चौआरी	01	0.05
2.	तिस्सा	01	0.20
3.	कुल्लू	01	12.00
4.	रामपुर	03	0.30
5.	रेहडू	01	0.75
कुल		07	13.30

2.8 निष्कर्ष

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 46,984.68 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के प्रति ₹ 42,469.10 करोड़ (90.38 प्रतिशत) का व्यय हुआ। ₹ 4,515.58 करोड़ की समग्र बचतें विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में हुई ₹ 5,336.95 करोड़ की बचतों में से ₹ 821.37 करोड़ के व्यय आधिक्य को घटाने के परिणामस्वरूप हुई, जिसे 2013-14 से 2017-18 की अवधि हेतु ₹ 8,333.35 करोड़ के व्यय आधिक्य में जोड़ते हुए, भारत के संविधान की धारा 205 के तहत् राज्य विधानसभा से नियमितिकरण करवाने की आवश्यकता है।

12 उप-शीर्षों में ₹ 1,916.49 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक, अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान तक नहीं पहुंचा अथवा कुल व्यय आधिक्य को अपूरित छोड़ते हुए कुल प्रावधान से अधिक हुआ। 18 उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनुचित रूप से किया गया था जो आधिक्य, बचतों के रूप में परिणत हुआ। 155 उप-शीर्षों में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल प्रावधान (₹ 2,951.82 करोड़) में से (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) 74.35 प्रतिशत (₹ 2,328.25 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ। लेखा के 60 शीर्षों में, 100 प्रतिशत (₹ 801.05 करोड़ राशि का) का अभ्यर्पण हुआ।

लेखा के 11 शीर्षों में, वर्ष की अंतिम तिमाही में 52 तथा 84 प्रतिशत तक व्यय हुआ तथा इन शीर्षों के तहत् 2019 के अकेले मार्च माह के दौरान हुआ व्यय कुल व्यय का 51 से 69 प्रतिशत था।

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय - III

वित्तीय रिपोर्टिंग

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ प्रभावी तथा कुशल शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों की अनुपालना; तथा ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता तथा गुणवत्ता राज्य सरकार को इसकी रणनीतिक योजनाओं तथा निर्णयन सहित मूल कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सुशासन की दृष्टि से योग्य बनाती है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रणालियों तथा निदेशों सहित सरकारी अनुपालनाओं; तथा ऐसी अनुपालना की गुणवत्ता तथा समयबद्धता से सम्बंधित प्रास्थिति तथा विहंगावलोकन उपलब्ध करवाता है।

3.1 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि अनुदानग्राहियों से विभागीय अधिकारियों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यार्थ अनुदानों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्कीर्ति में दर्शाई गई तिथियों के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश को प्रेषित किया जाना चाहिए। तथापि, मार्च 2019 तक ₹ 5,128.42 करोड़ के कुल अनुदानों से सम्बन्धित देय 5,758 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,898.80 करोड़ (37 प्रतिशत) के 2,407 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र (42 प्रतिशत) लम्बित थे। लम्बित प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का विभाग-वार व्यौरा परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है तथा प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की प्रस्तुती में अवधि-वार विलम्ब का सार तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2019 तक अवधि-वार बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र

क्रमांक	वर्ष *	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	2016-17 तक	1,151	1,001.81	669	368.35
2.	2017-18	1,559	1,797.95	450	408.73
3.	2018-19	3,048	2,328.66	1,288	1,121.72
	योग	5,758	5,128.42	2,407	1,898.80

* ऊपर दर्शाया गया वर्ष 'देय वर्ष' से सम्बन्धित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 महीने बाद

लम्बित 77 प्रतिशत प्रयुक्ति प्रमाणपत्र चार लेखा शीर्षों अर्थात् पंचायती राज (1,165 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 990 करोड़), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (390 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 20 करोड़), उद्योग (156 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 59 करोड़) तथा ग्रामीण विकास (152 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 281 करोड़) से सम्बन्धित थे।

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,121.72 करोड़ के 1,288 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र जोकि देय हो चुके थे, 23 विभागों द्वारा प्रदत्त अनुदानों के प्रति राज्य के निकायों तथा प्राधिकरणों ने प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त 2017-18 तक प्रस्तुती हेतु देय ₹ 777.08 करोड़ के 1,119 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र भी 31 मार्च 2019 तक बकाया थे। इस प्रकार, ₹ 1,898.80 करोड़ के कुल 2,407 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र 31 मार्च 2019 तक प्रस्तुती हेतु देय थे। इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 1,898.80 करोड़

की राशि वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों पर खर्च की गई है जिसके लिए विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत की गई थी। प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का भारी मात्रा में लम्बित रहना निधियों के दुर्विनियोजन तथा जालसाजी के जोखिम को बढ़ाता है।

राज्य सरकार अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदानों के सम्बंध में प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित करें तथा समीक्षा करें कि क्या प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को भारी मात्रा में लम्बित रखने वाले अनुदानग्राहियों को अनुदान देना जारी रखना चाहिए।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अप्रस्तुतीकरण तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखना

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, शहरी विकास, कल्याण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। राज्य के 14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। 14 स्वायत्त निकायों में से केवल तीन – हिमाचल विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला; जिला विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला; तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण, सोलन ने 2018-19 के अपने लेखे प्रस्तुत किए हैं। शेष 11 संस्थाओं ने एक वर्ष के विलम्ब के बावजूद सितंबर, 2019 तक अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। लेखा प्रस्तुत करने की अवधि, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा उनको विधानसभा के समक्ष रखने का विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण कमजोर वित्तीय नियन्त्रण का सूचक है तथा वित्तीय अनियमिताओं के उजागर न होने का जोखिम पैदा करता है। लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

3.3 निकायों / प्राधिकरणों को प्रदत्त अनुदानों / ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों की पहचान करने के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) (सी०ए०जी० का डी०पी०सी०) अधिनियम 1971 के खण्ड 14 तथा 15 के अन्तर्गत की जानी है, राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान तथा ऋण, अनुदानों तथा ऋणों को देने का उद्देश्य तथा ऐसे निकायों/प्राधिकरणों के कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रेषित करना अपेक्षित है।

तथापि, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने सम्बन्धित विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की। ऐसी सूचना के अभाव में, निकायों/प्राधिकरणों, जिनकी लेखापरीक्षा नियन्त्रक एवं लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के खण्ड 14 तथा 15 के अन्तर्गत की जानी थी, की पहचान नहीं हो पाई। तदनुसार, राज्य की संचित निधि में से दिए गए अनुदानों तथा ऋणों में से किए गए व्यय की यथार्तता तथा नियमिता/औचित्य की जांच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ऐसे निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमिताओं के जोखिम से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से वस्तुतः वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एवं लेखाओं का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।

3.4 दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि

दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी, आदि के मामले पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी सूचित किए गए थे।

मार्च 2019 तक राज्य सरकार ने ₹ 93.79 लाख राशि के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के 44 मामले सूचित किये जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इन सभी मामलों में सम्बंधित विभागों द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाई गई थी। इन 44 मामलों में से 41 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण परिशिष्ट 3.3 तथा इन मामलों की प्रकृति परिशिष्ट 3.4 में दी गई है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की संख्या को तालिका 3.2 में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.2: दुर्विनियोजन/हानियों एवं चोरी के मामलों की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा			लम्बित मामलों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति/लक्षण	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0 - 5	03	4.81	चोरी	09	8.48
5 - 10	08	12.51	दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि	35	85.31
10 - 15	05	12.03			
15 - 20	12	41.39			
20 - 25	03	4.91			
25 व इससे ऊपर	13	18.14	योग	44	93.79

दुर्विनियोजन/हानियों, चोरी, इत्यादि से सम्बंधित बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण तालिका-3.3 में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के बकाया मामलों के कारण

विलम्ब/बकाया मामलों के कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
(i)	विभागीय एवं आपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	26	31.38
(ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	12	35.23
(iii)	न्यायालय में लम्बित	04	26.36
(iv)	अन्य	02	0.82
	योग	44	93.79

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानियों, चोरी, इत्यादि से सम्बंधित मामलों के शीघ्र और समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावशाली तंत्र विकसित करें।

3.5 सार आकस्मिक बिलों पर अग्रिमों का असमायोजन/अनियमित आहरण

प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अग्रिमों का आहरण विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियंत्रण अधिकारी को तथा पुनः आगे महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रस्तुत किए जाने हेतु सार आकस्मिक बिलों पर किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए (जून 2017) कि कोषगारों द्वारा सभी अग्रिमों को केवल सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से ही प्राधिकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा सार आकस्मिक बिल तभी अनुमत किया जाएगा यदि पहले सार आकस्मिक बिल का विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत कर दिया हो। सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरणों की निगरानी महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा पृथक रूप से की जाएगी।

उपर्युक्त नियमों और अनुदेशों के बावजूद राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने सार आकस्मिक बिलों के आहरण तथा ऐसे व्यय के विस्तृत आकस्मिक बिलों के द्वारा अनुवर्ती समायोजन की पहचान एवं निगरानी हेतु कोई तन्त्र विकसित नहीं किया था। कोषगारों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सार आकस्मिक बिलों से सम्बन्धित अग्रिम प्रपत्र एच0पी0टी0आर0-5 में आहरित किए जा रहे थे जोकि साधारण बिलों के आहरण हेतु प्रयुक्त होने वाला प्रपत्र ही था। इस कारण न तो राज्य सरकार (वित्त विभाग) और न ही कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) सार आकस्मिक बिलों की पहचान तथा विस्तृत बिलों के माध्यम से उनके समायोजन की निगरानी कर पाए।

पाँच विभागों (आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, युवा सेवाएं तथा खेल, उद्यान तथा कृषि) के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि 2014-19 के दौरान 306 सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम के रूप में ₹ 32.03 करोड़ की राशि का आहरण किया गया। इसमें से ₹ 28.68 करोड़ (आयुर्वेद: 62: ₹ 14.70 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: 13: ₹ 13.98 करोड़) के 75 सार आकस्मिक बिल अगस्त 2019 तक समायोजन हेतु लम्बित थे जैसाकि परिशिष्ट 3.5 में दर्शाया गया है।

अग्रिमों की पहचान/विभेद एवं उनकी अनुवर्ती निगरानी के अभाव में सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से अग्रिमों का आहरण तथा राज्य की समेकित निधियों के बाहर बैंक खातों में निधियों के अवरोधन के फलतः प्रभाव से व्यय की अत्योक्ति तथा निधियों के दुर्विनियोजन/जालसाजी के जोखिम को बढ़ाता है। राज्य सरकार समायोजन हेतु लम्बित सार आकस्मिक बिलों की संख्या और राशि सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों की समीक्षा करें।

3.6 लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक

3.6.1 मुख्य उचंत लेखाओं के तहत बकाया राशि

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। सरकारी लेखे में शामिल कुछ ऐसे लेन-देन जिन्हें प्राप्ति एवं भुगतान की प्रकृति की सूचना के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से तुरन्त प्राप्ति अथवा व्यय के अंतिम शीर्ष तक नहीं ले जाए जा सकते हों, 'उचंत लेखा शीर्ष' के अंतर्गत अस्थायी रूप से डाले जाते हैं। संबंधित व्यौरों/सूचना की प्राप्ति पर ये लेखा शीर्ष अंततः माइनस डेबिट अथवा माइनस क्रेडिट द्वारा निपटाए जाते हैं तथा उनके अंतर्गत राशि को उनके सम्बंधित अंतिम लेखा शीर्षों में बुक किया जाता है। यदि ये

राशियां बिना निपटान के रह जाती है तो उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का संचय हो जाएगा तथा सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय को शुद्धतापूर्वक नहीं दर्शाएंगे। ऋण, निक्षेप तथा प्रेषण शीर्षों में वो लेन-देन होते हैं जहां सरकार जनता के धन के संरक्षक के रूप में ऐसी धन राशि को प्राप्त करती है और रखती है।

राज्य के 2018-19 के वित्त लेखों की परिशुद्धता, उचंत शीर्षों के अंतर्गत बड़ी संख्या में अंतिम वर्गीकरण के लिए प्रतीक्षित लेन-देनों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। कुछ महत्वपूर्ण उचंत लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकायों को, जैसाकि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित खाता बही में अभिलिखित है, तालिका 3.4 में निर्दिष्ट हैं।

तालिका 3.4: उचंत शीर्ष (8658 - उचंत लेखा)

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	77.13	29.96	86.03	36.55	96.21	35.55
निवल	47.17 डेबिट		49.48 डेबिट		60.66 डेबिट	
102-उचंत लेखा (सिविल)	275.05	275.24	171.47	164.12	149.77	131.53
निवल	0.19 क्रेडिट		7.35 डेबिट		18.24 डेबिट	
129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा	175.64	399.29	270.59	347.59	164.43	305.64
निवल	223.65 क्रेडिट		77.00 क्रेडिट		141.21 क्रेडिट	

वित्त लेखे इन शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। बकाया शेष की बकाया डेबिट तथा क्रेडिट को पृथक रूप से जोड़ कर गणना की जाती है। इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थों की चर्चा आगे के परिच्छेदों में की गई है:

➤ वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत-(लघु शीर्ष 101)

इस शीर्ष का उद्देश्य महालेखाकार एवं विभिन्न पृथक वेतन एवं लेखा अधिकारियों के मध्य लेन-देन का निपटान करना है। महालेखाकार की लेखा बहियों में, वेतन एवं लेखा अधिकारी से चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्राप्ति होने पर तथा भुगतान एवं लेखा अधिकारी की ओर से राज्य कोषागारों में प्राप्त राशि के सम्बंध में जारी किए चैक/निपटाए गए डिमाण्ड ड्राफ्ट को इस शीर्ष के अंतर्गत मूलरूप से दर्ज किए जाते हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया ऋण शेष का अर्थ है कि भुगतान महालेखाकार द्वारा वेतन एवं अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया है जिन्हें अभी तक वसूला जाना है। बकाया जमा शेष का अर्थ होगा कि महालेखाकार द्वारा वेतन एवं लेखा अधिकारी के माध्यम से राशि प्राप्त कर ली गई है जिसका भुगतान अभी तक शेष है। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल ऋण शेष 2016-19 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जो 2016-17 के ₹ 47.17 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 60.66 करोड़ तक बढ़ गए। इनके निपटान/समायोजन पर राज्य सरकार के नकद शेष में वृद्धि होगी।

➤ उचंत लेखा-सिविल (लघु शीर्ष 102)

लेन-देनों के दौरान ध्यान में आई भिन्नताओं को अंतिम रूप से दर्ज करने हेतु महालेखाकार द्वारा इस लघु शीर्ष का परिचालन किया जाता है, जिन्हें निश्चित सूचना/दस्तावेजों अर्थात् चालान, वाऊचर, आदि के अभाव में व्यय/प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लेखा में प्राप्तियां जमा की जाती है एवं व्यय

को नामे डाला जाता है तथा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर क्रमशः ऋणात्मक जमा एवं ऋणात्मक नामे के रूप में निपटान किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया नामे शेष से तात्पर्य है 'भुगतान किया गया' परंतु इसे निश्चित विवरणों के अभाव में अंतिम शीर्ष के अंतर्गत नामे नहीं किया जा सका तथा बकाया जमा शेष प्राप्तियों को प्रदर्शित करता है, जिसे विवरणों के अभाव में लेखा के अंतिम प्राप्ति शीर्ष में नामे नहीं डाला जा सका। तथापि, 31 मार्च 2019 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹18.24 करोड़ का बकाया नामे शेष था।

इसी प्रकार लघु शीर्ष 129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 तक ₹141.21 करोड़ का बकाया जमा शेष था।

3.7 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर, संघ तथा राज्यों के लेखाओं को निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अब तक तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2018-19 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना तथा उनमें कमियों की स्थिति तालिका 3.5 में वर्णित है:

तालिका 3.5: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्रमांक	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अनुपालना में पाई गई कमियां
1	भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 1: सरकार द्वारा दी गई गरंटियां	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखे की विवरणी 9 व 20)	राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्य आंकड़ों के गैर-मिलान के कारण वित्त लेखे में ₹9.24 करोड़ का अंतर था।
2	भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 2: सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखे की विवरणी 10)	राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत ₹0.49 करोड़ के सहायता अनुदानों को दर्ज किया गया है जो कि भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 2 के विरुद्ध है।
3	भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	अनुपालन किया गया (वित्त लेखे की विवरणी 18)

स्रोत: भारतीय शासकीय लेखांकन मानक एवं वित्त लेखे।

3.8 निष्कर्ष

प्रयुक्ति प्रमाणप्रत्रों को प्रस्तुत न करना, विभाग द्वारा अनुदानग्राहियों को जारी अनुदानों का उपयोग करने के संदर्भ में निगरानी के अभाव का परिचायक है, विभिन्न कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु जारी निधियों की अप्रयुक्ति, दुरुपयोग अथवा व्यपवर्तन का जोखिम पैदा करता है। स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत न करना तथा अनुदानों व ऋणों के माध्यम से काफी हद तक वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान न करना, इन स्वायत्त निकायों/निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताएं उजागर न होने का जोखिम पैदा करता है। अग्रिमों की पहचान/विभेद एवं उनकी अनुवर्ती निगरानी के अभाव में सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से अग्रिमों का आहरण तथा राज्य की समेकित निधियों के बाहर बैंक

खातों में निधियों के अवरोधन के फलतः प्रभाव से व्यय की अत्योक्ति तथा निधियों के दुर्विनियोजन/जालसाजी होने के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, चोरी, दुर्विनियोजन/ सरकारी सामग्री की हानि एवं गबन के ऐसे मामले थे जिनके सम्बन्ध में लम्बे समय से विभागीय कार्रवाई लम्बित थी।

उपर्युक्त मामलों में वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों तथा समयबद्धता एवं रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की मजबूती से समझौता हुआ।

ऋतु दिल्ली

(ऋतु दिल्ली)

शिमला

दिनांक 30 जुलाई 2020

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

दिनांक 31 जुलाई 2020

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण		आंकड़े
1.	क्षेत्रफल		55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या		
	क	जनगणना (2001) के अनुपार	0.61 करोड़
	ख	जनगणना (2011) के अनुपार 2019 (अनुमान)	0.69 करोड़ 0.74 करोड़
3.	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत= 382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)		109 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी०
4.	गरीबीरेखा से नीचे की जनसंख्या (2011-12) (अखिल भारतीय औसत= 21.90%)		8.06%
5.	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)		76.50% 82.80%
6.	क) शिशु मृत्यु दर (2017) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 34) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2012-16) (अखिल भारतीय औसत = 68.7)		22 72.3
7.	मानव विकास सूचकांक (2007-08) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 0.467)		0.652
8.	गिरी गुणांक (2009-10) (शहरी-ग्रामीण जनसंख्या) (क) ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29) (ख) शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)		0.31 0.40
9.	सकल राज्य धरेलू उत्पाद 2018-19 (₹ करोड़ में)		1,51,835
10.	सकल राज्य धरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2009-10 से 2018-19)		13.60 (विशेष श्रेणी राज्य : 12.5)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर						
		2009-10 से 2017-18		2013-14 से 2017-18		2017-18 से 2018-19
		सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य
क	राजस्व प्राप्तियां	13.41	12.93	13.77	14.88	11.64
ख	कर राजस्व	17.65	13.54	13.08	8.54	23.22
ग	कर-भिन्न राजस्व	8.57	3.58	8.88	7.28	19.16
घ	कुल व्यय	11.95	11.44	13.53	12.23	13.97
ड.	पूँजीगत व्यय	9.64	8.59	16.47	19.27	13.68
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.97	13.48	12.59	12.04	16.16
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.37	14.02	18.84	14.87	17.91
ज	वेतन एवं मजदूरी	12.81	10.66	11.22	9.29	14.70
झ	पेंशन	19.15	16.92	16.53	13.33	5.65

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना की सूचना (2011), हिमाचल प्रदेश का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग और केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

परिशिष्ट-1.1

भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के चुकाने से प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2018-19 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

रूपरेखा	
खण्ड-I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी अनुलम्बनक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार के निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत्त व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखा टिप्पणियां
खण्ड-II	
भाग I: विस्तृत विवरणियां	
विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिह्नित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी

भाग II: परिशिष्ट	
I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान (स्कीमवार व संस्थावार)
IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
V	योजनागत स्कीम व्यय क- केन्द्रीय स्कीमें (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय योजना स्कीमें) ख- राज्य योजना स्कीमें
VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से असम्बद्ध निधियां) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
VIII	सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम
IX	प्रतिबद्धताओं का विवरण-अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची
X	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमें
XII	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

परिशिष्ट-1.2

भाग क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2014-19 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अध्युक्तियां की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2011-12 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	103,772	114,239	125,122	136,542	151,835
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1] *100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] * 100
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्शेष)/2] *100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां <u>घाटा</u> मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना तथा राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना;
- वित्तीय वर्ष 2018-19 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 35 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टीयों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ परिच्छेद 1.3 तथा 1.11.3; पृष्ठ 8 एवं 43)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950
(i) कर राजस्व	5,940(33)	6,696 (29)	7,039 (27)	7,108(26)	7,573(24)
राज्यों का बस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	1,833(26)	3,343(44)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,661(62)	3,993 (60)	4,382 (63)	2,526(36)	1,185(16)
राज्य आबकारी	1,044(18)	1,131 (17)	1,308 (19)	1,311(18)	1,482(20)
वाहानों पर कर	220(4)	317 (05)	280 (4)	367(5)	408(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	190(3)	206 (03)	209 (3)	229(3)	251(3)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	333(5)	551(8)	372(5)	361(5)	487(7)
भू-राजस्व	17(-)	7(-)	8(-)	17(-)	8(-)
माल व यात्रियों पर कर	110(2)	115 (02)	121(2)	112(2)	104(1)
अन्य कर	365(6)	376(5)	359(4)	352(5)	305(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	2,081(12)	1,837 (08)	1,717 (6)	2,364(9)	2,830(9)
(iii) संधीय करों व शुल्कों में राज्यांश	2,644(15)	3,611 (15)	4,344 (17)	4,801(17)	5,430(18)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,178(40)	11,296 (48)	13,164 (50)	13,094(48)	15,117(49)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां	650	-	-	35	9
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	41	26	30	40	22
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	18,534	23,466	26,294	27,442	30,981
5. लोक ऋण प्राप्तियां	10,877	6,129	8,603	5,600	6,427
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,892 (36)	4,294 (70)	6,831(79)	5,118(91)	4,864(76)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	6,860 (63)	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)	1,496(23)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	125(1)	50 (01)	101 (01)	82(2)	67(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	29,411	29,595	34,897	33,042	37,408
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	10,575	11,515	13,630	14,680	16,121
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	39,986	41,110	48,527	47,722	53,529
भाग ख. व्यवसंवितरण					
10. राजस्व व्यव	19,787	22,303	25,344	27,053	29,442
योजनागत	3,204 (16)	3,493(16)	4,520 (18)	3,772(14)	4,263(14)
आयोजनेतर	16,583(84)	18,810(84)	20,824(82)	23,281(86)	25,179(86)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	7,604(38)	8,788(39)	9,728 (38)	11,009(41)	11,438(39)
सामाजिक सेवाएं	7,451(38)	7,980 (36)	9,610 (38)	10,337(38)	11,482(39)
आर्थिक सेवाएं	4,723(24)	5,525 (25)	5,996 (24)	5,697(21)	6,512(22)
सहायता अनुदान व अंशदान	9(-)	10 (-)	10 (-)	10(-)	10(-)
11. पूँजीगत व्यव	2,473	2,864	3,499	3,756	4,583
योजनागत	2,431(98)	2,568(90)	3,115(89)	3416(91)	4,102(90)
आयोजनेतर	42(2)	296(10)	384(11)	340(9)	481(10)
सामान्य सेवाएं	83(3)	88(3)	208 (6)	192(5)	227(5)
सामाजिक सेवाएं	522(21)	792(28)	1,041 (30)	1,135(30)	1,187(26)
आर्थिक सेवाएं	1,868(76)	1,984(69)	2,250 (64)	2,429(65)	3,169(69)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	474	463	3,290[®]	503	468
13. योग (10+11+12)	22,734	25,630	32,133	31,312	34,493

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
14. लोक ऋण की चुकौतियां	8,260	3,948	3,943	3,500	4,673
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,410	1,557	2,198	3,021	3,092
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	6,783	2,320	1,671	400	1,496
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	67	71	74	79	85
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	30,994	29,578	36,076	34,812	39,166
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	8,844	10,577	12,351	13,043	14,493
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	39,838	40,155	48,427	47,855	53,659
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-)1,944	1,137	920	314	1,508
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]	(-) 3,870	-3,512
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 1,351	990	411 [#]	(-) 82	510
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,849	3,155	3,359	3,788	4,022
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,156	2,612	3,357	2,895	3,634
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	125	31	23	2	19
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	77	25	23	2	19
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	48	06	-	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	14.80	6.40	16.17	-	(0.96)
27 सकल राज्य धरेलू उत्पाद	103,772 (9.51)	114,239 (10.09)	125,122 (9.53)	136,542 (9.13)	151,835 (11.20)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	38,192	41,197	47,244##	51,030	54,299
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	4,281	3,714	4,550	4,394	4,309
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	9,316	9,658	12,320	8,848	5,181
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	13	12	12	11	10
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरोधन	141	143	188	176	181
भाग डः राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता (अनुपात)					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.09	0.13	0.14	0.13	0.14
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.22	0.22	0.26	0.23	0.23
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.27	1.09	1.22	1.14	1.11
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.87	0.87	0.79	0.86	0.85
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.34	0.33	0.37	0.37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.29	0.29	0.26	0.26	0.28
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.37	0.36	0.38	0.37	0.36
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	2.14	1.76	1.80	1.86	1.75
IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	170.99	111.94	289.63	255.58	181.92
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(-) 4,719	1,858	1,153	(-)119	(-)515
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं (अनुपात)	0.67	0.72	0.77	0.80	0.84
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.46	*	*	*	*
प्राथमिक राजस्व शेष/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	22,734	25,630	32,133	31,312	34,493
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.17	12.74	25.37	(-) 2.56	10.16
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	19,787	22,303	25,344	27,053	29,442
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.03	12.72	13.63	6.74	8.83
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	16,583	18,810	20,824	23,281	25,179
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.81	13.43	10.70	11.80	8.15
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	3,204	3,493	4,520	3,772	4,263
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	34.23	9.02	29.40	(-)16.55	13.02
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.98	16.47	16.64	17.05	16.58
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	87.04	87.02	78.87	86.40	85.36
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	72.94	73.39	64.81	74.35	73.00
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	14.09	13.63	14.07	12.05	12.36
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	92.94	80.25	79.29	85.07	81.35
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	83.81	84.34	82.17	86.06	85.52
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	16.19	15.66	17.83	13.94	14.48
के साथ राजस्व व्यय की उत्त्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.48	1.26	1.43	0.74	0.79
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.03	0.41	1.13	1.61	0.67
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.30	0.95	1.27	0.57	1.08
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.41	1.41	0.46	-0.41	0.68

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांकित) दर्शाते हैं।

@ उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं

उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं

वित्तीय वर्ष 2016-17 से उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं

* राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

भाग-क: वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां						संवितरण				
	2017-18		2018-19			2017-18	2018-19			
1	2	3	4	5	6	7	आयजनेतर	योजनागत	जोड़	
प्रबंध-क राजस्व										
I-गाजस्व प्राप्तियां		27,367.06		30,950.32	I-राजस्व व्यय	27,053.16	25,178.86	4,263.25	29,442.11	29,442.11
(i) कर राजस्व	7,107.67		7,572.81		सामान्य सेवाएं	11,009.54	11,343.21	95.12	11,438.33	
(ii) कर-धन राजस्व	2,363.85		2,830.07		सामाजिक सेवाएं	10,336.55	8,918.43	2,563.77	11,482.2	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	4,801.31		5,429.77		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	5,699.11	4,878.54	992.28	5,870.82	
(iv) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	3,590.26		4,010.49		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,742.97	1,329.76	562.53	1,892.29	
(v) वित्त आयोग के अनुदान	8,888.58		8,831.25		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,338.97	1,371.64	345.35	1,716.99	
(vi) अन्य अन्तरण/विधायिका के साथ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान	615.39		2,275.93		सूचना एवं प्रसारण	47.45	51.99	0.31	52.3	
					अनुसूचितजाति अनुसूचितजनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	56.15	13.25	38.41	51.66	
					त्रिम एवं त्रिम कल्याण	155.89	150.57	89.26	239.83	
					समाजिक कल्याण एवं पोषण	1,272.04	1107.95	523.32	1,631.27	
					अन्य	23.97	14.73	12.31	27.04	
					आर्थिक सेवाएं	5,696.77	4,907.83	1,604.36	6,512.19	
					कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	1,799.55	1,261.24	923.97	2,185.21	
					ग्रामीण विकास	921.79	739.47	437.42	1,176.89	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	450.49	405.15	15.62	420.77	
					ऊर्जा	372.6	583.68	0.2	583.88	
					उद्योग एवं खनिज	105.81	65.49	49.4	114.89	
					परिवहन	1,814.41	1783.08	46.94	1,830.02	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	12.23	3.54	9.78	13.32	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	219.89	66.18	121.03	187.21	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	10.3	9.39	-	9.39	
योग		27,367.06		30,950.32	योग	27,053.16	25,178.86	4,263.25	29,442.11	
II-प्रबंध-ख में लाया गया राजस्व घटा					II-खण्ड-ख से लाया गया राजस्व अधिशेष	313.9			1508.21	
योग:		27,367.06		30,950.32	योग:	27,367.06			30,950.32	

प्राप्तियां						संवितरण				
	2017-18		2018-19			2017-18	2018-19			
	आयजनेतर	योजनागत	जोड़				8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रवर्ग- ख-पूँजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		316.35		183.23	III-भारतीय रिजर्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियां		34.82		8.82	IV-पूँजीगत परिव्यय	3,755.67	480.89	4,102.52	4,583.41	4,583.41
					सामान्य सेवाएं	191.78	24.56	202.57	227.13	
					सामाजिक सेवाएं	1,134.96	78.08	1,109.14	1,187.22	
					शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	341.56	31.36	295.54	326.90	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	262.86	10.27	335.34	345.61	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	516.43	36.11	456.26	492.37	
					सुचना एवं प्रसारण	0.16	0.34	0.15	0.49	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5.29	-	10.15	10.15	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	7.91	-	9.71	9.71	
					अन्य	0.75	-	1.99	1.99	
					आर्थिक सेवाएं	2,428.93	378.25	2,790.81	3,169.06	
					कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	59.83	2.04	72.41	74.45	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.26	10.30	5.71	16.01	
					सिंचार्ह एवं बाढ़ नियंत्रण	251.46	29.69	434.95	464.64	
					ऊर्जा	187.11	-	250.00	250.00	
					उद्योग एवं खनिज	72.83	5.21	41.22	46.43	
					परिवहन	1,694.47	280.98	1803.72	2084.7	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	160.97	50.03	182.80	232.83	
					योग	3,755.67	480.89	4,102.52	4,583.41	
V-ऋणों एवं अग्रिमों की बमूलियां		39.61		21.83	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	502.53				467.98
विद्युत परियोजनाओं से	-	-			विद्युत परियोजनार्थ	417.59			415.93	
सरकारी कर्मचारियों से	8.58		8.07		सरकारी कर्मचारियों को	3.17			7.60	
सहकारिता से	28.98		13.20		सहकारिता को	56.33			28.35	
अन्य से	2.05		0.56		अन्य को	25.44			16.10	
VI-अप्रेनित राजस्व अधिशेष		313.90		1,508.21	VI- अप्रेनित राजस्व घाटा					

प्राप्तियां						संवितरण				
	2017-18		2018-19			2017-18	2018-19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-लोक ऋण प्राप्तियां		5600.29		6427.40	VII-लोक ऋण की चुकौती	3,499.85				4,673.35
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	5118.26		4,864.06		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	3020.82			3,092.35	
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	400.14		1,495.93		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	400.14			1,495.93	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	81.89		67.41		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती	78.89			85.07	
VIII-आकाम्पिकता निधि को विनियोजन		-		-	VIII -आकाम्पिकता निधि को विनियोजन	-			-	-
IX-आकाम्पिकता निधि को अंतरिक्त राशि		-		-	IX -आकाम्पिकता निधि से व्यय	-			-	-
X- लोक लेखा प्राप्तियां		14,679.52		16,121.24	X-लोक लेखा संवितरण	13,043.21				14,493.29
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	3768.05		3,753.46		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2376.07			2,640.31	
आरक्षित निधियां	420.27		500.34		आरक्षित निधियां	314.83			507.77	
निक्षेप एवं अग्रिम	2873.88		3,580.44		निक्षेप एवं अग्रिम	2685.26			3,171.53	
उचन्त एवं विविध	763.06		839.24		उचन्त एवं विविध	881.82			838.16	
प्रेषण	6854.26		7,447.76		प्रेषण	6785.23			7,335.52	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरेष्ट अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	183.23				52.70
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-			-	
					स्थानीय अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19			0.19	
					रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 540.68			-49.58	
					रोकड़ शेष निवेश	723.72			102.09	
योग:		20984.49		24,270.73	योग:	20984.49				24,270.73

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 29)

भाग-ख: 31 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय-	34,363.57		38,946.98
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	3,532.97	3,848.83	
अन्य पूँजीगत परिव्यय	30,830.60	35,098.15	
ऋण तथा अग्रिम-	6,507.18		6,953.33
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	6,181.14	5,697.07	
अन्य विकास ऋण	292.48	1,223.17	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	33.56	33.09	
आरक्षित निधि निवेश			
रोकड़ -	183.23		52.70
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 540.68	(-) 49.58	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रदाय	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	723.72	102.09	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	10,451.65		8,934.62
योग	51,505.63		54,887.63



प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, तथा न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक
आंतरिक ऋण	33,591.47	35,363.18
ब्याज वाले बाजार ऋण	21,574.06	23,682.16
ब्याजरहित बाजार ऋण	-	-
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	51.38	34.86
नाबांड से ऋण	2,251.10	2,485.76
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	75.03	86.10
केन्द्र सरकार की एन०एस०एस०एफ० को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,635.31	6097.05
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	2,890.50	2,890.50
अन्य संस्थाओं से ऋण	114.09	86.75
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	1,079.43	1,061.77
आयोजनेतर ऋण	3.69	3.22
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,075.61	1,058.42
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
अन्य ऋण	0.13	0.13
आकस्मिकता निधि	5.00	5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	13,236.38	14,349.52
निक्षेप एवं अग्रिम	2,797.67	3,206.58
आरक्षित निधियां	325.02	317.60
उच्चत एवं विविध शेष	73.41	74.49
प्रेषण शेष	397.25	509.49
योग	51,505.63	54,887.63

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.2.1; पृष्ठ 8)

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य के बजट के बाहर निधि) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2018-19	2017-18
1	2	3	4
वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	23.18	--
	योग	23.18	--
अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	63.04	0.07
	योग	63.04	0.07
पंचायत सशक्तिकरण अभिमान	हिमाचल प्रदेश पंचायती प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सौसाइटी	18.62	1.00
	योग	18.62	1.00
सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण	खाद्य शिल्प संस्थान धर्मशाला	0.10	0.47
	होटल प्रबंधन संस्थान कुफरी	0.91	0.54
	होटल प्रबंधन संस्थान हमीरपुर	141.50	0.04
		142.51	1.05
योग			
विकासशील निर्यात हेतु राज्य को सहायता	राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	28.07	--
	योग	28.07	--
विज्ञान में महिलाओं हेतु दिशा कार्यक्रम	विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	--	--
	सी.एस के हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	3.70	0.06
	डॉ. वार्ड.एस.परमार बागवानी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय	1.92	0.07
		82.58	0.24
	हिमालय जैव-संसाधन संस्थान	1.82	0.06
		90.01	0.43
योग			
संसद सदस्य स्थानीय विकास	उपायुक्त	--	32.50
	योग	--	32.50
कृषि	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण	7.46	--
	बागवानी विकास हेतु मिशन	23.75	--
	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	3.38	--
	राष्ट्रीय वर्षा सिचित क्षेत्र प्राधिकरण	8.00	--
	कृषि विस्तार पर प्रस्तुतिकरण	12.49	--
	कृषि मशीनीकरण पर प्रस्तुतिकरण	14.62	--
	बीज एवं रोपण सामग्री पर प्रस्तुतिकरण	8.16	--
	उत्तर पूर्व में हेलिकाप्टर सेवाएं	2.50	--
	भारतीय रिजर्व बैंक एन एस आयोजनेतर	4.37	--
	महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजनाएं	3.59	--
	योग	88.33	--
श्रम एवं रोजगार	चुनाव के अंग	23.07	--
	योग	23.07	--

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य के बजट के बाहर निधि) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2018-19	2017-18
ग्रामीण विकास	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	36.31	--
	राष्ट्रीय पोषण मिशन	41.53	--
	योग	77.84	--
कृषि	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	17.29	--
	योग	17.29	--
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम	हरित ऊर्जा कोरिडोर-ग्रिड	51.47	--
	योग	51.47	--
भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर	नव भारतीय प्रबंधन विज्ञान संस्थान की स्थापना	28.23	--
	योग	28.23	--
अनुसूचित जनजाति को कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीय उपलब्धि के लिए पुरस्कार हेतु एन.जी.ओ. को सहायता अनुदान	स्पिति विकास के लिए रिनचेन जांगपो सोसायटी	--	0.92
	डे गोम्पा बौद्ध सांस्कृतिक सोसायटी	0.17	0.29
	बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक सोसायटी अध्ययन संस्थान, ताबो	0.20	0.40
	राम्था बौद्ध सोसायटी	0.18	0.27
	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक एसोसिएशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश	0.67	0.63
	योग	1.22	2.51
ग्रिड अतः क्रियात्मक अक्षय ऊर्जा, एमएन आर ई	साई इंजीनियरिंग फाउन्डेशन	--	1.00
	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेन्सी	29.48	--
	भारतीय तकनीकी संस्थान, मण्डी	0.75	--
	यूको बैंक	--	2.14
	पंजाब नेशनल बैंक	--	1.50
	भारतीय स्टेट बैंक, शिमला	2.50	--
	योग	32.73	4.64
एकीकृत कृषि गणना एवं सांख्यिकी योजना	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	--	3.53
	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	--	0.04
	डा. वाय एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	--	0.07
	योग	--	3.64
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	--	8.93
	योग	--	8.93
परिवहन सम्बिंदी स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	94.67	17.12
	योग	94.67	17.12
आटोमोबाइल उद्योग का विकास	हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम	--	19.62
	योग	--	19.62
उच्च शिक्षा योजना	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	15.06	0.71
	राजकीय पालीटेक्निक, सुन्दर नगर	--	0.09
	योग	15.06	0.80
खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (सम्पदा)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	--	--
	हिमालयन कपास यार्न निगम	--	0.92
	नए उत्पाद हेतु प्रेरणा	--	0.96
	पुलकित ताजा और स्वस्थ	--	5.00
	पावटा साहिब खाद्य निगम	--	4.39
	योग	--	11.27

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य के बजट के बाहर निधि) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2018-19	2017-18
एस टी डी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी	--	10.11
	योग	--	10.11
विकलांग व्यक्तियों के उत्थान से सम्बन्धित योजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न स्कीम	विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण हेतु क्षेत्रीय केन्द्र	--	6.94
	योग	--	6.94
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सामाजिक लेखापरीक्षा ईकाई हिमाचल प्रदेश	--	--
	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसायटी	--	436.20
	योग	--	436.20
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पेकैज	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	--	40.37
	योग	--	40.37
शहर, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संप्रयोग हेतु अक्षय ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	--	13.39
	योग	--	13.39
अन्य	--	158.16	291.24
	योग	166.74	291.24
सकल योग		962.08	901.83

स्रोत: वित्त लेखे।

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 26)

क्षेत्र-वार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	निवेश
विद्युत				
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015.57	2531.42	4546.99
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	326.45	1145.8	1472.25
3	हिमालचल प्रदेश राज्य विधुत बोर्ड सीमित	720.57	4926.32	5646.89
4	व्यास घाटी विधुत निगम सीमित	300	933.4	1233.40
कृषि एवं सम्बद्ध				
5	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित	18.85	6.53	25.38
6	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	38.77	62.63	101.40
7	हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम सीमित	11.71	0	11.71
वित्त				
8	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13	0	13
9	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	12.51	0	12.51
10	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	13.02	0	13.02
अवंसरचना				
11	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवंसरचना विकास निगम सीमित	25	0	25
12	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	0	30.82
13	धर्मशाला स्मार्ट सिटी सीमित	0.0003	0	0.0003
14	शिमला स्मार्ट सिटी सीमित	0	0	0
15	श्री नैना देवी श्री एवं श्री आनंदपुर साहिब रोप वे कम्पनी सीमित	0	0	0
विनिर्माण				
16	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.16	2.97	10.13
सेवा				
17	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3.52	0	3.52
18	हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	3.72	0.55	4.27
19	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	9.25	0	9.25
20	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	12.3	0	12.30
21	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	0	0.007
22	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित	0.18	0	0.18
वित्त				
23	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	99.57	111.96	211.53
सेवा				
24	हिमाचल पथ परिवहन निगम	779.49	132.87	912.36
कृषि एवं सम्बद्ध				
25	एग्रो इप्स्ट्रीयल ऐकेजिंग इण्डिया लिमिटेड	17.72	60.15	77.87
विनिर्माण				
26	हिमाचल वर्सेड मिल्स लिमिटेड	0.92	0	0.92
सेवा				
27	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	1	0	1
योग		4461.11	9914.60	14375.71

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1 तथा 1.9.4.1; पृष्ठ 26 व 33)

आंकड़ों में अन्तर प्रदर्शित करती विवरणी (राज्य सरकार द्वारा सूचित वित्त लेखों के आंकड़ों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	राज्य सामाजिक क्षेत्र के उपक्रम के अभिलेखों के अनुसार			वित्त लेखों के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्धित गांरटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्धित गांरटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्धित गांरटी
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्री कार्पोरेशन	18.85	12.98	-	9.84	0	1.49	9.01	12.98	-1.49
2	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13	-	21.59	15.88	-	8.83	-2.88	0	12.76
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	13.02	-	5	11.27	-	14.5	1.75	0	-9.50
4	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.15	2.97	-	9.89	-	-	-2.74	2.97	0
5	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	99.57	111.96	-	21.98	4.1	5.8	77.59	107.86	-5.80
6	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.0007	-	-	0	-	-	0.0007	0	0
7	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	1	-	-	0	-	-	1	0	0
8	हिमाचल पथ परिवहन निगम	779.49	-	187.3	764.05	-	187.29	15.44	0	0.01
9	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	-	62.63	2.53	-	30	8	0	32.63	-5.47
10	महिला विकास निगम	12.51	10.64	-	12.41	0	-	0.1	10.64	0
11	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	-	-	0.42	-	-	0.17	0	0	0.25
12	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम	-	0.55	-	-	-	-	0	0.55	0
13	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	326.45	1145.8	-	209.75	262.28	-	116.7	883.52	0
14	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	720.57	4926.31	-	707.96	2970.25	-	12.61	1956.06	0
15	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015.56	2531.42	-	697.64	154.9	-	1317.92	2376.52	0
16	व्यास घाटी विद्युत निगम	300	-	-	0	-	-	300	0	0
कुल		4307.17	8805.26	216.84	2460.67	3421.53	226.08	1846.50	5383.73	-9.24

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 27)

30 सितम्बर 2019 तक लाभ दर्ज करने वाले कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का व्यौरा

क्रमांक	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने वाला वर्ष	निवल लाभ	राज्य सरकार की नीति के अनुसार देय न्यूनतम लाभाश	चुकाया गया लाभांश
					(₹ करोड़ में)	
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2017-18	2018-19	13.9	1.54	1.54
2.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2017-18	2018-19	5.65	0.36	0.36
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2017-18	2018-19	1.28	0.18	0.35
4.	हिमाचल प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2017-18	2018-19	0.08	0.46	0
5.	हिमाचल प्रदेश एप्रो इण्डस्ट्री कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	3.05	0.94	0
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित	2017-18	2018-19	0.79	0.19	0
7.	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	2016-17	2018-19	9.49	0.05	0
	कुल			34.24	3.72	2.25

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 27)

उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण जिनके लेखे बकाया है

(कालम 4 तथा 6 से 8 में दिए गए आंकड़े ₹करोड़ में हैं)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया है		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
क कार्यशील सरकारी कम्पनियां							
1	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.00	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	0.80 0.67 0.75 -	- -	-
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	12.51	2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	0.75 0.75 0.80 1.77	- -	0.61
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.02	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	1.30 0.66 0.75 -	- -	0.11 0.12 0.13 0.15 0.63
4	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम सीमित	2017-18	9.25	2018-19	-	-	-
5	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	0.07	2017-18 2018-19	- -	- -	7.40 71.35
6	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2015-16	12.30	2016-17 2017-18 2018-19	- -	- -	0.60 1.72 5.74
7	हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम सीमित	2015-16	11.71	2016-17 2017-18 2018-19	- -	- -	-
8	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	18.85	2018-19	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2017-18	3.51	2018-19	-	-	-
10	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2017-18	30.82	2018-19	-	-	-
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2017-18	7.16	2018-19	-	-	-
12	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	2017-18	38.77	2018-19	-	8.99	-
13	हिमाचल प्रदेश राज्य यांत्रिकी विकास निगम सीमित	2017-18	3.72	2018-19	-	-	-
14	धर्मशाला स्मार्ट सिटी सीमित	2016-17	0.0003	2017-18 2018-19	- -	- -	-
15	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	2016-17	1.00	2017-18 2018-19	- -	- -	-
16	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित	2017-18	0.18	2018-19	-	-	-
17	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2016-17	1670.90	2017-18 2018-19	137.13 160.00	- -	-
18	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित	2017-18	286.45	2018-19	40.00	-	-
19	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2016-17	653.28	2017-18 2018-19	17.27 50.00	- -	0.70 24.00
20	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	2017-18	300.00	2018-19	-	-	-
योग क: (कार्यशील सरकारी कम्पनियां)			3086.50		413.42	8.99	113.26
ख कार्यशील संविधिक निगम							
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2017-18	670.49	2018-19	50.00	-	305.00
2	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2017-18	99.57	2018-19	-	-	-
योग ख: (कार्यशील संविधिक निगम)			770.06		50.00	-	305.00
संकल योग: (क+ख)			3856.56		463.42	8.99	418.26

परिशिष्ट-1.10

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 28)

राज्य सरकार द्वारा निवेशित घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लेखे बकाया थे, का विवरण

(कालम 4, 6, 7, 8 तथा 9 में दिए गए आंकड़े ₹करोड़ में हैं)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया है	उल्लेखित अंतिम लेखों के अनुसार हानि		
						इक्विटी	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कार्यशील सरकारी कम्पनियां								
1	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2015-16	11.71	2016-17	-	-	-	10.27
				2017-18	-	-	-	
				2018-19	-	-	-	
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण सीमित	2017-18	38.77	2018-19	-	8.99	-	3.35
3	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित	2017-18	0.18	2018-19	-	-	-	0.82
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2016-17	1670.90	2017-18	137.13	-	-	32.35
				2018-19	160.00	-	-	
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	2017-18	286.45	2018-19	40.00	-	-	6.72
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विधुत बोर्ड सीमित	2016-17	653.28	2017-18	17.27	-	0.70	44.21
				2018-19	50.00	-	24.00	
सकल योग			2661.29		404.40	8.99	24.70	83.28

परिशिष्ट-1.11

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 27)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्राप्ति

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य शुरू करने की तिथि	पूर्णता की नियत अवधि	स्थिति
परियोजनाएं-प्रदान की गई, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन					
परिवहन विभाग					
1.	कांगड़ा बस अड्डा	4.50	-	-	26.09.2007 से कार्यशील
2.	आईएस०बी०टी०, शिमला	16.00	-	-	29.08.2011 से कार्यशील
शहरी विकास विभाग					
3.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	15.00	19.12.2015	31.03.2017	प्रचालन में
पर्यटन एवं नागरिक उद्ययन विभाग					
4.	रोपवे-सह-स्की केन्द्र सोलंग नाला (कुल्लू)	36.57		जनवरी 2011	व्यवसायिक रूप से प्रचालन में
5.	होटल शिवालिक से जाखू रोप वे (शिमला)	15.00		अप्रैल 2017	व्यवसायिक रूप से प्रचालन में
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन					
6.	आपदा चिकित्सा परिवहन सेवा, हिमाचल प्रदेश	25.00	2009-10	चल रही है/सतत	प्रचालन में
7.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइग्नोस्टिक इकाईयां	अनुपलब्ध	2015 से	2018	सभी 13 इकाईयां कार्यशील
8.	हिमाचल प्रदेश में हीमोडायलिसिस इकाईयां	2.00	2015 से	चल रही है/सतत	प्रचालन में
9.	जे.एस.एस.के. एम्ब्यूलेंस का संचालन एवं स्थानांतरण	आरंभिक लागत तय नहीं।	सितम्बर 2014	अनुपलब्ध	लागू है
परियोजनाएं- प्रदान की गई तथा कार्यान्वयनाधीन					
परिवहन विभाग					
10.	मकलोड़गंज बस अड्डा	5.00	23.12.2004	निर्माण अवधि 20 वर्ष	परियोजना विवाद में है तथा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।
11.	चिंतपुर्णी बस अड्डा एवं पार्किंग-सह-व्यवसायिक परिसर	आर एफ पी में परियोजना लागत तय नहीं।	29.11.2016	पूर्ण	प्रचालन में
12.	कुल्लू बस अड्डा एवं पार्किंग-सह-व्यवसायिक परिसर	आर एफ पी में परियोजना लागत तय नहीं।	16.08.2017	निर्माण अवधि तीन वर्ष है/पूर्णता की निर्धारित तिथि 16.08.2020 है।	परियोजना निर्माणाधीन अवस्था में है।
13.	ऊना बस अड्डा एवं पार्किंग-सह-व्यवसायिक परिसर	आर एफ पी में परियोजना लागत तय नहीं।	19.07.2017	पूर्ण	प्रचालन में
14.	धर्मशाला बस अड्डा एवं पार्किंग-सह-व्यवसायिक परिसर	आर एफ पी में परियोजना लागत तय नहीं।	25.08.2017	निर्माण अवधि तीन वर्ष है /पूर्णता की निर्धारित तिथि 25.08.2020 है।	परियोजना निर्माणाधीन अवस्था में है।

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य शुरू करने की तिथि	पूर्णता की नियत अवधि	स्थिति
पर्यटन एवं नागरिक उद्दयन विभाग					
15.	धर्मशाला मकलोड़गंज रोप वे	150.00	निर्माण कार्य शुरू किया गया	-	निर्माण कार्य शुरू किया गया
16.	हिमानी चामुण्डा रोप वे	289.24	पूर्ववर्ती शर्तों को पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है।	-	-
17.	पलचान रोहतांग रोप वे	340.00	पूर्ववर्ती शर्तों को पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है।	-	--
18.	कुल्लू बाईपास से बिजली महादेव यात्री रोप वे	94.19	पूर्ववर्ती शर्तों को पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है।	-	-
शहरी विकास विभाग					
19.	पर्यटक सूचना केन्द्र लिफ्ट शिमला रोप वे	296.00	पूर्ववर्ती शर्तों को पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है।	-	-
20.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, बद्री सोलन	-	08.02.2019	31.03.2021	कार्य प्रगति पर
21.	जैव-मिथेनीकरण प्रणाली कुर्फी, शिमला	2.50			
22.	पार्किंग परिसर, सजौली	24.70	08.10.2012	-	-
23.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	11.68	15.12.2012	पूर्ण	पार्किंग पूर्ण हो गई है तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा हो गया है।
24.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	46.11	25.10.2013	30.06.2018	पार्किंग पूर्ण हो गई है तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा हो गया है।
25.	पार्किंग परिसर, विकास नगर	15.00	26.02.2016	-	14.06.2018 तिथि को सिआयतकर्ता को समाप्ति नोटिस जारी किया गया है।
26.	पार्किंग परिसर रोहडू	10.00	19.11.2016	31.03.2021	कार्य प्रगति पर
राजस्व विभाग					
27.	पार्किंग परिसर, मण्डी	75	--	--	--

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2.2 व 2.3.1; पृष्ठ 49 व 50)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें व्यय आधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता
राजस्व- दत्तमत्त						
1.	05	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	792.98	1,357.87	564.88	71.24
2.	13	सिंचाई, जलाधार्ति एवं स्वच्छता	2,530.56	2,636.89	106.33	4.20
3.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	293.11	328.40	35.29	12.04
राजस्व-प्रभारित						
4.	20	ग्रामीण विकास	0.01	0.25	0.24	2148
पूंजीगत दत्तमत्त						
5.	03	न्याय प्रशासन	27.36	31.44	4.08	14.93
6.	10	लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन	1,435.88	1,485.58	49.70	3.46
7.	12	बागवानी	17.63	27.63	10.00	56.72
पूंजीगत-प्रभारित						
8.	29	वित्त	4,622.90	4,673.35	50.44	1.09
योग			9,720.43	10,541.41	820.96	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 50)

नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 17, 21 एवं 28 2, 7 एवं 9	474.86	
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) एवं 23 (पूँजीगत) 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 23 (पूँजीगत) और 31	1,585.69	वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर प्राप्त किया गया तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/ हिमाचल प्रदेश विधान सभा को भेजी गई। प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी बाकी है तथा प्रावधानों पर आधिक्य का विनियमन लोक लेखा समीति द्वारा किया जाना है।
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 13, 16, 29(राजस्व) एवं 29 (पूँजीगत)	2,848.43	
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) 3, 10 एवं 23 (पूँजीगत) 1, 16 (राजस्व) एवं 29 (पूँजीगत)	3,037.61	
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) 10 (पूँजीगत)	386.76	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/ बचत/ आधिक्य पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी प्रतीक्षित है। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी है तथा प्रावधानों पर आधिक्य का विनियमन किया जाना है।
योग			8,333.35	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 50)

नियमन के लिए अपेक्षित 2018-19 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व- दत्तमत्त				
1.	05-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	7,92,98,29,300	13,57,86,52,649	5,64,88,23,349
2.	13-सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	25,30,55,93,000	26,36,88,76,708	1,06,32,83,708
3.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2,93,10,94,027	3,28,40,39,429	35,29,45,402
राजस्व-प्रभारित				
4.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	22,44,861	26,49,861	4,05,000
5.	20- ग्रामीण विकास	1,11,321	25,02,629	23,91,308
6.	सड़क एवं जल परिवहन	0	13,57,907	13,57,907
पूंजीगत- दत्तमत्त				
7.	03-न्याय प्रशासन	27,35,55,000	31,43,91,300	4,08,36,300
8.	10- लाक निर्माण- सड़क, पुल तथा भवन	14,35,88,02,000	14,85,58,26,067	49,70,24,067
9.	12- बागवानी	17,63,13,000	27,63,09,475	9,99,96,475
पूंजीगत- प्रभारित				
10.	10-लोक निर्माण- सड़क, पुल तथा भवन	10,51,26,032	1073,,69,160	22,43,128
11.	29- वित्त	46,22,90,44,000	4673,,34,54,196	50,44,10,196
योग		97,31,17,12,541	105,52,54,29,381	821,37,16,840

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 51)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	संख्या तथा अनुदान का नाम	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान से बचतें	पूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	12-बागवानी	344.96	342.76	2.19	16.89
2.	14-पशुपालन दुग्ध विकास एवं मत्स्यिकी	385.97	352.00	33.97	34.37
3.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	188.27	100.01	88.26	7.78
पूंजीगत-दत्तमत्त					
4.	31-जनजातिय विकास	354.98	299.43	55.55	26.70
5.	32-अनुसूचित जनजाति उप-योजना	1,061.55	923.00	138.55	15.53
योग		2,335.73	2,017.21	318.52	101.27

स्रोत: वित्त लेखे/वी.एल.सी.।

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 51)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	5	भू -राजस्व एवं जिला प्रशासन	680.62	112.36	792.98	1357.87	564.88
2.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,530.56	0.00	2,530.56	2,636.89	106.33
3.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	261.52	31.59	293.11	328.40	35.29
पूंजीगत दत्तमत्त							
4.	03	न्याय प्रशासन	15.09	12.27	27.36	31.44	4.08
5.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	1,216.28	219.60	1,435.88	1,485.58	49.70
6.	12	बागवानी	16.93	0.70	17.63	27.63	10.00
पूंजीगत-प्रभारित							
7.	29	वित्त	3,184.20	1,438.70	4,622.90	4,673.35	50.44
योग			7,905.20	1,815.22	9,720.42	10,541.16	820.72

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 51)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष				मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
1.	03	न्याय प्रशासन	4059	01	051	15	3.63	2.27	0.10	4.09
2.	05	भू -राजस्व एवं जिला प्रशासन	2053	00	093	01	147.87	4.42	- 25.06	2.13
3.			2245	02	106	01	273.00	36.00	-199.00	50.00
4.			2245	02	109	01	0	25.00	43.09	10.58
5.			2245	05	101	02	0	84.13	0.00	143.16
6.	10	लोक निर्माण कार्य-सङ्केत, पुल एवं भवन	3054	04	105	02	274.12	0.21	51.72	14.48
7.			3054	04	105	19	158.03	0	0.05	22.47
8.			3054	04	105	21	81.24	0	0.06	9.99
9.			3054	04	105	22	83.82	0	0.06	10.14
10.			3054	04	105	23	126.90	0	0.04	15.81
11.			5054	04	337	09	394.86	58.00	36.32	52.93
12.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215	01	799	03	47.15	0	202.22	106.42
13.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	01	102	13	5.24	20.82	2.54	29.46
14.			2408	01	800	02	12.00	10.75	1.75	5.84
15.	29	वित्त	2049	01	116	01	4.00	0	2.09	3.70
16.			2071	01	101	03	2,983.14	0	-0.32	83.17
17.			6003	00	110	01	0	1,438.70	5.89	51.34
18.	31	जनजातीय विकास	2215	01	796	01	4.29	0	0.32	1.46
19.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	01	110	03	282.66	0	-21.35	-2.71
20.	10	लोक निर्माण-सङ्केत, पुल तथा भवन	2059	80	053	05	115.88	0	0.10	- 3.36
21.			3054	04	105	07	685.11	0	0.42	- 1.42
22.			5054	04	337	19	266.32	0	-0.66	-2.00
23.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्सयिकी	2403	00	101	01	272.31	0.04	0.17	- 9.96
24.	20	ग्रामीण विकास	4515	00	101	01	5.71	0	4.00	- 4.00
25.	29	वित्त	2049	01	101	12	0	0	38.90	-38.90
26.			2049	01	101	13	0	0	23.37	-23.37
27.			2049	01	101	96	0	0	32.72	-32.72
28.			2049	03	104	01	1,061.73	0	49.18	-71.17
29.			2049	03	104	03	4.08	0	5.55	-5.49
30.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	5054	04	789	01	106.08	5.50	5.89	-1.12

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 52)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा				जनवरी-मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	2018-19 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
									जनवरी-मार्च 2019	मार्च 2019
1.	05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245	02	113	01	27.15	26.09	48.03	56.53	54.32
2.		2245	05	101	02	143.16	143.16	227.29	62.99	62.99
3.	08- शिक्षा	2202	02	109	06	83.26	53.88	88.37	94.22	60.97
4.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211	00	800	07	11.92	11.92	13.62	87.51	87.51
5.		4210	03	105	05	39.72	39.62	39.81	99.78	99.52
6.		4210	03	105	06	53.92	53.92	54.25	99.40	99.40
7.		4210	03	105	07	49.50	49.50	49.50	100.00	100.00
8.	10- लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	2216	05	053	01	18.72	14.88	24.38	76.76	61.01
9.		3054	04	105	20	133.35	100.20	194.96	68.40	51.40
10.		4059	80	051	03	17.52	15.79	25.18	69.59	62.69
11.		4059	80	051	05	24.69	22.52	27.45	89.96	82.04
12.		4216	01	106	01	53.03	46.13	61.94	85.62	74.48
13.		5054	04	101	01	29.03	28.92	33.33	87.10	86.76
14.		5054	04	337	11	44.46	42.49	49.22	90.33	86.33
15.		5054	04	337	16	17.41	13.71	17.41	100.00	78.72
16.		5054	04	337	23	44.32	36.48	49.07	90.33	74.34
17.	12- बागवानी	2401	00	119	74	24.00	17.03	24.00	100.00	70.94
18.	13-सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215	01	101	04	43.62	39.68	73.73	59.16	53.82
19.		2215	01	102	12	213.54	166.32	302.43	70.61	54.99
20.		2702	80	001	06	137.51	119.50	193.89	70.92	61.63
21.		2711	01	799	01	19.49	19.34	11.46	170.04	168.75
22.		4701	20	800	02	12.33	10.24	15.83	77.90	64.67
23.		4702	00	101	03	26.59	23.80	39.66	67.06	60.02
24.		4702	00	101	04	24.97	21.73	28.83	86.61	75.38
25.		4702	00	101	10	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00
26.		4705	00	313	01	30.55	26.46	42.02	72.71	62.97
27.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	4851	00	101	02	10.24	10.24	10.24	100.00	100.00
28.	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235	02	103	22	42.86	38.75	42.86	100.00	90.42
29.	20- ग्रमीण विकास	2216	03	102	01	18.56	18.56	18.62	99.67	99.67
30.	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	01	102	13	55.05	31.43	58.05	94.83	54.14
31.	23- विद्युत विकास	4801	01	190	06	56.77	56.77	91.70	61.91	61.91
32.		4801	01	190	09	32.73	32.73	32.73	100.00	100.00
33.	26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग	5452	01	800	03	28.28	27.62	50.00	56.56	55.23

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा				जनवरी-मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	2018-19 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
									जनवरी-मार्च 2019	मार्च 2019
34.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202	02	105	03	14.26	11.01	18.88	75.55	58.29
35.	29- वित्त	2049	01	101	29	39.75	39.75	39.75	100.00	100.00
36.		2049	01	101	३६	38.90	38.90	38.90	100.00	100.00
37.		2049	01	101	३७	23.37	23.37	23.37	100.00	100.00
38.		2049	01	101	३८	32.72	32.72	32.72	100.00	100.00
39.		2049	03	104	01	1022.53	1022.51	1039.74	98.35	98.34
40.		2071	01	101	02	16.48	16.48	16.48	100.00	100.00
41.		3451	00	091	01	18.69	17.20	19.11	97.79	90.01
42.	31- जनजातीय विकास	2215	01	796	09	15.57	15.57	15.57	100.00	100.00
43.		3054	04	796	05	29.93	29.75	39.01	76.73	76.27
44.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2202	03	789	04	63.25	63.25	63.25	100.00	100.00
45.		2217	80	789	02	25.00	25.00	27.50	90.91	90.91
46.		2401	00	789	42	25.19	25.19	25.19	100.00	100.00
47.		2408	01	789	01	20.84	20.84	20.84	100.00	100.00
48.		4210	03	789	03	14.06	14.06	14.06	100.00	100.00
49.		4210	03	789	04	14.06	14.06	14.06	100.00	100.00
50.		4210	03	789	05	14.06	14.06	14.06	100.00	100.00
51.		4215	01	789	04	26.01	22.01	34.94	74.43	63.00
52.		4215	01	789	08	23.16	18.23	35.18	65.82	51.80
53.		4702	00	789	04	15.44	12.72	16.41	94.14	77.54
54.		4801	01	789	01	22.02	22.02	42.70	51.58	51.58
55.		5054	03	789	02	60.68	44.84	86.77	69.93	51.68
56.		5054	04	789	01	76.45	60.33	115.92	65.95	52.05
57.		5054	04	789	04	31.79	27.17	37.52	84.74	72.41
योग						3267.46	3005.45	3886.79		

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2.2 तथा 2.3.4; पृष्ठ 49 एवं 53)

विभिन्न अनुदान जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	01	विधान सभा	42.46	1.06	
2.	02	राज्यपाल एवं मंत्री परिषद	19.94	1.61	
3.	03	न्याय प्रशासन	184.90	25.20	
4.	04	सामान्य प्रशासन	209.49	18.83	
5.	06	आबारी एवं कराधान	76.07	13.79	
6.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1312.64	143.83	
7.	08	शिक्षा	6124.09	955.16	
8.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1994.23	330.83	
9.	10	लोक निर्माण-सङ्क, पुल तथा भवन	3308.06	282.96	
10.	11	कृषि	482.27	72.67	
11.	12	बागवानी	361.85	19.09	
12.	14	पशुपालन, दुध विकास एवं मत्स्यिकी	420.34	68.34	
13.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	78.16	30.57	39
14.	16	बन एवं बन्य जीव	543.36	130.31	24
15.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	196.05	96.03	49
16.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	987.40	28.84	
17.	20	ग्रामीण विकास	1546.35	383.93	25
18.	21	सहकारिता	44.76	3.61	
19.	23	विद्युत विकास	636.26	53.45	
20.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30.52	1.19	
21.	25	सड़क एवं जल परिवहन	321.20	2.25	
22.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	335.05	39.93	
23.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	558.47	118.35	21
24.	29	वित्त	5994.83	939.93	
25.	30	विविध सामान्य सेवाएं	107.29	8.97	
26.	31	जनजातीय विकास	1264.92	325.72	26
27.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1349.89	390.87	29
राजस्व-प्रभारित					
28.	03	न्याय प्रशासन	46.50	7.94	
29.	04	सामान्य प्रशासन	17.30	2.46	
30.	29	वित्त	4260.00	238.48	
पूँजीगत-दत्तमत्त					
31.	01	विधान सभा	7.51	1.46	
32.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	77.27	2.91	
33.	08	शिक्षा	139.05	26.17	
34.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	265.35	8.94	
35.	11	कृषि	73.84	2.83	
36.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	777.83	151.79	20
37.	14	पशुपालन, दुध विकास एवं मत्स्यिकी	17.74	5.79	33
38.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	284.64	1.33	
39.	18	उद्योग खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	62.38	23.38	37
40.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	17.37	3.48	20
41.	20	ग्रामीण विकास	23.17	5.70	25
42.	23	विद्युत विकास	635.08	131.45	21
43.	29	वित्त	12.78	6.27	49
44.	30	विविध सामान्य सेवाएं	50.66	4.05	
45.	31	जनजातीय विकास	381.68	82.25	22
46.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1077.08	154.08	
		योग	36758.07	5334.16	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.1; पृष्ठ 54)

विभिन्न अनुदानों का विवरण जहां 2014-19 के दौरान निरंतर बचतें (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) हुईं

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	निरंतर बचतें				
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	03	न्याय प्रशासन	4.52	12.53	9.82	10.14	25.20
2.	04	सामान्य प्रशासन	10.12	17.03	11.62	13.13	18.83
3.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	9.14	73.42	37.08	81.89	143.83
4.	08	शिक्षा	385.37	1076.22	864.96	665.02	955.16
5.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	151.89	366.81	295.90	211.66	330.85
6.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	6.72	35.36	35.18	43.67	68.34
7.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	11.64	31.40	28.40	16.81	30.57
8.	16	बन एवं वन्य जीव	3.39	33.23	57.50	85.36	130.31
9.	18	उद्योग खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	5.20	12.23	8.46	11.45	96.03
10.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1.06	47.43	20.78	55.55	28.84
11.	20	ग्रामीण विकास	109.86	228.23	121.61	402.93	383.93
12.	21	सहकारिता	5.26	8.45	10.23	3.54	3.61
13.	24	मुद्रण एवं लेखन समग्री	1.45	2.21	6.02	2.81	1.19
14.	25	सड़क एवं जल परिवहन	1.41	1.43	1.06	2.10	2.25
15.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	61.81	63.72	71.98	199.27	39.93
16.	29	वित्त	581.48	228.94	97.70	266.88	956.41
17.	30	विविध सामान्य सेवाएं	4.80	13.99	13.00	7.51	8.97
18.	31	जनजातीय विकास	14.36	129.65	177.85	242.88	325.72
19.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	17.15	32.62	321.15	405.83	390.87
पूँजीगत-दत्तमत्त							
20.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.44	6.01	2.93	4.77	8.94
21.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	8.96	270.58	185.72	88.76	151.79
22.	29	वित्त	5.49	5.20	1.51	7.98	6.27
23.	31	जनजातीय विकास	7.17	17.38	20.88	58.21	82.25
24.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	9.27	108.95	99.31	132.87	154.08

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 55)

क: वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए अत्यधिक अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष				कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतत
1.	04	2235	60	200	26	1000.00	1000.00	100.00
2.	06	2040	00	101	01	362.68	200.84	55.38
3.	06	2235	60	110	02	100.00	100.00	100.00
4.	08	2202	01	101	12	1639.00	1639.00	100.00
5.	08	2202	01	102	03	200.00	200.00	100.00
6.	08	2202	02	109	05	3948.00	1974.00	50.00
7.	08	2202	02	109	10	7850.00	7850.00	100.00
8.	08	2202	02	109	14	106.00	106.00	100.00
9.	08	2202	02	109	15	1185.00	1185.00	100.00
10.	08	2202	02	109	21	300.00	300.00	100.00
11.	08	2202	02	109	22	856.01	856.01	100.00
12.	08	2202	02	109	25	132.00	132.00	100.00
13.	08	2202	02	109	27	500.00	465.00	93.00
14.	08	2225	03	277	06	100.00	100.00	100.00
15.	08	4202	01	202	05	59.00	52.67	89.27
16.	08	4202	01	202	09	2500.00	2500.00	100.00
17.	09	2210	05	105	08	100.00	100.00	100.00
18.	09	2210	06	200	05	1500.00	1382.38	92.16
19.	09	2211	00	800	07	1702.00	1532.00	90.01
20.	10	3054	04	105	26	5000.00	5000.00	100.00
21.	11	2401	00	800	18	300.00	267.44	89.15
22.	13	4215	01	102	24	658.00	629.68	95.70
23.	13	4701	20	800	02	3853.95	2270.95	58.93
24.	13	4701	23	800	01	75.81	75.81	100.00
25.	13	4701	24	800	01	75.81	75.81	100.00
26.	13	4701	25	800	01	75.81	75.81	100.00
27.	13	4701	26	800	01	75.81	75.81	100.00
28.	13	4701	27	800	01	75.81	75.81	100.00
29.	13	4702	00	101	07	2994.00	1500.34	50.11
30.	13	4705	00	313	01	9991.00	5791.00	57.96
31.	13	4711	01	800	10	200.40	200.40	100.00
32.	13	4711	01	800	12	297.00	297.00	100.00
33.	13	4711	01	800	17	333.00	333.00	100.00
34.	14	2404	00	191	04	300.00	195.58	65.19
35.	15	2202	01	101	01	158.98	113.34	71.29
36.	15	2202	01	101	03	784.95	736.01	93.77
37.	15	2202	01	101	12	510.00	510.00	100.00
38.	15	3451	00	101	20	220.00	197.26	89.66
39.	15	3451	00	101	22	200.00	200.00	100.00
40.	15	5475	00	800	05	150.00	88.95	59.30
41.	16	2406	01	101	01	67.18	66.99	99.71
42.	16	2406	01	101	03	419.39	291.08	69.40
43.	16	2406	01	101	09	3291.00	3015.23	91.62
44.	16	2406	01	102	35	187.00	93.56	50.03
45.	16	2406	01	800	08	70.00	60.53	86.47
46.	18	2851	00	102	10	100.00	63.27	63.27
47.	18	2851	00	102	25	100.00	100.00	100.00
48.	18	2851	00	102	26	100.00	100.00	100.00
49.	18	2851	00	103	22	66.00	66.00	100.00
50.	18	2851	00	800	10	8000.00	6872.75	85.91
51.	18	2852	80	800	02	801.88	702.33	87.59
52.	18	4851	00	800	05	1613.00	1335.00	82.77

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष				कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
53.	19	2235	02	102	20	90.00	90.00	100.00
54.	19	2235	02	102	21	345.50	250.04	72.37
55.	19	4225	80	800	03	153.50	153.50	100.00
56.	20	2501	06	101	07	5068.00	4423.40	87.28
57.	20	2501	06	101	09	7500.00	7500.00	100.00
58.	20	2501	06	101	10	7500.00	6187.25	82.50
59.	20	2515	00	102	10	1448.00	1316.00	90.88
60.	23	2801	01	101	01	4000.00	4000.00	100.00
61.	23	2801	80	101	09	1000.00	1000.00	100.00
62.	23	6801	00	190	01	18172.01	18172.01	100.00
63.	23	6801	00	190	04	66.00	66.00	100.00
64.	28	2217	80	191	45	1367.76	835.28	61.07
65.	28	2217	80	191	47	223.00	173.00	77.58
66.	28	2217	80	191	50	667.00	667.00	100.00
67.	28	2217	80	192	12	200.00	200.00	100.00
68.	28	2217	80	192	14	2655.87	1590.60	59.89
69.	28	2217	80	192	18	2222.00	1604.66	72.22
70.	28	2217	80	193	13	577.37	352.87	61.12
71.	28	2217	80	193	14	385.00	297.00	77.14
72.	29	2049	01	101	89	20146.74	14039.99	69.69
73.	29	2071	01	102	02	74708.00	48378.39	64.76
74.	29	2235	60	102	05	1000.00	624.53	62.45
75.	29	7610	00	800	04	300.00	291.46	97.15
76.	30	4202	04	106	01	110.00	95.86	87.15
77.	31	2202	01	796	11	912.00	555.38	60.90
78.	31	2202	02	796	16	1073.00	966.00	90.03
79.	31	2202	02	796	18	118.01	67.09	56.85
80.	31	2202	03	796	08	594.00	318.36	53.60
81.	31	2210	04	796	06	78.00	78.00	100.00
82.	31	2210	06	796	15	90.00	81.00	90.00
83.	31	2211	00	796	08	3441.00	1804.00	52.43
84.	31	2211	00	796	09	131.00	101.48	77.47
85.	31	2211	00	796	10	233.00	210.00	90.13
86.	31	2215	01	796	09	2577.78	1415.21	54.90
87.	31	2216	03	796	01	356.00	224.00	62.92
88.	31	2230	03	796	06	103.37	78.35	75.80
89.	31	2235	02	796	03	2483.00	1606.57	64.70
90.	31	2251	00	796	03	945.00	673.24	71.24
91.	31	2401	00	796	01	94.69	52.78	55.74
92.	31	2401	00	796	22	162.00	132.52	81.80
93.	31	2401	00	796	23	72.00	58.70	81.53
94.	31	2401	00	796	45	198.00	139.07	70.24
95.	31	2401	00	796	46	149.00	96.60	64.83
96.	31	2401	00	796	48	396.01	234.31	59.17
97.	31	2401	00	796	53	900.00	671.93	74.66
98.	31	2401	00	796	54	110.01	63.00	57.27
99.	31	2402	00	796	10	108.00	74.88	69.33
100.	31	2402	00	796	11	198.00	148.85	75.18
101.	31	2403	00	796	10	126.00	95.89	76.10
102.	31	2406	01	796	28	450.00	431.61	95.91
103.	31	2406	01	796	29	135.00	81.38	60.28
104.	31	2406	02	796	07	110.00	101.10	91.91
105.	31	2501	06	796	05	68.00	63.00	92.65
106.	31	2501	06	796	07	693.00	630.00	90.91
107.	31	2501	06	796	08	297.00	270.00	90.91
108.	31	2505	01	796	07	5850.00	5265.00	90.00
109.	31	2515	00	796	10	198.00	180.00	90.91

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष				कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यरण राशि (₹ 50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यरण की प्रतिशतता
110.	31	4215	01	796	16	90.00	60.08	66.76
111.	31	4701	02	796	01	675.00	675.00	100.00
112.	31	4702	00	796	08	1022.00	748.77	73.27
113.	31	4705	00	796	01	792.00	792.00	100.00
114.	31	4711	01	796	01	551.00	450.00	81.67
115.	31	5054	03	796	03	644.00	644.00	100.00
116.	31	6801	00	796	10	4611.00	4611.00	100.00
117.	32	2202	01	789	11	1793.00	1052.75	58.71
118.	32	2202	01	789	12	627.00	333.93	53.26
119.	32	2202	02	789	14	3005.00	3005.00	100.00
120.	32	2202	02	789	16	639.00	639.00	100.00
121.	32	2202	03	789	05	1662.00	1169.48	70.37
122.	32	2205	00	789	02	63.00	50.35	79.92
123.	32	2210	03	789	03	365.00	243.73	66.78
124.	32	2217	80	789	03	503.00	446.70	88.81
125.	32	2225	01	789	10	1165.00	1165.00	100.00
126.	32	2235	02	789	20	518.00	274.90	53.07
127.	32	2401	00	789	25	453.00	328.52	72.52
128.	32	2401	00	789	35	554.00	320.06	57.77
129.	32	2406	01	789	09	113.00	113.00	100.00
130.	32	2406	01	789	15	1260.00	682.01	54.13
131.	32	2406	01	789	16	378.00	290.00	76.72
132.	32	2406	01	789	17	881.00	822.48	93.36
133.	32	2406	02	789	02	248.00	200.00	80.65
134.	32	2435	01	789	01	272.00	272.00	100.00
135.	32	2501	06	789	03	554.00	303.73	54.82
136.	32	2501	06	789	07	1939.00	1461.00	75.35
137.	32	2501	06	789	08	832.00	832.00	100.00
138.	32	2505	01	789	02	16374.00	14737.00	90.00
139.	32	2851	00	789	17	176.00	176.00	100.00
140.	32	2851	00	789	30	126.00	112.84	89.56
141.	32	4059	01	789	02	77.00	77.00	100.00
142.	32	4216	01	789	01	150.00	150.00	100.00
143.	32	4225	01	789	02	100.00	100.00	100.00
144.	32	4225	80	789	01	352.50	252.53	71.64
145.	32	4235	02	789	01	212.00	212.00	100.00
146.	32	4402	00	789	03	302.00	245.42	81.26
147.	32	4701	20	789	04	999.73	882.73	88.30
148.	32	4701	21	789	01	999.00	999.00	100.00
149.	32	4705	00	789	01	2217.00	2217.00	100.00
150.	32	4711	01	789	07	76.00	76.00	100.00
151.	32	4711	01	789	09	126.00	126.00	100.00
152.	32	4711	01	789	15	126.00	126.00	100.00
153.	32	4851	00	789	05	542.00	542.00	100.00
154.	32	5054	03	789	03	1260.00	1260.00	100.00
155.	32	6801	00	789	02	6117.00	6117.00	100.00
योग						2,95,182.32	2,32,824.77	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 55)

ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष				स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (रुलाख में)	कारण
1.	04-सामान्य प्रशासन	2235	60	200	26	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	1000	योजना के प्रचालन न होने के कारण
2.	06-आबकारी एवं कराधान	2235	60	110	02	छोटे विक्रेताओं हेतु ग्रुप दुर्घटना बीमा	100	संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
3.	08-शिक्षा	4202	01	202	09	मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र	2500	
4.		2225	03	277	06	अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति	100	
5.		2202	02	109	25	बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किराए पर सीसीटीवी कैमरा	132	
6.		2202	01	102	03	निजी विद्यालयों के कमज़ोर प्रवर्ग विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	200	
7.		2202	02	109	21	मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना	300	शिक्षा ऋण पर उपदान हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण
8.		2202	02	109	22	मुख्यमंत्री वर्दी योजना	856.01	संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
9.		2202	01	101	12	महात्मा गांधी वर्दी योजना	1639	
10.		2202	02	109	10	माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिक करण	7850	योजना में परिवर्तन के कारण राशि का अभ्यर्पण
11.		2202	02	109	14	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा पर व्यय	106	
12.		2202	02	109	15	राजीव गांधी डिजीटल योजना (लैपटाप/टेबलेट)	1185	
13.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	05	105	08	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना -2	100	केन्द्रीय अंश जारी न होने से राज्यांश जारी नहीं किया जा सका
14.	10- लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	3054	04	105	26	हिमाचल पथ सुधार योजना	5000	कार्यों हेतु योजना का पूँजीगत प्रवर्ग में स्थानांतरण
15.		4701	26	800	01	मध्यम सिंचाई परियोजना प्रिणी (जिला कुल्लू) का निर्माण	75.81	भारत सरकार से आनुपातिक निधि जारी न होने से राज्यांश अप्रयुक्त रहा
16.		4701	25	800	01	मध्यम सिंचाई परियोजना, जिला कांगड़ा में सुक्का हाड़ का निर्माण	75.81	
17.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701	23	800	01	कोनसिल भेररा मन्डप परियोजना पर व्यय	75.81	
18.		4701	24	800	01	परचू खड़ के दांए व बांए किनारों पर वर्षा जल संचय संरचना का निर्माण	75.81	
19.		4701	27	800	01	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी जिला कांगड़ा	75.81	
20.		4711	01	800	17	शिमला जिले में पब्बर नदी का चैनलीकरण	333	
21.		4711	01	800	10	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मण्डी एवं हमीरपुर में बरशावड से जाहू तक खड़ का चैनलीकरण	200.40	
22.		4711	01	800	12	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब बाउडी चरण -3 तक स्वान डाडन स्ट्रीम का चैनलीकरण	297	

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष				स्कीम का नाम	अध्यर्पण की राशि (₹लाख में)	कारण
23.	15- आयोजना एवं पिछळा क्षेत्र उपयोजना	3451	00	101	22	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिभा विकास निगम	200	योजना विभाग से तकनीकी शिक्षा विभाग को स्कीम का स्थानांतरण
24.		2202	01	101	12	महात्मा गांधी वर्दी योजना	510	स्कूली वर्दी की कम खरीद, इत्यादि।
25.	18- उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851	00	103	22	एकीकृत हथकरघा विकास योजना	66	योजना पर अंतिम निर्णय न होने के कारण
26.		2851	00	102	25	माइक्रो इण्डस्ट्री को ब्याज अनुदान	100	लाभार्थियों से मांग प्राप्ति न होने के कारण
27.		2851	00	102	26	इन्कूबेशन केन्द्र	100	
28.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	4225	80	800	03	पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण	153.50	प्रस्ताव के प्राप्त न होने के कारण
29.		2235	02	102	20	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	90	भारत सरकार द्वारा उपायुक्त को सीधे जारी निधियाँ
30.	20-ग्रामीण विकास	2501	06	101	09	मुख्यमंत्री ग्रामीण आजीविका योजना	7500	संस्थागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
31.	23-विद्युत विकास	2801	80	101	09	यूटीएआई दिशानिर्देशों के अर्तात नुकसान की भरपाई करने हेतु डिस्काम को वित्तीय सहायता	1000	वर्ष 2017-18 हेतु कम्पनी के लाभ दर्शाने पर राशि का अध्यर्पण
32.		2801	01	101	01	एस जे वी एन एल	4000	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
33.		6801	00	190	04	विद्युत परियोजना को के एफ डब्ल्यू को अंश	66	हिमाचल प्रदेश विद्युत नियोगी द्वारा जमा-पत्र के माध्यम से सीधे ऋण का लाभ उठाया गया
34.		6801	00	190	01	हिमाचल प्रदेश विद्युत को ऋण	18172.01	ऋण का संवितरण न होने के कारण
35.	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	2217	80	192	12	निर्माण/उन्नयन हेतु विशेष राज्य वित्त आयोग पुरस्कार	200	राज्य में नगर परिषद/नगर पंचायतों का निर्माण/ उन्नयन न होने पर
36.		2217	80	191	50	सभी को सरदार पटेल शहरी आवास योजना	667	भारत सरकार में केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण राज्यांश का अध्यर्पण
37.	31- जनजातीय विकास	4701	02	796	01	प्रमुख सिंचाई योजना (AIBP)	675	भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी न करने से
38.		4705	00	796	01	सिंचाई क्षेत्र विकास पर व्यय	792	संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
39.		5054	03	796	03	सी आर एफ के तहत सड़कों का निर्माण	644	भारत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी होने के कारण
40.		2210	04	796	06	आयुष	78	भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी न करने के कारण
41.		6801	00	796	10	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम परियोजना हेतु ऋण	4611	कम ऋण जारी होने के कारण
42.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	4701	21	789	01	नादौन क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजना	999	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण राज्यांश अप्रयुक्त रहा
43.		4705	00	789	01	सिंचाई क्षेत्र विकास	2217	
44.		4711	01	789	07	जिला मण्डी व हमीरपुर में ब्रशावड से जाहू तक सीर खड़क का चैनलीकरण	76	
45.		4711	01	789	09	पंजाब बाउण्डी चरण-3 तक स्वान डाउन स्ट्रीम का चैनलीकरण	126	
46.		4711	01	789	15	पब्लर नदी जिला शिमला का	126	

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष				स्कीम का नाम	अध्यर्पण की राशि (₹लाख में)	कारण
						चैनलीकरण		
47.		4851	00	789	05	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना	542	
48.		6801	00	789	02	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	6117	
49.		2435	01	789	01	बाजार प्रोगण के निर्माण हेतु विपणन बोर्ड को अनुदान	272	
50.		2501	06	789	08	नेशनल रूर्बन मिशन	832	
51.		2851	00	789	17	आनलाईन विभागों का कम्प्यूट्रीकरण (NE GAP)	176	भारत सरकार से निधियां जारी न करने के कारण
52.		2225	01	789	10	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना	1165	संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
53.		2202	02	789	16	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	639	भारत सरकार से निधियां जारी न करने के कारण
54.		2202	02	789	14	माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायिकरण	3005	योजना का समग्र शिक्षा अभियान में विलय न होने के कारण
55.		5054	03	789	03	ग्रामीण सड़क विश्व बैंक	1260	विश्व बैंक परियोजना के अतर्गत कार्यों की मंजूरी न होने के कारण
56.		4059	01	789	02	न्यायिक अवसंरचना का उन्नयन	77	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण राज्यांश अप्रयुक्त रहा।
57.		4216	01	789	01	सरकारी आवासीय भवन	150	कार्यों का निष्पादन न होने के कारण
58.		4225	01	789	02	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण	100	योजनांतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण
59.		4235	02	789	01	बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगनवाड़ी केन्द्र	212	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण राज्यांश अप्रयुक्त रहा।
60.		2406	01	789	09	राष्ट्रीय बनीकरण कार्यक्रम	113	
योग							80105.97	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 55)

31 मार्च 2019 को ₹10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	03	2014	न्याय प्रशासन पुलिस	226.68	31.77	14.02
2.	07	2055	पुलिस	1175.47	134.40	11.43
3.	08	2202	सामान्य शिक्षा	6100.79	953.91	15.64
4.	08	4202	शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	137.05	26.17	19.10
5.	09	2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1543.34	180.79	11.71
6.	09	2211	परिवार कल्याण	444.39	147.07	33.09
7.	10	2059	लोक निर्माण कार्य	602.81	83.03	13.77
8.	10	3054	सड़के एवं पुल	2681.32	610.62	22.77
9.	11	2401	फसल पालन	343.19	59.66	17.39
10.	11	2402	मुदा एवं जल संरक्षण	52.50	11.45	21.80
11.	12	2401	फसल पालन	294.15	19.18	6.52
12.	13	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	110.86	53.03	47.84
13.	13	4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	183.85	22.54	12.26
14.	13	4705	सिंचाई क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	99.91	57.91	57.96
15.	14	2403	पशुपालन	369.81	51.21	13.85
16.	15	2202	सामान्य शिक्षा	18.69	14.31	76.58
17.	16	2406	वन्य तथा वन्य जीव	523.19	128.09	24.48
18.	18	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	169.43	85.91	50.71
19.	18	4851	ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	56.93	22.47	39.47
20.	19	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	902.04	26.49	2.94
21.	20	2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	246.76	184.62	74.82
22.	20	2505	ग्रामीण रोजगार	429.77	116.12	27.02
23.	20	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	801.94	83.20	10.38
24.	23	2801	विद्युत	631.88	52.69	8.34
25.	23	6801	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	490.17	182.38	37.21
26.	27	2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	268.20	36.18	13.49
27.	28	2217	शहरी विकास	537.55	118.35	22.02
28.	29	2049	ब्याज भुगतान	4260.00	159.99	3.76
29.	29	2054	कोषागार एवं लेखे प्रशासन	58.20	12.45	21.38
30.	29	2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ	5892.93	1019.08	17.29
31.	31	2055	पुलिस	70.38	10.69	15.18
32.	31	2202	सामान्य शिक्षा	340.53	74.63	21.92
33.	31	2211	परिवार कल्याण	44.30	21.38	48.25
34.	31	2215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	58.83	15.58	26.48
35.	31	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	40.50	16.72	41.30

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
36.	31	2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	26.07	12.65	48.52
37.	31	2401	फसल पालन	46.43	20.49	44.13
38.	31	2406	वन एवं वन्य जीव	32.87	11.38	34.63
39.	31	2505	ग्रामीण रोजगार	58.50	52.65	90.00
40.	31	3054	सड़कें तथा पुल	214.55	45.17	21.06
41.	31	6801	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	74.20	46.20	62.26
42.	32	2202	सामान्य शिक्षा	395.85	95.19	24.05
43.	32	2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	136.42	12.50	9.16
44.	32	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	40.52	14.58	35.99
45.	32	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	156.59	28.37	18.11
46.	32	2401	फसल पालन	102.83	17.30	16.82
47.	32	2406	वन्य एवं वन्य जीव	46.59	22.33	47.93
48.	32	2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	36.69	25.97	70.77
49.	32	2505	शहरी विकास	163.74	147.37	90.00
50.	32	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	21.38	20.21	94.53
51.	32	4705	सिंचाई क्षेत्र विकास पर परिव्यय	22.17	22.17	100.00
52.	32	5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	439.97	20.67	4.70
53.	32	6801	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	90.63	61.42	67.77
			योग	32314.34	5500.69	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ 56)

31 मार्च 2019 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

(₹ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1.	8443	106	सिविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन, बिलासपुर	87477.17
2.	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 1), घुमारवीं	321218.45
3.	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 2), घुमारवीं	299680.00
4.	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 3), घुमारवीं	122080.00
5.	8443	106	सिविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन, बिलासपुर	123960.00
6.	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	435931.00
7.	8443	106	सी.जे.एम., चम्बा	544006.62
8.	8443	106	सी.जे.एम., डलहौजी	67735.00
9.	8443	106	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, शिमला राजधानी	1939475.00
10.	8443	106	आई.जी.एम.सी., शिमला राजधानी	1539049.00
11.	8443	106	आई.जी.युवा तथा खेल परिसर शिमला, शिमला राजधानी	4261910.00
12.	8443	106	सब-न्यायाधीश, हमीरपुर	892120.00
13.	8443	106	सब-न्यायाधीश, बड़सर	249140.00
14.	8443	106	सब-न्यायाधीश, नादौन	144520.00
15.	8443	106	सी.जे.एम., कुल्लू	653091.00
16.	8443	106	सी.जे.एम. न्यायाधीश, आनी	44494.00
17.	8443	106	सब-न्यायाधीश, मनाली	173573.00
18.	8443	106	सब-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कांगड़ा	170639.00
19.	8443	106	सब-न्यायाधीश, नूरपुर	299513.00
20.	8443	106	सब-न्यायाधीश, पालमपुर	292355.00
21.	8443	106	सब-न्यायाधीश, देहरा	222037.60
22.	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला	124175.00
23.	8443	106	सब-न्यायाधीश, ज्वाली	113070.00
24.	8443	106	सब-न्यायाधीश द्वितीय डिविजन, कांगड़ा	163941.00
25.	8443	106	सब-न्यायाधीश, देहरा-2	114431.00
26.	8443	106	सब-न्यायाधीश, बैजनाथ	158841.00
27.	8443	106	ए.सी. से.डी.सी., धर्मशाला	31510.00
28.	8443	106	सी.जे.एम., धर्मशाला	701557.00
29.	8443	106	सब-न्यायाधीश, इंदौरा	76930.00
30.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, कल्पा	181634.00
31.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, सुंदरनगर	222613.00
32.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, मण्डी	762400.00
33.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, सरकाराट	272746.00
34.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, जोगिन्द्रनगर	167775.20
35.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, करसोग	95684.00
36.	8443	106	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश	5000.00
37.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, गोहर	165438.00
38.	8443	106	जिला सत्र न्यायाधीश, शिमला	432942.00
39.	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर	171049.00

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोधागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
40.	8443	106	सब-न्यायाधीश, रामपुर	222679.00
41.	8443	106	सब-न्यायाधीश, ठियोग	201325.00
42.	8443	106	एस.डी.ओ. (सी.), डोडरा क्वार	0.10
43.	8443	106	सब-न्यायाधीश, रोहदू	462993.00
44.	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश, शिमला	1078666.00
45.	8443	106	सब-न्यायाधीश, चौपाल	53121.00
46.	8443	106	सब-न्यायाधीश जुब्बल, शिमला	125234.00
47.	8443	106	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर	98700.86
48.	8443	106	जिला सत्र न्यायाधीश, नाहन	120292.00
49.	8443	106	अपर जिला सत्र न्यायाधीश, नाहन	161734.00
50.	8443	106	सीनियर सब न्यायाधीश, नाहन (सीनियर डिविजन)	382910.00
51.	8443	106	सीविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन), पांचटा	209175.00
52.	8443	106	सीविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन), राजगढ़	104247.00
53.	8443	106	सब-न्यायाधीश, कण्डाघाट	61981.00
54.	8443	106	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	345750.00
55.	8443	106	सीविल न्यायाधीश, नालागढ़	432964.00
56.	8443	106	सीविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन, सोलन	211148.00
57.	8443	106	सीविल न्यायाधीश, अकर्का	142925.00
58.	8443	106	सीविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन, सोलन	336623.00
59.	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	101103.00
60.	8443	106	सीविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन, कसौली	91280.00
61.	8443	106	सीविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन, कसौली	189892.00
62.	8443	106	सीनियर सब न्यायाधीश, ऊना	938835.00
63.	8443	106	जूनियर सब न्यायाधीश, अम्ब	462834.00
64.	8448	106	आई.सी.ए.आर. की निधियां	925789.00
65.	8448	109	पी.एस., झण्डुता	97798.00
66.	8448	109	पी.एस., कल्पा	572525.33
67.	8448	109	पी.एस., दरंग	0.17
68.	8448	109	पी.एस., चौतड़ा	304667.17
69.	8448	109	पी.एस., रोहदू	16514.00
70.	8448	109	पी.एस., डोडरा क्वार	9500.10
71.	8448	109	पी.एस. सोलन	0.32
72.	8448	109	पी.एस. कण्डाघाट	231578.00
73.	8448	109	पी.एस. गगरेट	0.88
74.	8448	109	पी.एस. अम्ब	0.38
75.	8448	109	नगर पंचायत, मेहतपुर	481.00
76.	8448	109	नगर पंचायत, संतोखगढ़	5506.17
77.	8448	109	पी.एस. नादौन	41264.00
78.	8448	109	पी.एस. भोरंज	23480.00
योग				25611257.52 ₹ 2.56करोड़

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 57)

लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत बुक राजस्व प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
1.	0006	0.33	3342.68	0.01
2.	0029	6.33	8.39	75.42
3.	0030	3.58	250.55	1.43
4.	0039	36.62	1481.63	2.47
5.	0041	35.68	408.01	8.74
6.	0042	1.25	104.38	1.19
7.	0043	0.38	487.08	0.08
8.	0045	214.27	307.46	69.69
9.	0049	74.26	385.88	19.24
10.	0051	0.05	13.86	0.39
11.	0055	11.11	72.89	15.24
12.	0056	0.09	0.29	29.78
13.	0057	0.11	0.11	100.00
14.	0059	32.36	69.92	46.28
15.	0070	33.89	51.34	66.00
16.	0075	1.60	20.76	7.72
17.	0202	1.72	214.59	0.80
18.	0210	5.38	12.02	44.73
19.	0211	0.03	0.03	100.00
20.	0215	1.47	62.13	2.37
21.	0217	4.29	4.29	100.00
22.	0220	0.97	2.08	46.69
23.	0230	4.49	7.99	56.20
24.	0235	7.54	9.61	78.39
25.	0250	0.01	0.01	100.00
26.	0401	7.69	10.94	70.26
27.	0403	0.57	1.18	48.79
28.	0405	0.39	3.38	11.61
29.	0406	22.89	76.32	30.00
30.	0407	0.01	0.01	100.00
31.	0408	98.37	98.37	100.00
32.	0425	21.83	24.65	88.55
33.	0515	4.07	5.18	78.62
34.	0575	0.18	0.18	100.00
35.	0700	0.11	0.12	90.06
36.	0801	1134.34	1134.34	100.00
37.	0851	0.59	0.93	63.55
38.	0852	8.75	8.69	100.61
39.	0853	51.38	221.05	23.25
40.	1054	78.03	80.72	96.66
41.	1055	0.38	0.38	100.00
42.	1452	1.25	1.33	94.15
43.	1456	0.07	0.07	100.00
44.	1475	2.16	8.52	25.40
	योग	1910.87	8994.34	

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 57)

लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय के अंतर्गत बुक राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2012	0.09	8.15	1.17
2.	2014	4.95	197.62	2.50
3.	2043	1.29	1.29	100.00
4.	2053	1.63	197.13	0.83
5.	2075	27.97	28.22	99.11
6.	2202	116.36	5691.76	2.04
7.	2204	0.19	22.54	0.83
8.	2211	204.40	362.93	56.32
9.	2216	1.21	103.31	1.17
10.	2230	100.77	239.83	42.02
11.	2235	74.33	1048.37	7.09
12.	2401	100.05	644.84	15.52
13.	2402	11.49	66.33	17.31
14.	2403	28.55	358.10	7.97
15.	2406	1.93	440.06	0.44
16.	2407	1.26	1.31	96.18
17.	2408	30.34	340.14	8.92
18.	2501	22.58	84.88	26.61
19.	2702	3.14	616.89	0.51
20.	2711	0.88	44.23	1.98
21.	2801	0.95	579.19	0.16
22.	2851	8.50	96.54	8.81
23.	2852	2.14	8.93	23.97
24.	3054	24.34	2234.26	1.09
25.	3452	0.15	116.45	0.13
26.	4070	18.49	21.99	84.08
27.	4202	20.78	326.90	6.36
28.	4215	0.60	417.69	0.14
29.	4216	1.45	73.47	1.97
30.	4225	1.42	10.15	14.01
31.	4235	8.49	9.71	87.38
32.	4401	1.45	65.98	2.19
33.	4402	0.88	34.92	2.51
34.	4406	0.50	11.16	4.48
35.	4701	57.83	59.00	98.02
36.	4711	124.63	137.02	90.96
37.	4851	23.46	46.43	50.54
38.	5054	36.85	1940.98	1.90
39.	5452	52.50	53.86	97.47
40.	5475	178.94	178.97	99.98
41.	6004	0.43	85.06	0.50
42.	7610	0.09	7.60	1.12
	योग	1,298.28	17,014.19	

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 57)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक की गई फ्लैगशिप योजनाएं

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
1.	सिंचाई प्रवाह योजना	11	2401	00	800	22	150
2.	जल से कृषि को बल	11	2401	00	800	21	250
3.	सिंचाई प्रवाह योजना	13	2702	01	800	02	150
4.	जल से कृषि को बल	13	2702	01	800	01	250
5.	मध्यम सिंचाई योजना	13	4701	27	800	01	85
6.	सौर सिंचाई योजना	13	2702	01	800	03	200
7.	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना	18	2851	00	800	10	80
योग							1,165

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 59)

उन मामलों की सूची जहाँ 2018-19 के दौरान अत्यधिक अभ्यर्पण हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पण प्रतिशत
1.	2059-80-001-01	19.88	4.70 (24)
2.	2059-80-001-03	5.61	2.09 (37)
3.	2059-80-053-03	129.11	31.51 (24)
4.	2059-80-053-05	115.10	21.85 (19)
5.	2059-80-053-06	115.88	21.75 (19)
6.	3054-04-105-02	11.27	2.77 (25)
7.	3054-04-105-05	0.38	0.12 (33)
8.	3054-04-105-06	685.11	145.54 (21)
9.	3054-04-105-07	683.66	145.96 (21)
10.	3054-04-105-19	153.70	59.06 (38)
11.	3054-04-105-20	291.96	92.96 (32)
12.	3054-04-105-21	80.96	28.78 (36)
13.	3054-04-105-22	83.56	23.22 (28)
14.	3054-04-105-23	126.58	41.11 (32)
15.	3054-04-105-26	50.00	50.00 (100)
16.	3054-80-001-01	51.93	12.55 (24)
17.	3054-80-001-05	5.50	1.68 (31)
	योग	2,610.19	685.65 (21)

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 60)

उन मामलों की सूची जहां 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान से अधिक व्यय (प्रत्येक में 15 लाख तथा उससे अधिक अथवा 20 प्रतिशत या उससे ऊपर) हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	मूल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य (प्रतिशत में)
1.	2401-00-104-00 - कृषि फार्म (राज्य योजनागत)	19.74	20.01	0.27 (13)
2.	2401-00-109-27-C00N- कृषि विस्तार	0	0.60	0.60 (100)
3.	2401-00-109-27-C90N - कृषि विस्तार	17.77	21.69	3.92 (22)
4.	2401-00-109-27-S10N - कृषि विस्तार	1.97	2.66	0.69 (35)
5.	2415-01-004-02- अनुदान - शोध हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को सहायता (राज्य योजनागत)	39.09	64.09	25.00 (64)
योग		78.57	109.04	30.48

परिशिष्ट-2.19

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 60)

अप्रयुक्त बजट प्रावधान/ बचतों (प्रत्येक में ₹ 20 लाख व उससे अधिक अथवा 20 प्रतिशत व उससे ऊपर) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	मूल बजट	बचतें	बचतों की प्रतिशतता
1.	2401-00-001 - निर्देशन तथा प्रशासन	36.45	6.52	17.89
2.	2401-00-103 - बीज	17.09	3.79	22.19
3.	2401-00-105 - खाद एवं उर्वरक	28.68	7.58	26.43
4.	2401-00-107 - पौध संरक्षण	0.22	0.05	23.52
5.	2401-00-109 - विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण	48.16	0.71	1.48
6.	2401-00-111 - कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी	2.20	0.74	33.48
7.	2401-00-113 - कृषि यांत्रिकी	21.40	0.78	3.62
8.	2401-00-115 - छोटे सीमांत किसान एवं कृषि श्रमिकों की योजना	0.40	0.34	84.74
9.	2401-00-800 - अन्य व्यय	157.82	57.91	36.69
10.	2402-00-101 - मृदा एवं जल संरक्षण	2.70	0.85	31.58
11.	2402-00-102 - मृदा संरक्षण	27.42	5.64	20.58
12.	2402-00-800 - अन्य व्यय	22.38	10.89	48.68
13.	2403-00-107 - चारा एवं चारागार विकास	8.00	0.22	2.72
14.	2407-00-800 - अन्य व्यय	1.60	0.35	21.59
15.	2810-00-103 - जैव भार	5.45	0.97	17.74
16.	4401-00-103 - बीज	39.98	1.10	2.76
17.	4402-00-102 - मृदा संरक्षण	27.45	1.68	6.13
	योग	447.40	100.12	

परिशिष्ट-2.20

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.3; पृष्ठ 61)

बिना बजट बिलों का अनुमोदन

क्रमांक	जिला कोषागार/ उप-कोषागार का नाम	डी.डी.ओ. की संख्या	मामलों की संख्या	बिना बजट प्राधिकृत (₹ लाख में)
1.	जिला कोषागार, बिलासपुर	02	04	34.74
2.	उप कोषागार, सिंहुता	01	01	1.21
3.	जिला कोषागार, हमीरपुर	04	04	2.37
4.	उप कोषागार, जवाली	02	02	12.37
5.	उप कोषागार, फतेहपुर	01	01	36.87
6.	उप कोषागार, सांगला	02	02	1.38
7.	जिला कोषागार, कुल्लू	09	09	131.96
8.	उप कोषागार, अन्नी	05	05	17.22
9.	कोषागार, काजा	03	03	0.80
10.	जिला कोषागार, शिमला	01	01	5.42
11.	उप कोषागार, कुमारसैन	01	01	2.03
12.	उप कोषागार, अर्की	01	01	6.35
योग		32	34	252.72

परिशिष्ट-2.21

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.3; पृष्ठ 61)

संस्थीकृत बजट से अधिक राशि का अनुमोदन

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	डी.डी.ओ.की संख्या	मामलों की संख्या	प्राधिकृत अधिक राशि (₹ लाख में)
1.	जिला कोषागार बिलासपुर	05	07	90.70
2.	जिला कोषागार चम्बा	07	10	25.04
3.	उप कोषागार डलहौजी	06	06	19.29
4.	उप कोषागार भरमौर	04	08	53.55
5.	उप कोषागार सलौनी	03	04	47.13
6.	उप कोषागार होली	03	03	15.48
7.	उप कोषागार शिलाई	06	07	20.71
8.	उप कोषागार भलेई	03	03	17.08
9.	जिला कोषागार हमीरपुर	04	05	131.00
10.	उप कोषागार नादौन	04	05	40.52
11.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित	03	06	195.40
12.	उप कोषागार कांगड़ा	10	10	390.80
13.	उप कोषागार देहरा	03	04	12.74
14.	उप कोषागार इंदौर	02	02	0.33
15.	उप कोषागार नुरपुर	07	09	465.13
16.	उप कोषागार पालमपुर	04	07	174.63
17.	उप कोषागार जाबली	03	05	152.74
18.	उप कोषागार फतेहपुर	02	06	235.98
19.	उप कोषागार खुनंडिया	01	01	14.10
20.	उप कोषागार रक्कड़	02	02	0.82
21.	उप कोषागार बैजनाथ	02	02	6.33
22.	उप कोषागार कस्बा-कोटला	03	04	23.51
23.	उप कोषागार ढीरा	01	01	3.01
24.	जिला कोषागार किन्नौर स्थित	01	12	122.09
25.	उप कोषागार मुंरग	07	07	12.81
26.	उप कोषागार नीचार	05	05	20.08
27.	जिला कोषागार कुल्लू	06	07	83.67
28.	उप कोषागार अन्नी	02	02	6.80
29.	उप कोषागार बंजार	03	03	146.35
30.	उप कोषागार निरमंड	01	02	1.72
31.	जिला कोषागार केलांग	03	05	656.71
32.	उप कोषागार उदयपुर	02	02	11.49
33.	कोषागार काजा	07	08	114.45
34.	जिला कोषागार मण्डी	05	10	646.70
35.	उप कोषागार करसोग	02	02	0.56
36.	उप कोषागार सरकाघाट	02	02	2.25
37.	उप कोषागार चचयोट	03	04	8.46
38.	उप कोषागार निहरी	01	01	0.55
39.	उप कोषागार लडभरोल	01	02	36.56
40.	उप कोषागार बाली चौकी	01	01	0.08
41.	उप कोषागार कोटली	01	04	45.62
42.	उप कोषागार पधर	03	05	112.67

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	डी.डी.ओ.की संख्या	मामलों की संख्या	प्राधिकृत अधिक राशि (₹ लाख में)
43.	राजधानी कोषागार शिमला	03	04	110.15
44.	जिला कोषागार शिमला	13	15	315.27
45.	उप कोषागार सुन्नी	03	04	48.32
46.	उप कोषागार चौपाल	01	01	5.23
47.	उप कोषागार जुब्बल	02	03	7.29
48.	उप कोषागार कोटखाई	01	01	7.05
49.	उप कोषागार रामपुर	05	05	33.55
50.	उप कोषागार रोहडू	09	09	316.22
51.	उप कोषागार ठियोग	07	07	42.87
52.	उप कोषागार कुमारसैन	03	04	25.01
53.	उप कोषागार ननखरी	02	02	3.27
54.	उप कोषागार नेरवा	02	03	50.97
55.	उप कोषागार चिरगांव	04	04	9.38
56.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित	06	09	53.92
57.	उप कोषागार पच्छाद	02	03	33.05
58.	उप कोषागार पांवटा साहिब	02	02	3.16
59.	उप कोषागार राजगढ़	02	02	53.73
60.	उप कोषागार शिलाई	02	02	8.95
61.	उप कोषागार संगराह	02	05	11.63
62.	उप कोषागार कमराड	01	01	2.27
63.	उप कोषागार ददाहू	02	02	1.52
64.	उप कोषागार नोहराधार	02	02	12.01
65.	जिला कोषागार सोलन	04	06	79.56
66.	उप कोषागार अर्की	01	01	0.84
67.	उप कोषागार कसौली	02	04	8.32
68.	उप कोषागार कृष्णगढ़	04	04	5.88
69.	उप कोषागार ममलीग	01	01	1.86
70.	जिला कोषागार उना	03	05	12.03
71.	उप कोषागार हरौली	03	04	51.00
72.	उप कोषागार बंगाना	02	03	12.98
73.	उप कोषागार अम्ब	02	04	26.07
योग		242	323	5519.00

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 63)

31 मार्च 2019 तक बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि	
1	2	3.	4.	5.	6	7	
1. ग्रामीण विकास							
आवास	ग्रामीण रोजगार	2014-15	38	869.58	4	40.08	
		2015-16	50	2,120.23	3	9.22	
		2016-17	65	3,038.20	10	677.05	
		2017-18	123	8,649.79	89	7,661.07	
			276	14,677.80	106	83,87.42	
ग्रामीण रोजगार	शिक्षा	2011-12	1	8.08	-	-	
		2015-16	15	6,790.88	6	1,136.95	
		2016-17	34	34,301.61	12	1,000.00	
		2017-18	28	17,575.18	28	17,575.18	
			78	58,675.75	46	197,12.13	
कुल (ग्रामीण विकास)			354	73,353.55	152	280,99.55	
2. शिक्षा							
सामान्य शिक्षा	खेल एवं युवा सेवाएं	2015-16	1	100.00	1	100.00	
		2016-17	6	442.00	1	1.02	
		2017-18	27	7,445.76	27	7,445.76	
			34	79,87.76	29	75,46.78	
कला एवं संस्कृति	शहरी विकास	2016-17	1	300.00	-	-	
		2017-18	18	213.39	-	-	
			19	513.39	-	-	
		2016-17	132	525.24	-	-	
		2017-18	108	820.53	106	650.53	
			240	1,345.77	106	650.53	
कुल (शिक्षा)			293	9,846.92	135	81,97.31	
3. शहरी विकास							
शहरी विकास	सड़क तथा पुल	2014-15	5	212.58	1	15.23	
		2015-16	17	7,016.94	13	230.08	
		2016-17	104	38,296.73	37	8,895.49	
		2017-18	63	22,268.71	47	17,529.51	
			189	67,794.96	98	266,70.31	
सड़क तथा पुल	पशुपालन	2016-17	1	191.34	1	191.34	
		2017-18	1	600.00	1	600.00	
			2	791.34	2	7,91.34	
		कुल (शहरी विकास)	191	68,586.63	100	27,461.65	
4. पशुपालन							
पशुपालन	पशुपालन	2014-15	11	344.37	-	-	
		2015-16	28	2,805.30	1	1,000.00	
		2017-18	28	1,591.03	28	825.44	
	कुल (पशुपालन)		67	4,740.70	29	18,25.44	

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
5.	सहकारिता					
	खाद्य भण्डार एवं गोदाम	2016-17	8	14.81	1	8.00
		2017-18	27	71.20	5	13.00
			35	86.01	6	21.00
	सहकारिता	2014-15	2	2.15	-	-
		2015-16	3	4.30	-	-
		2016-17	18	15.87	2	4.73
		2017-18	43	109.32	6	14.20
			66	131.64	8	18.93
	कुल (सहकारिता)		101	217.65	14	39.93
6.	पर्यटन					
	पर्यटन	2014-15	2	3.30	1	0.75
		2015-16	2	4.15	1	2.90
		2016-17	3	2,655.00	1	5.00
		2017-18	10	12,507.40	3	107.40
	कुल (पर्यटन)		17	15,169.85	6	116.05
7.	उद्योग					
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2012-13	1	7.21	1	7.21
		2014-15	2	24.09	2	24.09
		2015-16	20	143.60	4	33.67
		2016-17	71	3,505.66	34	1,339.75
		2017-18	142	5,319.41	115	4,508.93
	कुल (उद्योग)		236	8,999.97	156	5,913.65
8.	कृषि					
	फसल पालन	2016-17	12	8,635.00	-	-
		2017-18	17	5,280.74	5	3,680.00
			29	13,915.74	5	3,680.00
	मृदा संरक्षण	2017-18	5	60.50	5	60.50
			5	60.50	5	60.50
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2017-18	48	25,138.96	7	558.46
			48	25,138.96	7	558.46
	विशेष कार्यक्रम	2014-15	15	851.27	-	-
		2015-16	22	3,277.39	-	-
		2016-17	36	11,471.76	3	955.00
		2017-18	53	7,543.66	15	3,094.23
			126	23,144.09	18	4,049.23
	दुर्घट विकास	2015-16	21	1,666.16	-	-
		2016-17	21	1,661.88	-	-
		2017-18	21	1,666.05	-	-
			63	4,994.09	-	-
	अन्य कृषि कार्यक्रम	2016-17	2	1,000.00	-	-
		2017-18	2	1,000.00	-	-
			4	2,000.00	-	-
	कुल (कृषि)		275	69,253.38	35	8,348.19

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
9.	वन		2014-15	10	51.06	-
	वन एवं वन्य जीव	2015-16	21	160.53	11	95.99
		2016-17	100	458.96	23	8.16
		2017-18	30	602.95	9	47.20
कुल (वन)			161	1,273.50	43	151.35
10.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य		2016-17	77	70,12.62	13
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2017-18	1,109	139,16.89	33	2,855.26
			1,186	209,29.51	46	3,470.50
		2016-17	36	115,91.52	-	-
	परिवारिक स्वास्थ्य	2017-18	56	204,21.07	-	-
			92	320,12.59	-	-
			1,278	529,42.10	46	3,470.50
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता		2012-13	7	254.26	7
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2013-14	3	8.60	3	8.60
		2015-16	4	235.00	-	-
		2016-17	5	237.00	4	235.00
		2017-18	5	229.07	3	203.00
			24	963.93	17	700.86
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	2016-17	1	49.00	1	49.00
		2017-18	1	49.00	1	49.00
			2	98.00	2	98.00
	कुल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		26	1,061.93	19	798.86
12.	मत्स्यकी		2016-17	10	15.07	10
	मत्स्यकी	2017-18	18	75.18	18	75.18
			28	90.25	28	90.25
	कुल (मत्स्यकी)					
13.	योजना		2014-15	5	55.54	-
	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2015-16	2	67.01	-	-
		2016-17	2	1,091.36	-	-
		2017-18	8	2,903.08	8	2,903.08
	कुल (योजना)		17	4,116.99	8	2,903.08
14.	राजस्व विभाग		2015-16	1	1.00	-
	भू राजस्व	2016-17	14	70.00	13	65.00
		2017-18	33	214	31	206.40
			48	285.00	44	271.40
	विभिन्न सामान्य सेवाएं	2015-16	1	49.74	-	-
		2016-17	16	207.93	-	-
		2017-18	39	390.04	-	-
			56	647.71	-	-
	कुल (राजस्व विभाग)		104	932.71	44	271.40

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
15.	परिवहन विभाग					
	परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	2017-18	1	36.00	1	36.00
	सड़क परिवहन	2016-17	2	559.48	-	-
		2017-18	-	14,500	-	-
			2	150,59.48	-	-
	कुल (परिवहन विभाग)		3	150,95.48	1	36.00
16.	श्रमिक एवं रोजगार					
	श्रमिक एवं रोजगार	2017-18	1	5.00	1	5.00
	कुल (श्रमिक एवं रोजगार)		1	5.00	1	5.00
17.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य					
	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2016-17	2	399.20	-	-
		2017-18	7	1,033.08	7	683.08
	कुल (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)		9	1,432.28	7	683.08
18.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2015-16	26	125.79	3	18.47
		2016-17	137	2,616.55	5	77.19
		2017-18	416	5,351.82	374	1,896.88
	अन्य सामाजिक समुदाय		579	8,094.15	382	1,992.54
		2017-18	3	300.69	1	0.27
			3	300.69	1	0.27
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2016-17	4	23.50	4	23.50
		2017-18	3	23.03	3	23.03
			7	46.53	7	46.53
	कुल (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण)		589	8,441.37	390	2,039.34
19.	ऊर्जा विभाग					
	विद्युत	2017-18	5	311.00	-	-
			5	311.00	-	-
	ऊर्जा के अपरपरागत स्रोत	2017-18	4	20.00	3	16.00
			4	20.00	3	16.00
	कुज (ऊर्जा विभाग)		9	331.00	3	16.00
20.	पंचायती राज विभाग					
	ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2011-12	156	4,882.35	149	3,291.62
		2012-13	150	4,925.90	109	2,171.38
		2013-14	156	10,371.62	112	4,318.54
		2014-15	195	23,316.95	141	15,066.52
		2015-16	150	29,117.58	96	9,009.82
		2016-17	375	47,480.89	272	26,674.47
		2017-18	394	51,836.50	283	38,454.98
			1,576	1719,31.80	1,162	989,87.32
	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	2016-17	3	35.00	3	33.00
			3	35.00	3	33.00
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	2016-17	1	149.00	-	-
	कुल (पंचायती राज विभाग)		1,580	1721,15.80	1,165	990,20.32

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाणपत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
21.	आबकारी एवं कराधान विभाग					
	स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं कार्यभार	2015-16	8	306.85	-	-
		2016-17	250	688.65	-	-
		2017-18	31	1,029.48	7	64.57
	अन्य कर		289	2,024.99	7	64.57
		2017-18	1	60.00	-	-
	कुल (आबकारी एवं कराधान विभाग)		290	2,084.99	7	64.57
22.	विज्ञान एवं प्रोटोगिकी					
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2016-17	6	28.42	-	-
		2017-18	71	811.18	9	161.12
			77	839.60	9	161.12
	पर्यावरण परिस्थितिकी	2017-18	20	185.50	8	147.80
			20	185.50	8	147.80
	कुल (विज्ञान एवं प्रोटोगिकी)		97	1,025.10	17	308.92
23.	हिपा					
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2017-18	19	530.00	1	20.00
	अन्य (हिपा)		19	530.00	1	20.00
24.	राज्य के अंग					
	संसद/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश विधायिका	2017-18	1	8.23	-	-
	कुल (राज्य के अंग)		1	8.23	-	-
25.	प्रशासनिक सेवाएं					
	सचिवालय सामान्य सेवाएं	2017-18	7	151.72	-	-
	कुल (प्रशासनिक सेवाएं)		7	151.72	-	-
26.	पुलिस					
	पुलिस	2016-17	4	1,025.51	-	-
		2017-18	1	10.00	-	-
	कुल (पुलिस)		5	103,5.51	-	-
	सकल योग		5,758	5128,42.29	2,407	1898,80.45

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 64)

स्वायत निकायों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति एवं राज्य विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण को दर्शाती विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे देय हैं तथा लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब
1	हिंप्र० राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 बाद	2017-18	2 महीने 17 दिन	2017-18 (17.10.2018)	2015-16 (15.03.2017)	2018-19
2	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला	-	2018-19	-	2013-14	2013-14	--
3	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	2018-19
4	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऊना	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
5	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, नाहन	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
6	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, चम्बा	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
7	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
8	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला	-	2018-19	-	2013-14	2013-14	--
9	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, सोलन	-	2018-19	-	2013-14	2013-14	--
10	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	2018-19
11	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रामपुर	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
12	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला स्थित कांगड़ा	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
13	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, मण्डी	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	उपयुक्त
14	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण वर्कर्ज कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10	2015-16 से 2017-18	2015-16 (2 वर्ष) 2016-17 (1 वर्ष)	2014-15	2014-15	उपयुक्त

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 65)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागवद् एवं अवधिवद् ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	01	0.40	02	2.55	01	0.93	-	-	-	-	-	-	04	3.88
2.	ग्रामीण विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	-	-	01	9.20	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	-	-	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	-	-	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	-	-	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	नगर परिषद् चम्बा	01	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.42
9.	गृह रक्षा	-	-	-	-	-	-	02	25.37	-	-	-	-	02	25.37
10.	स्वास्थ्य (चिकित्सा विभाग)	-	-	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	01	0.95
11.	वन	01	3.99	01	2.38	-	-	01	0.63	-	-	03	15.14	06	22.14
12.	लोक निर्माण	-	-	-	-	-	-	06	7.42	01	1.05	08	2.69	15	11.16
13.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.89	02	7.71	-	-	02	0.31	05	8.91
	योग	3	4.81	8	12.51	5	12.03	12	41.39	3	4.91	13	18.14	44	93.79

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 65)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	03	2.00	01	1.88	04	3.88
ग्रामीण विकास	02	4.68	-	-	02	4.68
कृषि	-	-	02	9.46	02	9.46
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
भू-राजस्व	-	-	01	2.57	01	2.57
पुलिस	-	-	01	0.08	01	0.08
मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	01	1.28
नगर परिषद, चम्बा	-	-	01	0.42	01	0.42
गृह रक्षा	-	-	02	25.37	02	25.37
स्वास्थ्य (चिकित्सा विभाग)	-	-	01	0.95	01	0.95
वन	-	-	06	22.14	06	22.14
लोक निर्माण	01	0.21	14	10.95	15	11.16
सिचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.66	05	8.91
योग	09	8.48	35	85.31	44	93.79

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 66)

सार आकस्मिक बिल (ए.सी. बिल) से आहरित बकाया अग्रिमों तथा उनके समायोजन (विस्तृत आकस्मिक बिल (डी. सी. बिल)) का विवरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	एसी बिलों की राशि	डी सी बिलों की संख्या	डी सी बिलों की राशि	बकाया एसी बिल	
						संख्या	राशि
निदेशक, आयुर्वेद कसुम्पटी शिमला	2014-15	18	348.13	14	292.63	4	55.50
	2015-16	16	312.50	0	0	16	312.50
	2016-17	10	368.71	0	0	10	368.71
	2017-18	13	339.47	0	0	13	339.47
	2018-19	19	393.32	0	0	19	393.32
	योग	76	1,762.13	14	292.63	62	1,469.50
निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कसुम्पटी, शिमला	2014-15	13	1,398.33	0	0	13	1,398.33
	योग	13	1,398.33	0	0	13	1,398.33
निदेशक, कृषि, बालूगंज शिमला	2014-15	19	1.82	19	1.82	0	0
	2015-16	14	1.40	14	1.40	0	0
	2016-17	12	1.20	12	1.20	0	0
	2017-18	1	0.10	1	0.10	0	0
	2018-19	12	1.60	12	1.60	0	0
	योग	58	6.12	58	6.12	0	0
निदेशक, उद्यान, नवबहार शिमला	2014-15	24	4.04	24	4.04	0	0
	2015-16	39	5.33	39	5.33	0	0
	2016-17	30	4.29	30	4.29	0	0
	2017-18	39	17.43	39	17.43	0	0
	2018-19	27	5.38	27	5.38	0	0
	योग	159	36.47	159	36.47	0	0
निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल, शिमला		0	0	0	0	0	0
सकल योग		306	3,203.05	231	335.22	75	2,867.83 या ₹28.68 करोड़

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन, आदि हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर-विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5	समेकित निधि एवं लोक लेखा देयताएं	समेकित निधि देयताएं: मुख्यतः आन्तरिक उधारों अर्थात् बाजार ऋण, बाण्डस अन्य वित्तीय संस्थानों लघु बचत सुरक्षा निधि को जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति तथा भारत सरकार को प्राप्त ऋण एवं अग्रिम समाविष्ट होते हैं; लोक लेखा देयताएं: मुख्यतः लोक लेखा में बचे शेष (लघु बचतें एवं भविष्य निधि, निक्षेप, आरक्षित निधियां इत्यादि) समाविष्ट होते हैं।
6.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्यों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
7.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील व्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील व्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
8.	शुद्ध ऋण की उपलब्धता	राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की जाती है।
9.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील व्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील व्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
10.	गारंटियां	कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in